खण्ड-453, अंक-8
बुधवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(16 मार्च, 2005 ई0)

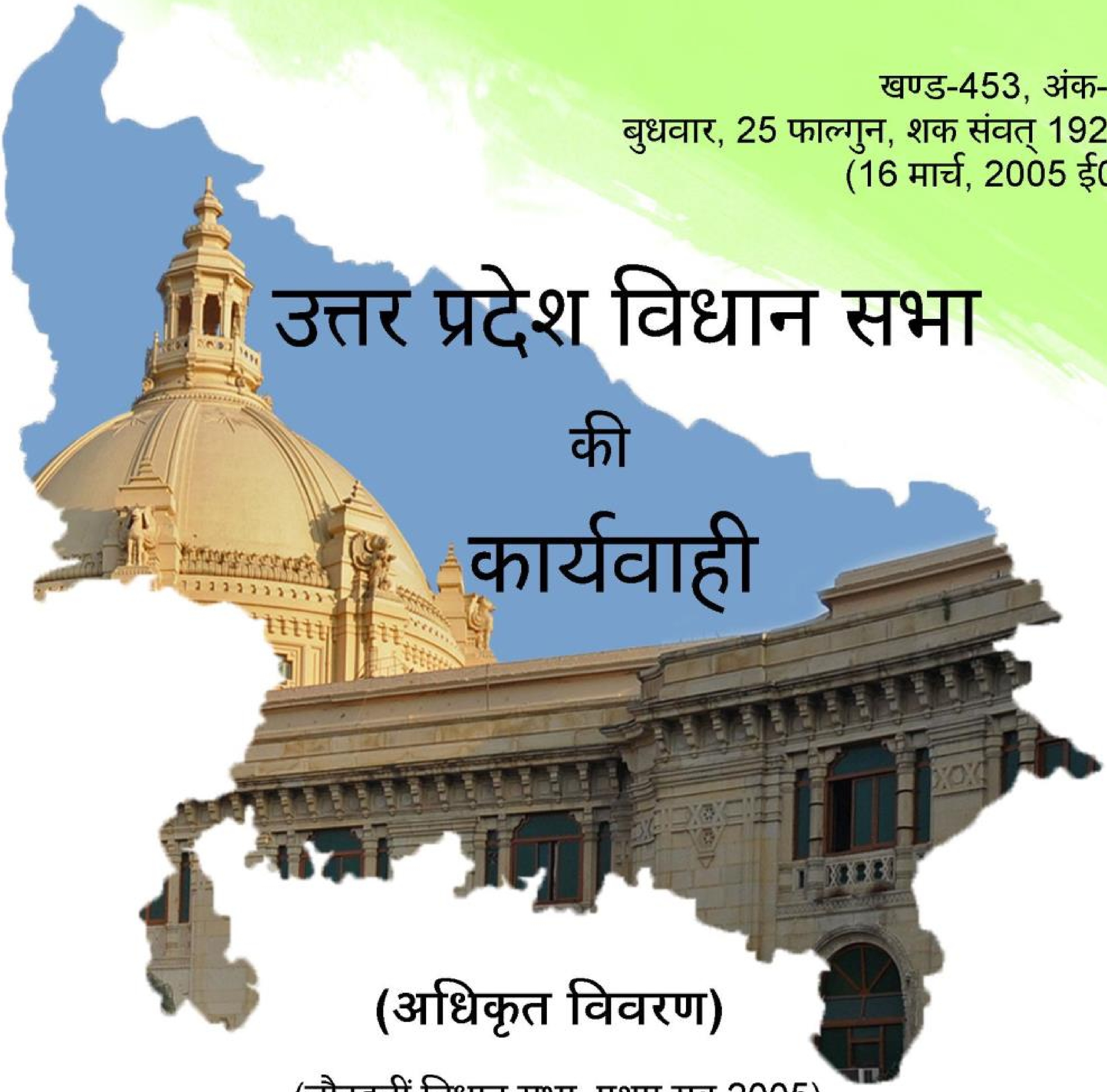

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 453 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
-उपस्थित सदस्य	2-ऐ
-नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास ...	1
-प्रश्नोत्तर	1-53
-नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाएं	54
-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी, कानपुर रोड योजना के सेक्टर-एच में सीवर की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
-बरेली कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसौना में नहर पर पक्की पुलिया का निर्माण करवाने तथा पीचिंग कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
-पीलीभीत के गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर में महाविद्यालय के प्रबन्धन हेतु प्रबन्ध तन्त्र द्वारा छात्रों की फीस में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55-56
-जनपद-गौतमबुद्ध नगर के थाना कासना के अन्तर्गत फर्जी आधार पर निर्दोषों को जेल भेजने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	56
-मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत जय भीम नगर एवं कासिमपुर सैनिक कालोनी में शुद्ध एवं साफ पेयजल की आपूर्ति हेतु ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
-तेलियर गंज, इलाहाबाद में 132 के0 वी0 ए0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
-जनपद-बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत कोतवाली एवं सी0 ओ0 पुलिस कार्यालय के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
-जनपद-एटा के ग्राम रिजोर में निर्माणाधीन 33 के0 वी0 ए0 विद्युत उपकेन्द्र को तत्काल पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
-लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर आई एवं जे के 100 भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में लखनऊ नगर निगम द्वारा उत्पन्न विवाद को यथाशीघ्र निपटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
-जनपद-लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत गांव जानकी खेड़ा मजरा बेलगढ़ा के सामने बेहता नाले पर बने पुल के दोनों ओर मिट्टी भराकर सड़क बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59

विषय	पृष्ठ-संख्या
-जनपद-सीतापुर की ग्राम सभा म्योड़ी छोलहा का मजरा श्री राम पुरवा के निवासियों को घाघरा नदी की कटान से हुए नुकसान की भरपाई करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
-जनपद-वाराणसी में चेतगंज थाना क्षेत्रान्तर्गत जूता मार्केट में बसे हजारों लोगों को उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	59-60
-औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ... (जारी)	60-62
-उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005... (उ0 प्र0 विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	62-63
-एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005... (उ0 प्र0 विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	63
-उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2005... (उ0 प्र0 विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	63
-औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	63-64
-कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ... (स्वीकृत) ...	64-66
-उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 ... (पुरःस्थापित)	66
-कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	66-80
-उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 ... (पारित)	80-102
-उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 ... (पारित) ...	103-108
-उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 ... (पारित)	108-116
-उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 ... (पारित)...	116-122
-''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महिला सशक्तिकरण हेतु समयबद्ध प्रभावी कार्यक्रम बनाया जाये'' विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	122-137
-कार्य सूची की मद संख्या-18 पर चर्चा का समय बढ़ाने का प्रस्ताव ... (स्वीकृत)	137
-''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महिला सशक्तिकरण हेतु समयबद्ध प्रभावी कार्यक्रम बनाया जाये'' विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा	137-139
-भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन के इतिहास में ''चौकीदार चपाती आन्दोलन'' के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किये जाने विषयक श्री श्याम लाल रावत द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	139

अशोधित विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
-कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ... (स्वीकृत) ...	139-140
-प्रदेश में लघु, सीमान्त किसानों को कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाले लघु ऋण, खाद एवं बीज की सुविधा समितियों के बन्द हो जाने के कारण न मिलने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (निरस्त)	140
-नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	140-141
-परिवहन विभाग में हाई टेक्नालाजी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य ...	141-142
-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिजली चोरी पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	143
-जनपद-बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद्, शिकारपुर स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर सैकड़ों वर्षों से काबिज भवन अध्यासियों को कानूनी हक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुंशी लाल गौतम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	143
-जनपद-बारावंकी के ग्राम सफीपुर के पास कल्याणी नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती राजरानी रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	143-144
-जनपद-बस्ती स्थित गोविन्दपुर गांव को मनोरमा नदी के कटान से बचाने के सम्बन्ध में श्री रामकरन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	144-145
-मेरठ महानगर में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में भोले की झाल से सर्फेस वाटर की आपूर्ति की योजना को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	145
-जनपद-आगरा स्थित जिला सहकारी बैंक के अंतिम निर्वाचन क्षेत्रों के नाम, निर्वाचित होने वाले संचालकों की संख्या तथा नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था न अपनाये जाने के सम्बन्ध में राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य ...	145-148
-लखनऊ स्थित डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	148-149
-नत्थियां	150-152

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 16 मार्च, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य--311

1--अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
2--अजय कुमार, डा0 बागपत
3--अजीम भाई, श्री फिरोजाबाद
4--अताउल रहमान, श्री बरेली
5--अनवर महमूद, श्री बलरामपुर
6--अनार सिंह दिवाकर, श्री एटा
7--अनिल कुमार पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
8--अनिल कुमार वर्मा, श्री सीतापुर
9--अनिल कुमार पासवान, श्री हरदोई
10-- अनिल कुमार सिंह यादव, श्री एटा
11--अनिल सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
12--अनीस अहमद खां अर्फ फूलबाबू, श्री पीलीभीत
13--अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री देवरिया
14--अनूप कुमार पाण्डेय, श्री बस्ती
15--अन्सार अहमद, श्री इलाहाबाद
16--अब्दुल कलाम, श्री सन्त कबीर नगर
17--अब्दुल मन्नान, श्री हरदोई
18--अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री फतेहपुर
19--अमरमणि, श्री महराजगंज
20--अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री हाथरस
21--अमीता सिंह, श्रीमती सुल्तानपुर
22--अम्बिका चौधरी, श्री बलिया
23--अम्बेश कुमारी, श्रीमती महोबा
24--अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
25--अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 जालौन
26--अरुण कुमारी, श्रीमती कानपुर देहात
27--अरुणवीर सिंह, श्री बहराइच
28--अरुणा तोमर, श्रीमती कानपुर नगर
29--अवधेश कुमार वर्मा, श्री शाहजहांपुर
30--अशोक कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
31--अशोक वाजपेयी, डा0 हरदोई
32--अशोक सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
33--आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री सिद्धार्थनगर
34--आनन्द प्रकाश लोधी, श्री फतेहपुर
35--आर0एस0 कुशवाहा, श्री खीरी
36--आर0के0 चौधरी, श्री लखनऊ
37--आर0के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
38--आलम बदी, श्री आजमगढ़
39--आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
40--आशीष यादव, श्री बदायूं
41--आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
42--इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
43--इन्द्रदेव सिंह, डा0 बिजनौर
44--उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
45--उदयभान सिंह, श्री वाराणसी
46--उदयराज यादव, श्री उन्नाव
47--उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
48--ओइमवंश, स्वामी बिजनौर
49--ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
50--ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
51--ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर

52--ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
53--ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
54--ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
55--कपिल देव यादव, श्री मऊ
56--कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
57--कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
58--कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
59--कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
60--कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
61--काशीराम, श्री रामपुर
62--किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
63--किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
64--कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65--कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
66--कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67--कैलाश, श्री गाजीपुर
68--कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
69--कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
70--कौशल किशोर, श्री खीरी
71--कौशल किशोर, श्री लखनऊ
72--गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
73--गया चरन दिनकर, श्री बांदा
74--गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
75--गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
76--घूरा राम, श्री बलिया
77--चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
78--चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
79--चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
80--चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
81--छेदी राम, श्री गाजीपुर
82--छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
83--छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
84--जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
85--जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
86--जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
87--जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
88--जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
89--जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
90--जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
91--जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
92--जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
93--जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
94--जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95--जयराम विमल, श्री अम्बेडकर नगर
96--जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
97--जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
98--डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री चित्रकूट
99--तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
100--दयाराम, श्री कौशाम्बी
101--दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
102--दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
103--दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
104--दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
105--दीनानाथ भाष्कर, श्री सन्त रविदास नगर भदोही
106--दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
107--देवकी नन्दन, श्री हाथरस
108--देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
109--देवेन्द्र प्रताप, श्री एटा
110--देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
111--द्वारिका प्रसाद, श्री संत कबीर नगर
112--धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
113--धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
114--धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
115--धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
116--धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर

117--नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
118--नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
119--नरेन्द्र कुमार, श्री गौतमबुद्ध नगर
120--नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
121--नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
122--नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
123--नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
124--नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
125--नवाबसिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
126--नारद राय, श्री बलिया
127--परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
128--पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
129--पीतम राम, श्री पीलीभीत
130--पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
131--पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
132--प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
133--प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
134--प्रभु दयाल, श्री मेरठ
135--प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
136--प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
137--प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
138--प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
139--प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
140--प्रेम सिंह, श्री मथुरा
141--फागू, श्री मऊ
142--बंशीधर राज, श्री खीरी
143--बलराम यादव, श्री आजमगढ़
144--बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
145--बाबूराम, एम0काम0, श्री जालौन
146--बाबू लाल, श्री गोण्डा
147--बाबू लाल, चौधरी आगरा
148--बिजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
149--बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
150--बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
151--बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
152--बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
153--बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
154--बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
155--ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
156--भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
157--भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
158--भरत सिंह, श्री बलिया
159--भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
160--मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
161--मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
162--मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
163--मदन भैया, श्री बागपत
164--मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
165--मशहूद खां, श्री बलरामपुर
166--मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
167--महबूब अली, श्री ज्योतिबा फूले नगर
168--महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
169--महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
170--महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
171--माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
172--मान पाल सिंह, श्री एटा
173--माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
174--मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
175--मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
176--मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
177--मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूं
178--मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
179--मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
180--मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
181--मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद

182--मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
183--मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
184--मोहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
185--यशपाल चौधरी, श्री खीरी
186--याकूब, हाजी मेरठ
187--योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
188--योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
189--रणवीर राणा, श्री मेरठ
190--रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
191--रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
192--रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
193--राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
194--राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
195--राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
196--राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
197--राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
198--राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
199--राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
200--राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
201--राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
202--राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
203--राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
204--राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
205--राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
206--राजेश कुमार, श्री खीरी
207--राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
208--राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
209--राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
210--राम करन आर्य, श्री बस्ती
211--राम किशुन, श्री वाराणसी
212--राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
213--राम कृष्ण, श्री सीतापुर
214--राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
215--रामजी शुक्ला, श्री औरैया
216--रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
217--रामपाल यादव, श्री सीतापुर
218--राम पाल वर्मा, श्री हरदोई
219--राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
220--राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
221--रामबाबू हरित, डा0 आगरा
222--राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
223--राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
224--राम मगन, श्री बाराबंकी
225--राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
226--रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
227--रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
228--राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
229--राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
230--राम स्वरूप सिंह श्री बिजनौर
231--रामहेत, श्री सीतापुर
232--रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
233--रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबा फूलेनगर
234--रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
235--लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
236--लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
237--लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
238--लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
239--वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
240--वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
241--विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
242--विजय कुमार मिश्रा, श्री संत रविदास नगर, भदोही
243--विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
244--विजय सिंह, श्री सोनभद्र
245--विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
246--विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
247--विनय शाक्य, श्री औरैया
248--विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
249--विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा

250--विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
251--विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
252--विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
253--विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
254--विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
255--वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" शाहजहांपुर
256--वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
257--वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
258--शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री संत रविदास नगर, भदोही
259--शब्बीर श्री बहराइच
260--शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
261--शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
262--शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
263--शाकिर अली, श्री देवरिया
264--शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
265--शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
266--शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
267--शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
268--शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
269--शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
270--शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
271--शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
272--शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
273--शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
274--श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
275--श्यामदेव राय चौधरी, श्री वाराणसी
276--श्याम नारायन, श्री महराजगंज
277--श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
278--श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
279--श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
280--श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
281--श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
282--संजय गर्ग, श्री सहरनपुर
283--संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
284--सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
285--सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
286--सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
287--सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 मुरादाबाद
288--सलिल विशनोई, श्री कानपुर नगर
289--सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
290--सियाराम सागर, डा0 बरेली
291--सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
292--सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
293--सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
294--सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
295--सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री गाजियाबाद
296--सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
297--सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
298--सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
299--सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर
300--सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
301--सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
302--सुल्तान बेग, श्री बरेली
303--सुशील चौधरी, डा0 सहारनपुर
304--सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
305--सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
306--हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
307--हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
308--हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री वाराणसी
309--हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
310--हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
311--हाशियार सिंह, श्री बुलन्दशहर

नोट :--श्री मुन्ना सिंह चौहान, सिंचाई मंत्री तथा श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय टण्डन जी, नियम 311 की सूचना को हमने अस्वीकार कर दिया है। इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस पर कुछ न कहें। हम आपका सम्मान करते हैं, आप नेता विरोधी दल हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूँगा।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

(भाजपा के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मेरे ख्याल से इसके बाद किसी भी माननीय सदस्य के कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती। आपने नियम 311 में इसे अस्वीकार कर दिया है तो फिर यही माना जायेगा कि कुछ लोग केवल सदन में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ सूचना पर बोल रहे थे। नियम 311 का विषय आपने दिया है। लेकिन मान्यवर, आज नहीं, जब से सदन चल रहा है, पहले भी सदन चले हैं, कुछ न कुछ बात ऐसी उठ सकती है जो माननीय नेता प्रतिपक्ष कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मेरा आपसे निवेदन है कि शून्य प्रहर आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह--

आप यही पहले कह देते ठीक है, हम बैठ जाते हैं।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*1--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती हेतु निर्धारित मानक

*2--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती हेतु कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है और क्या उसका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)--

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए मानक निर्धारित है। अन्य चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार तैनाती की जाती है।

उपलब्ध मानव संसाधन के आधार पर उपरोक्तानुसार यथा संभव अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वविदित है कि अपने प्रदेश की जो जनसंख्या है, उसके अनुपात में सरकारी चिकित्सालय बहुत कम है और उसमें जो तैनात चिकित्सक हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है और जो हैं भी, वह उपस्थित नहीं मिलते, वह प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसलिये मैंने यह जानना चाहा था कि क्या सरकार ने जनसंख्या को देखते हुये कोई मानक निर्धारित किया है ? जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि कोई मानक निर्धारित नहीं है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो जनसंख्या है और उसके अनुपात में जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हेतु कोई कदम सरकार उठायेगी ?

श्री जयवीर सिंह--

मान्यवर, मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है कि मानक निर्धारित है और आपके संज्ञान में है कि हर 30 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का मानक बना हुआ है। साथ ही साथ प्रदेश में 3640 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने का हम निर्णय ले रहे हैं। इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि 372 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हम जनता को पहले ही समर्पित कर चुके हैं और जैसा अभी पिछले बजट में हमने प्राविधानित किया है कि 91 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 227 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनता के लिए हम सृजित करने जा रहे हैं। जहाँ तक डाक्टरों की उपलब्धता की बात है, सरकार ने इसे स्वीकार किया है और इसके लिए अध्याचन भी भेजा गया था, क्योंकि तात्कालिक जरूरत थी और आयोग से नियुक्तियां संभव नहीं हो पा रही थीं, इसलिए आवश्यकता को देखते हुये तात्कालिक रूप से संविदा पर डाक्टरों की तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। लगभग 1100 डाक्टर संविदा पर अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो देहाती क्षेत्रों में हैं, जहाँ पर डाक्टरों की उपलब्धता नहीं थी या डाक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे, हमने उन्हें तैनात किया है और इसके साथ ही साथ जो डाक्टर अपने नर्सिंग होम में लिप्त थे, उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्यवाई हम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि डाक्टर उपलब्ध रहें, दवा का बजट हमने बढ़ाया है, हमारी चिकित्सा और उपचार व्यवस्था बेहतर तरीके से जनता तक पहुँच सके तथा जिनके पास धन की कमी है, उन्हें निःशुल्क सुविधाएं मिल सकें, इन बातों का निर्णय माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार द्वारा लिया गया है और उनका अनुपालन भी किया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वाराणसी स्थित शिव प्रसाद गुप्त जिला अस्पताल में कुल कितने पद सृजित हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? और इन पदों के रिक्त होने का कारण क्या है तथा इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री जयवीर सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न बनारस से संबंधित है और मूल प्रश्न से हटकर है। मैं माननीय सदस्य को पूरे प्रदेश की स्थिति बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में सबसे पहली बात तो यह है कि अब तक ऐसी व्यवस्था थी कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक थे, जिनकी नियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हो सकती थी, उनकी नियुक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर थी। हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है, जिसके तहत हम इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए विशेषज्ञ और नान विशेषज्ञ कैडर बना रहे हैं, जिसमें विशेषज्ञ पुरुष और विशेषज्ञ महिलाएं होंगी। यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसी वित्तीय वर्ष में इसे लागू कर दिया जाएगा इसके साथ ही हम विशेषज्ञता के आधार पर सारी तैनाती जिला चिकित्सालयों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करेंगे। जहाँ तक पूरे प्रदेश में तैनाती का मामला है, पूरे प्रदेश में श्रेणी-1 में पुरुषों के 1889 पद सृजित हैं और इनके सापेक्ष 1757 व्यक्ति तैनात हैं तथा महिलाओं में 313 पदों के सापेक्ष 286 महिलाएं क्लास-1 में तैनात हैं। क्लास-2 में पुरुषों के 7846 पदों के सापेक्ष 6058 पुरुष तैनात हैं तथा महिलाओं के 1322 पदों के सापेक्ष 687 महिलाएं तैनात हैं। इनके अतिरिक्त हम लोगों ने जो 1281 लोगों की संविदा पर तैनाती करने का निर्णय लिया है, उनमें से 1081 लोगों को तैनात किया जा चुका है।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, बोल लेने दीजिए नहीं तो रूठ जायेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

यह जाएंगे कहीं नहीं, बल्कि आपकी छाती पर मूँग दलेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर कड़ाई करने की बात कही है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आयी है, कितने ऐसे डाक्टरों का जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं, पता लगाया गया है और कितने डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

श्री जयवीर सिंह--

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है इसलिए निश्चित संख्या बताना मुश्किल है, उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमने हल्के-फुल्के ढंग से कार्रवाई नहीं की है। कई चिकित्साधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, कई लोगों के खिलाफ सेवानिवृत्ति की कार्रवाई चल रही है और दो चिकित्साधिकारियों को टर्मिनेट करने का निर्णय इस सरकार ने लिया है। मान्यवर, अगर और विस्तृत जानकारी चाहते हों तो अलग से प्रश्न दे दें।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर था।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न मा0 मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है अभी उन्होंने कहा कि हम कार्यवाही करने जा रहे हैं। जो विशेषज्ञ डाक्टर हैं और ऐसी जगह पड़े हैं जहाँ उनकी उपयोगिता नहीं है, उनको उपयुक्त स्थान पर लायेंगे। डेढ़ साल हो गया, अभी आप योजना बना रहे हैं ? अगर डेढ़ साल तक कार्यवाही करने की योजना बना रहे है तो उस पर अमल कब तक हो जायेगा तथा मानकों के अनुरूप डाक्टरों की तैनाती हो जायेगी ? दूसरे लगभग 5 महीने तक समस्त प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि स्वास्थ्य विभाग का कोई वजूद ही न हो। सारे डाक्टरों की तैनाती का मार्ग न्यायपालिका में चला गया और न्यायपालिका की आड़ लेकर के अधिकारियों द्वारा सारे विभाग को अस्त-व्यस्त किया गया, जिला अस्पताल दो-दो महीने तक खाली पड़े रहे। हाइकोर्ट ने मानक निर्धारित किया कि अगर किसी डाक्टर का इतना कार्यकाल है या उससे ज्यादा है तो उसका स्थानान्तरण कर दिया जाए भले ही उस मानक के अनुरूप दूसरे डाक्टर उपलब्ध हो या न हों। यह जो अन्तर्विरोध पैदा हो गया उसको दूर करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जयवीर सिंह--

एक तरफ तो आपका सवाल है कि सरकारी सेवाओं में डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं व नर्सिंग होम चला रहे हैं। जो एक ही स्थान पर 10 साल से तैनात थे उनको हटाने का निर्णय लेते हैं तो कहते हैं कि अव्यवस्था हो गयी।

श्री हुकुम सिंह--

अगर आप मेरा प्रश्न न समझे हों तो उसको दोहरा दूँ। मैं एक ही स्थान पर 5 साल या 10 साल से तैनात डाक्टरों को हटाने पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। मुझे उत्तर चाहिए, भाषण नहीं चाहिए।

एक मानक माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया और समय सीमा बांध दी कि इतने समय सीमा के बाद डाक्टर तैनात नहीं रहेंगे। आपका मानक यह हो गया कि जो डाक्टर जिस पद के लिए उपयुक्त है और अनुपयुक्त जगह पड़ा हुआ है तो उसको उपयुक्त जगह लाया जायेगा। इसके लिये कार्य योजना बना रहे हैं। एक तो दोनों में समन्वय कैसे स्थापित करेंगे ? दूसरे जो आपकी कार्ययोजना है उपयुक्त डाक्टरों की उपयुक्त स्थानों पर तैनाती की वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री जयवीर सिंह--

मान्यवर, जब-जब आप सत्ता में रहे तो आपने विशेषज्ञ और नान विशेषज्ञ का ख्याल नहीं रखा। पता चला कि जो विशेषज्ञ डाक्टर हैं, एम0डी0 हैं उसको तैनाती सुदूर क्षेत्र के पी0एच0सी0 में कर दी और वह सी0एम0ओ0 से सांठ-गांठ करके केवल अपना तनख्वाह लेता रहा और वह उस पी0एच0सी0 पर नहीं गया। हमने पहली बार निर्णय लिया है कि उसकी जरूरत जिला अस्पताल में है तो हम उसे वहां तैनात करेंगे। हम 31 मार्च तक विशेषज्ञ और नान विशेषज्ञ कैडर गठित करने जा रहे हैं। हम किसी काम को करने में विश्वास करते हैं, आश्वासनों में विश्वास नहीं करते। अप्रैल से जून के महीने तक हम तैनाती कर देंगे। जहाँ तक आपने कहा कि अव्यवस्था पैदा

हो गयी तो जब 10 साल से एक ही स्थान पर तैनात डाक्टरों को हटाने का निर्णय लिया गया, वह इसलिए लिया गया कि जो आप सबका अभिमत था कि जो डाक्टर लम्बे समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं और निजी प्रैक्टिस में लिप्त हैं, नर्सिंग होम चला रहे हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुये, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के हित में निर्णय लिया गया उसमें मा0 उच्च न्यायालय ने भी सरकार का सहयोग किया और इसे हमने व्यवस्थित करने का काम किया। हम आगामी सत्र में विशेषज्ञता और नॉन विशेषज्ञता के आधार पर तैनाती करने जा रहे हैं। हमने मूल जवाब में कहा था कि 31 मार्च तक विशेषज्ञ और नॉन विशेषज्ञ कैम्प को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। इससे ज्यादा तेज काम नहीं हो सकता।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं केवल मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूँ कि जो आप स्थानान्तरण और नियुक्ति करेंगे उसमें उनके कार्यकाल की अवधि तो बाधित नहीं होगी ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने अभी पिछली सरकार पर टिप्पणी की है, यह आपकी विशेषता है कि उस सरकार को आपने अपना माना और इस सरकार को भी अपना मान रहे हैं।

श्री जयवीर सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया चाहे निजी प्रैक्टिस का मामला हो, चाहे नर्सिंग होम चलाने का मामला हो, 25-25 साल से डाक्टर एक जगह तैनात रहते थे और तैनाती के स्थान से ही सेवानिवृत्त हो जाते थे। उस सरकार ने इस संबंध में अपनी नीति नहीं बनायी जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य चिकित्सा चौपट हो गयी और डाक्टर निजी प्रैक्टिस करते रहे, उन पर कार्यवाही नहीं की गई। माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरह से समाज की चिकित्सा के लिए सजग है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो मजलूम है उनको चिकित्सा सुविधा देने का इस सरकार ने मन बनाया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो पर्चा पहले 8 रुपये का था उसको 1 रुपया करने का काम किया है। शैया शुल्क माफ किया है, अस्पतालों में दवाओं की व्यवस्था की है जिससे कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। देहाती क्षेत्र में कुत्ता काटने और सांप काटने का इंजेक्शन उपलब्ध कराया है। कुत्ता काटने का इंजेक्शन जिला अस्पताल पर और सांप काटने का इंजेक्शन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। दवाओं के साथ-साथ हम टीकाकरण की व्यवस्था करा रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय जो वाराणसी में है वह बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल है। पूर्वांचल के लाखों लोग वहाँ चिकित्सा के लिए आते हैं। डायलिसिस की सुविधा के लिए वहाँ पर मशीन उपलब्ध नहीं थी। मैंने अपनी विधायक निधि से दो डायलिसिस मशीनें उपलब्ध कराईं। मशीनें लगी हैं इसी बीच में उच्च न्यायालय या कहिए कि राज्य सरकार की नीति के तहत जो वहां पर विशेषज्ञ डाक्टर थे उनका स्थानान्तरण हो गया। मैं सरकार से केवल इतना आश्वासन चाहता हूँ कि जनता के हित को देखते हुए वहाँ पर कोई विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह--

मान्यवर, पिछले हफ्ते ही एक सवाल आया था कि हम जिला अस्पताल में जो संसाधन और मशीनरी उपलब्ध है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर और जो सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जा रहे हैं। यह भी अवगत कराया था सरकार की ओर से कि इस साल जो सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीनें विभिन्न जनपदों को दे रहे हैं इसकी विस्तृत सूची मैंने पढ़कर सुनायी थी और यह भी बताया था कि विभिन्न मशीनें जो विभिन्न जनपदों को दे रहे हैं उनके संचालन के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे और संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे सरकार इस संबंध में पूरी तरह से सजग है संवेदनशील है कि जो भी मशीनें अस्पतालों में जायं उनका संचालन हो उन मशीनों की उत्पादकता हो और लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध हो सके।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मैंने एक विशेष अस्पताल के बारे में जानकारी चाही है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चौधरी साहब जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने डायलिसिस मशीन दी है उसके संचालन के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह--

मैं वही बात कह रहा था भूमिका तो बनानी पड़ेगी। इनके जमाने में तो विशेषज्ञ पी0एच0सी0 पर तैनात थे हम उनको लाकर मशीनों का संचालन कराएंगे। चौधरी साहब के यहाँ भी विशेषज्ञ भेज देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बड़ी सदाशयता पूर्वक कहा कि हम जिला स्तर के अस्पतालों के साथ-साथ पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 पर कुत्ता काटने की दवा और सांप काटने की दवा भेज रहे हैं मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो इंसान काट रहे हैं उसकी दवा कब तक भेजेंगे। एक बात मैं यह जानना चाहता हूँ दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि 30 हजार की आबादी जहाँ होगी वहाँ भी स्टेट हेल्थ क्षेत्र की सुविधाएं देंगे वहाँ पर डाक्टर तैनात करेंगे तो ऐसे तहसील मुख्यालय जहाँ तहसील के मरीज आते हैं और उनकी आबादी 30 हजार की नहीं है जैसे बांसी जो तहसील मुख्यालय है जहाँ का अस्पताल बनकर बसंतपुर चला गया है वहाँ पर हास्पिटल है तो बांसी में डाक्टर नहीं है तो क्या सरकार तहसील मुख्यालयों पर डाक्टरों की तैनाती करने पर विचार करेगी ?

श्री जयवीर सिंह--

सरकार के संज्ञान में ऐसा कोई पी0एच0सी0 या सी0एच0सी0 नहीं है जहाँ पर डाक्टरों की तैनाती न हो। हाँ मानक के अनुसार डाक्टर कम हो सकते हैं अगर कोई ऐसा अस्पताल पाल साहब बताएंगे तो उसको दिखवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी पाल साहब का कथन है कि तहसील मुख्यालय पर जहाँ सी0एच0सी0 बनी थी वह उठकर दूसरी जगह चली गई पाल साहब बांसी के बारे में बात कर रहे थे वहाँ का अस्पताल बसंतपुर में चला गया तो ऐसे तहसील मुख्यालयों पर विशेष रूप से बांसी में सी0एच0सी0 स्थापित करने के बारे में कोई नीति है ?

श्री जयवीर सिंह--

जो नीति है उसके अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित कर देते हैं और जो पी0एच0सी0 पर पद स्वीकृत होते हैं वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में समाहित हो जाते हैं। जो बांसी का मामला है उसको दिखवा लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

हाई कोर्ट से आदेश यह हुआ है कि जो डाक्टर 10 साल से ज्यादा एक जगह रहा है उसको दुबारा वहाँ पर तैनात न किया जाय अब हालत यह है आप मानक के अनुसार लाएंगे कैसे क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट थे वह 10 साल से अधिक समय से एक ही जगह तैनात थे उनको वहाँ से हटा दिया गया दुबारा वहाँ लाया नहीं जा सकता है और इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं तो फिर यह सारी चिकित्सा व्यवस्था चलेगी कैसे ? हड्डी के डाक्टर को बैठा दिया गया है किसी पी0एच0सी0 में और हार्ट के स्पेशलिस्ट को मलेरिया का इलाज करने के लिये बैठा दिया गया है और इसी तरह से डायलिसिस करने वाले एक्सपर्ट को किसी और जगह बैठा दिया गया तो यह जो हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम नीति बना रहे हैं, आप उस नीति को कैसे बना पायेंगे क्योंकि वे एक्सपर्ट 20 साल तक वहाँ पर रह चुका है और अब वह वहां पर कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं जा सकता है। जहाँ पर लैब है हार्ट की पूरी वहीं पर तो उसके विशेषज्ञ की जरूरत होगी। वहाँ पर तो किसी दूसरे को भेजा नहीं जा सकता और वह पहले वाला वहाँ पर 20 साल रह चुका है। तो यह जो अव्यवस्था है वह कैसे दूर होगी ? मान्यवर, आप मंत्री जी को मेरा प्रश्न समझा दें।

श्री जयवीर सिंह--

मैं आपकी भावना को बेहतर समझ रहा हूँ। हम उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। विशेषज्ञ का मतलब है कि जिसकी जहाँ पर जरूरत है उसको वहां तैनात करेंगे। जैसा हड्डी विशेषज्ञ है तो उसकी तैनाती जहाँ पर हड्डी वाले की जरूरत होगी वहीं करेंगे। हार्ट वाले को हार्ट वाली जगह पर तैनात करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल का कहना है कि हाई कोर्ट आपको निर्देश दिया है कि 10 साल जिनको एक जगह पर हो गये हैं उनको वहाँ से हटायेंगे। अगर आपको उन स्थानों पर उन्हीं की आवश्यकता होगी तो फिर तो आप उनको नहीं ला पायेंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह--

हाई कोर्ट ने ऐसी कोई बाध्यता नहीं लगाई। यह हो सकता है कि हड्डी का विशेषज्ञ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में है उसको जिला अस्पताल में कर देंगे। प्रदेश भर में जरूरत है, जिला अस्पताल में जरूरत है तो वहां कर देंगे। इसमें कहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश बाधित नहीं होंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, यह गंभीर प्रश्न था और मैं देख रहा था कि प्रमोद कुमार जी ने भी इस पर थोड़ा बैठे रहे लेकिन गंभीरता दिखाई थी। मान्यवर, दो प्रश्न थे। एक तो यह था कि जहाँ लैब्स प्रोवाईडेड हैं वहीं एक्सपर्ट डाक्टर्स का चयन होना चाहिए लेकिन हमारे सामने इसके अलावा एक और प्रश्न है। मान्यवर, बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत सारे जिला अस्पताल हैं। नेता विरोधी दल ने केवल लखनऊ का मुद्दा नजर रखकर यह प्रश्न किया। हमारे पास जो डाक्टर्स हैं उसमें अनगिनत एम0 डी0 और एम0एस0 हैं। उन्हें एक्सपर्ट मानते हैं जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री हैं जिन्होंने हड्डी में, न्यूरो में, हार्ट में विशेषज्ञ हैं जिन्होंने पी0एच0डी0 किया है। एक्सपर्ट वह तब ही माना जायेगा जब उसने ऐसे अस्पतालों में काम किया हो जहाँ काफी तादात में मरीज आते हों और उसने उन्हें देखा हो। ऐसे डाक्टर्स एक्सपर्ट माने जाते हैं। ऐसे भी बहुत से डाक्टर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन उन्हें मरीजों को देखने का तजुर्बा नहीं है, अच्छे नहीं माने जाते हैं, उन्हें अच्छे अस्पतालों में डिप्यूट नहीं किया जाता है।

यह बात बिल्कुल सही है कि कई-कई जगह पर डाक्टर्स ने बीस-बीस, बाइस-बाइस, पच्चीस-पच्चीस साल से अपना जमावड़ा कर रखा था। मेरे यहाँ तो कोई लेना नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी बड़े एक्सपर्ट की लेकिन 22-22, 24-24 साल से डाक्टर तैनात थे और उनका आलम यह हो गया था कि किसी मरीज से बात करना दूर किसी मरीज को देखते भी नहीं थे। जिनसे 500 रुपये फीस लेते थे उन्हें ही अस्पताल में देख लिया करते थे। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं हाई कोर्ट को कि जो आदेश सरकार लागू नहीं कर सकी वह हाई कोर्ट के आदेश से लागू किया जा सका। कितनी लैब हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, कितने एम0डी0ज0 हैं, कितने एम0एस0 हैं, आप देखें तो इनकी बहुत बड़ी तादात है जिनको इसमें लगाया जा सके। फायदा यह हुआ है कि लखनऊ में आप चाहें बलरामपुर अस्पताल चले जायें, मेडिकल कालेज की तो बात क्या है आप सिविल हास्पिटल में चले जायें, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चले जायें एक भी मरीज की अगर यह शिकायत मिल जाय कि हमको अमुक मर्ज था और हमको देखने के लिये अस्पताल में एक्सपर्ट डाक्टर नहीं थे। तब तो बात समझ में आ जाती है लेकिन एक भी ऐसी शिकायत नहीं है। एक्सपर्ट डाक्टर हैं जो 20--25 सालों से सैकड़ों की तादात में . . .।

श्री लालजी टण्डन--

प्रश्न के ऊपर वक्तव्य दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

इसमें नेता विरोधी दल को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि यह फायदे हुए हैं मैं आपकी बात को समझता हूँ आप सिर्फ लखनऊ की बात करना चाहते हैं आप पूरे प्रदेश की जनता पर नजर नहीं डालना चाहते हैं।

श्री लालजी टण्डन--

यह प्रदेश की राजधानी है सारे प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं। आप सिर्फ रामपुर की बात करना चाहते हैं। हमने ऐसा वातावरण बनाया है आप उसको सिर्फ बिगाड़ रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

जब सदन में एक प्रश्न है और मैं आपकी इजाजत से बोल रहा है। इत्तेफाक यह है कि मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ और मुझे उत्तर देने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी आपने उत्तर दे दिया।

श्री हुकुम सिंह--

संसदीय कार्य मंत्री हैं यह ठीक है लेकिन यह किसी को प्रिविलेज नहीं है कि वह हर प्रश्न का उत्तर दें।

श्री मोहम्मद अजम खां--

संक्षिप्त जवाब यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पताल उत्तर प्रदेश की तमाम जनता के लिए बने हैं। जनता जहाँ गई है उसे प्रदेश के डाक्टरों का लाभ मिला है। केवल लखनऊ की जनता का इलाज हो यह इनकी बात है पूरे प्रदेश की जनता का इलाज हो यह हमारी बात है।

प्रदेश में असंतुलित जन संख्या को नियंत्रित करने हेतु नीति बनाये जाने की मांग

*3--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुत्र एवं पुत्री के जन्म दर में अन्तर है ? यदि हां, तो कितना ? क्या असंतुलित जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

पुत्र एवं पुत्री के जन्म दर के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 0-6 वर्ष तक के बच्चों में 916 कन्याएं प्रति 1000 बालक हैं।

जनसंख्या में महिला एवं पुरुष के अनुपात में असंतुलन का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या है। इसकी रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून "गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम" वर्ष 1996 से प्रदेश में लागू है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से सरकार से गंभीर सवाल किया है। मान्यवर, जो सामाजिक कुरीति है उसके परिणामस्वरूप प्रदेश में लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। 1000 में 84 लड़कियां कम पैदा हो रही हैं लड़कों की अपेक्षा और सरकार ने इसको स्वीकार भी किया है। इसके कारण कन्या भ्रूण में कमी आई है। यह समाज पर कलंक है। हम आजादी के 58 वर्ष की यात्रा तय करने के बाद भी इस गंभीर समस्या का निदान करने में असफल रहे हैं। हम सरकार से इस समस्या का निदान चाहते हैं। जितने झोलाछाप डाक्टर हैं इसका एक कारण यह भी है। देहातों में तहसील के तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर नहीं हैं। झोलाछाप डाक्टर एबार्शन का कार्य धड़ल्ले से कर रहे हैं। मेरे तहसील में लेडीज डाक्टर नहीं हैं। मान्यवर, 2 तारीख को कुसम राजभर ओम सोना नर्सिंग होम, नगरा में एक महिला का आपरेशन करते हुए बच्चे की मृत्यु हो गई

तथा वह महिला अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इसी प्रकार जसलोक नर्सिंग होम और सेवा सदन नर्सिंग होम है, यह सभी नर्सिंग होम बी0ए0, एम0ए0 पास लड़के चलाते हैं और इन सभी को सी0एम0ओ0 मोटी रकम लेकर चलवाते हैं। मैं चाहता हूं सरकार इन तीनों नर्सिंग होम को बंद कराये और जो इनको संचालित करते हैं, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर कार्यवाई करे। क्या सरकार में प्रबल इच्छाशक्ति है कि वह महिलाओं को रोजार में गारण्टी दे दें जिससे इस तरह की हत्याएं रुक जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय सदस्य का बड़ा ही वैचारिक और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे हादसों की जितनी भी निन्दा की जाए, कम है, जो भी सरकारें हों, जितने कड़े कदम उठायें, वह कम है। लेकिन जो प्रश्न है, वह आपके सामने है और माननीय सदस्य ने जो सवाल इस वक्त जानना चाहा है वह शायद बिलकुल भिन्न है। यह क्योंकि भारत सरकार की स्कीम है और भारत सरकार की स्कीम के तहत ही इस पर काम होता है। मैंने आंकड़ा दे दिया है, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक जिन तीन नर्सिंग होम का हवाला दिया है, उसे दिखवा लेंगे, उसकी जांच करवा लेंगे, यदि ऐसा हुआ है तो कड़ी से कड़ी कार्यवाई होनी चाहिए, किसी तरह की कोई रियायत होनी ही नहीं चाहिए।

उ0प्र0 में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज व डेन्टल कालेजों द्वारा छात्रों से मनचाहे डोनेशन व शुल्क लिये जाने की जांच

*4--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में निजी क्षेत्र में कितने मेडिकल कालेज व डेन्टल कालेज खुले हैं ?, क्या इन मेडिकल कालेजों के छात्रों के प्रवेश में मनचाहा शुल्क व डोनेशन लेने की छूट है ? क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद के संतोष मेडिकल कालेज द्वारा इस वर्ष छात्रों के प्रवेश में मनचाहे तरह से डोनेशन व शुल्क लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह)--

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के 03 मेडिकल कालेज तथा 17 डेन्टल कालेज चल रहे हैं।

जी नहीं। शासनादेश संख्या-1979/71-3-03-142/96, दिनांक 15 जुलाई, 2003 द्वारा शिक्षण सत्र 2003-04 से निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में अधिकतम (रु0 1,55,000.00 रु0 (एक लाख पचपन हजार मात्र) तथा डेन्टल कालेजों में अधिकतम रु0 1,10,000.00 (रु0 एक लाख दस हजार मात्र) प्रति छात्र प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें सभी प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं, केवल छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क व प्रतिभूति सम्मिलित नहीं है। यह परामर्शित शुल्क है, यदि कोई कालेज इससे अधिक शुल्क निर्धारित करना चाहता है तो वह अपना प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री पी0 के0 सरीन की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रख सकता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यह जो समिति श्री पी0के0 सरीन की अध्यक्षता में गठित होना बताई गई है, यह समिति कब गठित हुई, क्या इस समिति को अधिक फीस या डोनेशन लेने के लिये अधिकृत किया गया है ? और इस समिति के गठन के बाद से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका निस्तारण कैसे किया गया ?

श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह--

मान्यवर, शासनादेश संख्या 1979/71-3-03-142/96, दिनांक 15 जुलाई, 2003 द्वारा शिक्षण सत्र 2003-04 से निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में अधिकतम् रु0 1,55,000.00 और डेन्टल कालेजों में अधिकतम् रु0 1,10,000.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है और यह समिति 14 अगस्त को गठित की गई थी। मान्यवर, फीस तो निर्धारित हो गई है लेकिन माननीय सदस्य को कहीं अगर पता चला है कि किसी छात्र या अभिभावक को किसी मेडिकल कालेज या डेण्टल कालेज में अधिक फीस देनी पड़ी है, बता दें, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई सरकार करेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, आप सहमत होंगे कि जो लड़का बढ़ी हुई फीस देकर पढ़ रहा होगा, क्या वह शिकायत करेगा ? मेरा मुख्य सवाल जो समिति के क्षेत्राधिकार का था, उसके बारे में मंत्री जी ने नहीं बताया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने समिति के बारे में बताया कि जो विद्यालय ज्यादा फीस रखना चाहें वह अपना प्रतिवेदन इस समिति के सामने रख सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह समिति छात्रों से अधिक फीस वसूलने या डोनेशन संबंधी शिकायतों के लिए भी अधिकृत है ? यदि है तो गठन से लेकर अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? और दूसरा प्रश्न कि जो शिकायतें प्राप्त हुयीं उसका क्या हुआ ?

श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह--

मान्यवर, शुल्क निर्धारण की तीन बैठकें अब तक हुयी हैं। पहली बैठक दिनांक 16-9-04 को कोरम के अभाव में नहीं हुयी। दूसरी बैठक दिनांक 17-1-04 को इसमें कार्यवाही नहीं हुयी और तीसरी बैठक में भी फीस बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया। अगर आपको शिकायत है तो आप लिखकर दे दें हम उस पर जांच कराकर कार्यवाही करेंगे। सरकार यह नहीं चाहेगी कि कोई भी मेडिकल कालेज या कोई भी डेण्टल कालेज छात्रों से ज्यादा फीस ले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह मेरा सवाल नहीं था।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझा रहा हूँ। मंत्री जी उनका कहना है कि जो समिति है, अगर कोई विद्यालय अपनी फीस बढ़ाना चाहता है तो वह उस समिति के समक्ष अपना प्रतिवेदन देंगे। आपका प्रश्न यह था कि क्या किसी ने प्रतिवेदन दिया ?

श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह--

नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

हो गया, अब प्रश्न का उत्तर आ गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

कोई शिकायत मंत्री जी को मिली है ?

श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह--

नहीं कोई शिकायत नहीं मिली है।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अभी आपने जवाब दिया कि ..

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर कोई छात्र या अभिभावक शिकायत नहीं करता है यदि आपके पास जानकारी है तो आप लिखकर दे दें तो फिर आगे कोई प्रश्न क्या रह जाता है ?

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि मेडिकल कालेजों में प्रतिछात्र 1 लाख 55 हजार और डेण्टल कालेजों में 1 लाख 10 हजार शुल्क निर्धारित है और इसमें छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क व परामर्शित शुल्क सम्मिलित नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 1 लाख 55 हजार और 1 लाख 10 हजार में जो शुल्क सम्मिलित किया गया है उसमें कौन-कौन से शुल्क हैं ?

श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना हम माननीय सदस्य को दे देंगे।

प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने हेतु नई नीति

*5--श्री रामकरन आर्य--

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है उनमें कितने प्रतिशत महिलाओं की संख्या है ? क्या मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने हेतु कोई नई नीति शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

अल्पसंख्यक, हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (हाजी याकूब)--

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में मुस्लिम की जनसंख्या 3,07,40,158 है, उनमें महिलाओं की जनसंख्या 1,47,11,596 है जो 47.86 प्रतिशत है।

प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने हेतु अलग से कोई नई नीति विचाराधीन नहीं है ?

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकरन आर्य--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके अनुसार मुस्लिम महिलाओं की संख्या 47.86 प्रतिशत है। तो इसमें मेरा पहला प्रश्न यह है कि इनमें कितनी महिलाएं शिक्षित हैं ?

और दूसरा प्रश्न यह है कि इसको दूर करने के लिये कि जो मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं जैसे जिन गांवों की आबादी में मुस्लिम की आबादी पूरे गांव की आबादी का 45-50-60 फीसदी है। मान्यवर, कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राथमिक विद्यालय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों या बेसिक शिक्षा अधिकारी के दबाव में आकर दूसरी जगह, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर न लगाकर, खुलवा दिया जाता है। तो क्या सरकार मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने पर विचार करेगी ?

हाजी याकूब--

मान्यवर, यह सवाल से अलग हटकर मालूम कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम औरतों को शिक्षित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। अभी कोई चीज विचाराधीन नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी तक कोई चीज विचाराधीन नहीं है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक विचाराधीन करने के लिए कोई कार्ययोजना बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें, हो गया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं। आप प्रश्न को देखें, माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि जो अनुपूरक प्रश्न किया गया है वह इससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं है और इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है, अनेकों स्कीमें चल रहीं हैं और विचाराधीन नहीं है कि जो स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने बनायी वह पहले से कार्यरत है और मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में बढ़ोत्तरी हो रही है।

*6--डा0 राम बाबू हरित [तीसरे सोमवार के तारां0प्र0सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में दूध में यूरिया की मिलावट की जांच

*7--श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दूध में यूरिया की मिलावट की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आपका आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-/105639/2004, दिनांक 2-8-04 प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह--

जी हां।

प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कार्यवाही की जायेगी या जांच हो रही है। उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया कि दूध के अंदर यूरिया कितने प्रतिशत मिला। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या-क्या मिलावटें पायी गयीं ?

श्री जयवीर सिंह--

मान्यवर, पी0एफ0ए0 अधिनियम के नियम 1955 के नियम 44 (एल) में यह व्यवस्था थी कि जो दूध के वास्तविक प्राकृतिक अवयव हैं यदि वह सम्मिलित नहीं हैं तो यह परीक्षण में तय किया जायेगा। उसमें अलग से कोई स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं है कि ग्लूकोज कितना होगा, यूरिया इत्यादि कितना होगा। लेकिन वर्ष 1999 में और 94 में समय-समय पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संज्ञान में यह आया कि व्यापक स्तर पर यूरिया की मिलावट करके यह बेचा जा रहा है तो इस संबंध में जो भारत सरकार से दिशा निर्देश मिलते रहते हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। जब बाद में व्यापक स्तर पर मिलावट की शिकायत आयी कि इसमें यूरिया या अन्य अवयव ज्यादा है तो उन सबको अलग-अलग आधार बनाकर यह तय कर दिया कि इससे ज्यादा होगा तो यह मिलावट की श्रेणी में आयेगा। जो आपने पत्र लिखा है, जो मानक तय हुआ है कि यूरिया 17 पीपीएम से ऊपर नहीं जायेगा, यह पाया गया और कार्यवाही नहीं हुई तो यह मूल प्रश्न है, मान्यवर, 17 पीपीएम से ज्यादा पाने पर कार्यवाही हुई है तो उसमें हम पत्र के आधार पर ए0डी0 को जांच अधिकारी बनाकर के जांच करा रहे हैं और अगर उसमें कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, कई व्यापारी हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है और आठ-आठ, दस-दस सालों से वह जेल में पड़े हुए हैं, जबकि अभी तक यह जांच नहीं हुई है कि कितने प्रतिशत दूध में प्राकृतिक यूरिया होनी चाहिए और कितने प्रतिशत यूरिया मिलावट वाले दूध में पाई गई है। तो बगैर उसकी जांच हुए इन व्यापारियों को जेल में कैसे डाल दिया गया ?

श्री जयवीर सिंह--

मान्यवर, जहां तक लोगों के जेल जाने का मामला है या उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की बात है तो रोजाना ही सदन में चर्चा होती है तथा हम और आप इसके लिए चिंतित भी हैं, जैसे ड्रापसी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें आपने नियम 56 के माध्यम से सूचना भी दी थी, तो इन सारे मामलों में नमूनों की जांच होती है और जांच में मिलावट पाए जाने पर हम उनके खिलाफ कर रहे हैं और आगे भी कार्यवाही की जाएगी। जहां तक आर0पी0 की जांच की बात है तो जिन व्यापारियों की आप बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की गई है तो उनके मिलावटी दूध में एक हजार पी0पी0एम0 तक यूरिया की बात आई है, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की है और उन्हें जेल भेजा गया है।

(इस समय 11 बजकर 48 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे एक कहावत है कि जैसा हम खायेंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। उस हिसाब से आज हमारे पशु जो भूसा, घास या चारा खा रहे हैं वह यूरिया से अधिक उत्पादित हो रहा है जिसकी वजह से भी उनके दूध में यूरिया का प्रतिशत बढ़ा है, तो क्या इस बात को ध्यान में रख कर दूध में प्राकृतिक यूरिया का प्रतिशत का परीक्षण कराया गया है ? और अगर इस तथ्य को ध्यान में रखकर प्राकृतिक दूध में यूरिया का प्रतिशत निर्धारित किया गया है तो क्या उस मानक के आधार पर जांच कराई जा रही है ? दूसरी बात, यह प्रश्न किस पशु के दूध से सम्बन्धित है, गाय के दूध से, भैंस के दूध से या भेड़ के दूध से सम्बन्धित है ? मेरा निवेदन है कि अधिक यूरिया से उत्पादित चारा खाने के बाद पशु के दूध में यूरिया का प्रतिशत क्या होगा ? और पी0एफ0ए0 ऐक्ट के आधार पर निर्धारित मानक के आधार पर दूध में यूरिया का प्रतिशत क्या होगा ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया था कि जिस तरह से आर्टीफिशियल दूध बनाने का मामला संज्ञान में आया है उसके बाद प्राकृतिक दूध और आर्टीफिशियल दूध में यूरिया का मानक निर्धारित कर दिया गया है, उसके दृष्टिगत दूध में मूल रूप से 17 पी0पी0एम0, अगर 100 एम0एल0 दूध में है तो मिलावट नहीं माना जायेगा और उसके ऊपर अगर पाया जाता है तो यह मिलावट की श्रेणी में आयेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पहले हमारे पशु देशी खाद से उत्पादित चारा खाते थे, तब उनके दूध में यूरिया का प्रतिशत बहुत कम था, अब अधिकतम उत्पादन यूरिया और अन्य रासायनिक खादों के आधार पर किया जाता है तो जाहिर है कि यूरिया से उत्पादित चारा खाने से पशुओं के दूध में यूरिया का प्रतिशत बढ़ेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि मिलावटी दूध का परीक्षण आज के जो अवयव है उनके मानकों के आधार पर हो रहा है या जो पुराना मानक है उसी के आधार पर ही परीक्षण किया जा रहा है ? तो हमारा मूल प्रश्न, यूरिया से उत्पादित चारा, पशुओं के खाने के बाद उनके दूध में यूरिया के प्रतिशत का है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है चाहे वह दूध में यूरिया की मात्रा का प्रतिशत अधिक होने की बात हो या सरसों के तेल में आरजमोन होने की बात हो। मान्यवर, एक भूसे और चारे की बात यहां कही गई है और बताया गया है कि यूरिया का प्रतिशत अधिक पाया जा रहा है। मान्यवर, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि यदि दूध में 17 पी0पी0एम0 की मात्रा तक मिश्रण है तो उसमें कार्यवाही नहीं होगी तो अगर मान लीजिए किसी में 80 पी0पी0एम0 है या किसी में 100 पी0पी0एम0 की मात्रा है तो उसमें क्या कार्यवाही होगी यह स्पष्ट हो जाना चाहिए ? मान्यवर, आप देखें 2000 पी0पी0एम0 तक मात्रा पायी जा रही है और उनके खिलाफ कार्यवाही होने की बात है तो क्या ऐसे लोगों को एन0एस0ए0 में भी निरुद्ध करने की कार्यवाही करेंगे ? मान्यवर, इस तरह की जो मिलावट की गतिविधियों में लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी ? अभी तेल में मिलावट के प्रकरण सामने आये हैं।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी को शायद संदेह है कि यूरिया की मात्रा 70 पी0पी0एम0 के बारे मे अपमिश्रण नियमावली, 1955 में मानक तय हुए थे। मान्यवर, जब यह संज्ञान में आया कि नकली दूध बेचा जा रहा है तो भारत सरकार ने वर्ष 2001 में निर्देश भेजे थे जिसमें यह मानक तय किये गये हैं। मान्यवर, जब हम यूरिया का प्रयोग फसल में करेंगे उससे फसल को ग्रो करेंगे तो उसमें नाट्रोजन होता है तो वह दूध में कहा से आ जायेगा। मान्यवर, 2001 से 2005 इन तीन साल में कहीं यूरिया का इतना बड़ा प्रचार तो हुआ नहीं कि उसका उपभोग बढ़ गया हो। मान्यवर, चार साल में दुबारा इसमें कहां संशोधन की जरूरत पड़ गई है।

मान्यवर, पाल साहब ने ड्राप्सी की बात कही मान्यवर, इसमें प्रदेश सरकार ने अपमिश्रण अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की है और एक सप्ताह के अन्दर जो नमूने लिये गये थे उनकी टेस्टिंग कराई गई और रिपोर्ट मिलने के तत्काल बाद सारे लोगों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 कराई गई है और एक के खिलाफ तो एन0एस0ए0 में भी कार्यवाही हुई है। मान्यवर, अपमिश्रण के सम्बन्ध में सरकार कहीं कोई समझौता नहीं करेगी और पूरी तरह से इस बारे में संवेदनशील है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी प्रश्नोत्तर के मध्य में हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री श्री किरन पाल सिंह ने एक पशु विशेष का नाम लिया जिसके दूध का सेवन वे आजकल कर रहे हैं। क्या वही आपके स्वास्थ्य का राज है, कृपया उस पशु विशेष का नाम बता देंगे जिससे सब जान जायें ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, राजस्थान में आपकी बिरादरी ऊंटनी का ही दूध पीती है।

श्री हुकुम सिंह-

वही नजर आ रहा है (हंसी)

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, प्रश्नकर्ता सदस्य डाक्टर लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी को प्रश्न का पूरा जवाब सुन लेना चाहिए था और वे चले गये यह अच्छी बात नहीं है और गम्भीर बात है आप इसका संज्ञान लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आपके द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर आ चुका है कि 2001 में भारत सरकार के पत्र के द्वारा जो मानक सूचित किये गये हैं उसके अनुसार आप परीक्षण कर रहे हैं। इसलिये मैं चला गया था और फिर आ गया।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, वर्ष 2001-2002 और 2003 में जो सैम्पुल भरे गये थे उसमें कई सैम्पुल फेल माने गये और मानक के आधार पर फेल हुए हैं जबकि उसके अन्तर्गत ही लोग 3 साल से जेल में बंद हैं। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का लिखित जवाब आया था कि हम जांच कर रहे हैं और यदि किसी मामले में गलती पाई गयी तो हम अधिकारियों को दंडित करेंगे। मान्यवर, जो जेल में गलत आधार पर सड़ रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, 2001 में जब से इसमें आधार मानक तय हुआ है यदि उस मानक के विपरीत कहीं कोई अभियोजन पंजीकृत है और उसमें कार्यवाही हुई है तो हम उसकी जांच कर रहे हैं और हमने लिखित जवाब में दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी अधिकरी के द्वारा यदि इस तरह की कोई गलत कार्यवाही की गई जांच में पाई जायेगी तो हम निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही करेंगे।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि दूध में यूरिया की मिलावट और अन्य तरह की मिलावट हो रही है जिससे पूरा सदन चिन्तित है और प्रदेश की जनता भी चिन्तित है तो क्या इसकी रोकथाम के लिये प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापक अभियान चलाने की घोषणा करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, पिछले जनवरी माह में जब प्रदेश में लखनऊ में ड्राप्सी का मामला आया था तो पूरे प्रदेश में व्यापक कार्यवाही की गयी थी। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि व्यापक अभियान चलाकर कहीं मामला पाया जाय तो कठोर कार्यवाही करें। मान्यवर, हम पूरे प्रदेश में अभियान चलाये हुए हैं।

जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने की मांग

*8-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ने पर)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि प्रश्न नहीं उठता है तो फिर अनुपूरक प्रश्न कहां आ जायगा ? आप अगला प्रश्न ले लीजिये।

डा0 सुशील चौधरी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में मेडिकल कालेज खोले जाने का क्या मानक है और यदि मानक मंडल स्तर पर खोले जाने का है तो सहारनपुर पिछले 10 वर्षों से मंडल बना चल रहा है तो सरकार कब तक सहारनपुर मंडल में मेडिकल कालेज खोलने पर विचार करेगी ?

श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह-

मान्यवर, इस प्रक्रिया के अन्तर्गत मेरठ की एक संस्था "नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर एजूकेशन सोसाइटी, मेरठ" को सहारनपुर में आदर्श बिजेन्द्र मेडिकल कालेज, गंगोह,

सहारनपुर के नाम से मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 6-10-2003 द्वारा जारी किया जा चुका है। उनको वहां खोलना है तो खोलेंगे और चलेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर खोलेंगे उन्होंने एक निजी ट्रस्ट के सम्बन्ध में बताया कि उनको एन0ओ0सी0 मिल गयी है और वह खोलने पर विचार कर रहे हैं। मान्यवर, यह सरकार ने स्वीकार किया है कि मेडिकल कालेज और निजी मेडिकल कालेज मंडल स्तर पर खुलते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ऐसे और पिछले मंडल हैं देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल हैं और जहां निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज ने एप्लाई नहीं किया है क्या सरकार वहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कालेज खोलने पर विचार करेगी ?

(श्री नरेश अग्रवाल के खड़े होने पर)

मान्यवर, जब मंत्री जी उत्तर देने जा रहे हैं तो यह क्यों खड़े हो जाते हैं ? मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठें।

श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह-

मान्यवर, मंडल में मानक कोई नहीं है लेकिन जहां जरूरत है अनापत्ति दे रहे हैं जहां तक माननीय पाल साहब ने प्रश्न किया तो अगर निजी क्षेत्र में कोई मेडिकल कालेज खोलने वाला पाल साहब का मिलने वाला हो तो उसे प्रोत्साहित कर लावें लेकिन खोलने के लिये और अपने बस्ती मंडल में खुलवायें अनापत्ति देने का काम सरकार तुरन्त करेगी, गोण्डा में भी खुलवायेंगे तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, क्या सरकार खुद खोलने पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष-

उन्होंने उत्तर दे दिया है।

केन्द्र सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में प्रदेश के लिये केरोसिन तेल का निर्धारित कोटा तथा गरीबी रेखा के नीचे व ऊपर बने राशन कार्डों पर प्रति यूनिट दिये जाने की व्यवस्था

*9-श्री राम नरेश यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में विगत चार वर्षों में प्रति वर्ष कितना किरोसिन तेल का कोटा निर्धारित किया गया था ? उसमें से कितना तेल प्राप्त हुआ ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे तथा ऊपर बने राशन कार्डों पर प्रति यूनिट कितने लीटर देने की व्यवस्था की गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

भारत सरकार द्वारा [illegible] चार वर्षों में प्रदेश को कुल 64,17,168 किलोलीटर मिट्टी तेल आवंटित किया गया [illegible] आवंटित मात्रा का कुल तेल प्राप्त हुआ है। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	आवंटन (के0एल0में)
2001-02	16,55,940
2002-03	16,20,540
2003-04	15,83,928
2004-05	15,56,760

मिट्टी का तेल ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 कार्डधारकों को उनके पास कुकिंग गैस कनेक्शन की उपलब्धता के आधार पर वितरित किया जाता है। जिन उपभोक्ताओं के पास एल0पी0जी0 कनेक्शन है उन्हें प्रतिमाह प्रतिकार्ड 03 लीटर तथा जिन उपभोक्ताओं के पास एल0पी0जी0 कनेक्शन नहीं है उन्हें प्रतिमाह प्रतिकार्ड 05 लीटर मिट्टी तेल दिया जाना निर्धारित है।

श्री राम नरेश यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है, उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि कुल 64,17,168 किलोलीटर मिट्टी का तेल आवंटित हुआ है, पिछले 4 साल में। वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 का आवंटन देखने से जो प्रतीत हो रहा है, वह यह है कि प्रतिवर्ष उसमें कमी आती जा रही है और सरकार के संज्ञान में यह बात है कि मिट्टी के तेल की खपत बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिजली की कमी है और छात्रों आदि को इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से जितना आवंटन हुआ है और जितना मिला है, उसमें आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की है ? यदि की है तो कितने किलोलीटर की मांग की गई है और कब की गई है और उसका परिणाम क्या रहा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अवगत है माननीय राम नरेश यादव जी, कि यह भारत सरकार से प्राप्त होता है और भारत सरकार से वर्तमान में प्रदेश को राष्ट्रीय औसत 8.79 किलोग्राम पर कैपिटा की अपेक्षा 7.29 किलोग्राम पर कैपिटा मिट्टी का तेल आवंटित हो रहा है जो कि 1.49 प्रतिशत कम है। मान्यवर, इसी कारण यह परेशानी खड़ी होती है और इसी बिना पर सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वह इस कमी को देखते हुए, इस तरह से बंटवारा करें कि समाज में कोई अव्यवस्था पैदा न हो। स्कूल, कालेज वगैरह को मिलने वाले तेल में इस तरह से कटौती की जाय, जिसमें कोई परेशानी सामने न आये। लेकिन जहां तक मानक का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार बराबर भारत सरकार से इस बात की मांग कर रही है कि जो तेल की कटौती की जाती है, वह खत्म की जाय, वह हमें मिलना चाहिए और अधिक मिलना चाहि[illegible] क्योंकि हमारे गुरबत की बिना पर मांग ज्यादा है।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सरकार का कर्तव्य है, प्रयास करना चाहिये। लेकिन मेरा जो प्रश्न था कि कितने किलोलीटर की मांग भारत सरकार से प्रदेश सरकार ने की है और कब की है, उसका रिजल्ट क्या रहा, वह जवाब नहीं आया ? देखा यह जा रहा है कि कालाबाजारी के आधार पर बाजार में मिट्टी का तेल 20, 25, 30 रुपये लीटर के हिसाब

से मिल रहा है, इससे लोग परेशान हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि कब सरकार की तरफ से पत्र केन्द्र सरकार को भेजा गया था और कितने किलोलीटर की डिमान्ड की गयी थी, उसका परिणाम क्या रहा, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने जैसा अर्ज किया कि 1.49 किलोग्राम पर केपिटा मिट्टी का तेल कम प्राप्त हो रहा है और यह बिल्कुल मोटी सी बात है कि जो कम प्राप्त हो रहा है अभी तक उस कमी को ही पूरा नहीं किया गया। तो सबसे पहले मांग हमारी यह रही है और इस सम्बन्ध में अनेकों पत्र गये हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि कब-कब भेजे गये हैं तो यह सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी। इसलिये पहले तो जो कम मिल रहा है, वह पूरा होना चाहिये, इसी के साथ बराबर हमारी यह मांग है कि तेल की उपलब्धता बहुत कम है तेल का कोटा बढ़ना चाहिए, इसके लिए बराबर हमारा प्रयास जारी है।

(माननीय सदस्य डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर और श्री प्रमोद कुमार के एक साथ खड़े होने पर)

श्री प्रमोद कुमार--

हां, मान्यवर, पहले आप पूछ लें, क्योंकि आप नाराज हो जायेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

उपाध्यक्ष जी, यह सरकार छात्रों और युवाओं के हित की बहुत बात करती है। प्रदेश के अन्दर लाखों की संख्या में छात्र विभिन्न स्थानों पर पढ़ते हैं, इलाहाबाद में भी हजारों की संख्या में छात्र रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार छात्रों को अलग से तेल देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह व्यवस्था पहले से है कि छात्रों को, स्कूलों को, कालेजों को और अस्पतालों को केरोसिन तेल की व्यवस्था अलग से की जाती है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछूंगा, मेरी पहली जिज्ञासा यह है कि माननीय मंत्री जी योग्य हैं, विद्वान हैं, लेकिन जिस प्रकार से वह लड़खड़ाते हुए उत्तर दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इन चीजों का एक मात्र कारण यह है कि माननीय मंत्री जी इसके लिए तैयार नहीं हैं और इसका कारण है कि यह उनका विषय नहीं है। मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या माननीय मंत्री जी ने आपको लिख करके दिया है कि मेरे स्थान पर आजम खां साहब इसका उत्तर देंगे ? और अगर ऐसा नहीं है तो मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये। क्योंकि राम नरेश यादव जी का सीधा सवाल है कि केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार ने कितने तेल की मांग की और कब की ? यदि आपके पास लिखित में नहीं आया है तो कृपया इस महत्वपूर्ण प्रश्न को स्थगित कर दें क्योंकि यह सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं है। जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है, वह माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षर से नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए अगर उत्तर हो तो उसे दिलवा दीजिए, नहीं तो इस प्रश्न को कृपया स्थगित कर दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का जवाब भी दिया जा चुका है, सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न का भी जवाब दिया जा चुका है। लेकिन प्रमोद कुमार जी का जो प्रश्न है, वह प्रश्न की मूलधारा से हटकर है। चूंकि एक ही जनपद का मामला है, इसलिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, स्थानीय विधायक होने की बिना पर। मान्यवर, मेरे समक्ष यह पत्रावली है, मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए जो पत्र मिला था, उसे मैं पहले ही पीठ तक पहुंचा चुका हूं। वैसे भी आप मेरे अधिकारों में कटौती न करें, तो अच्छा है। हर महीने 30 हजार किलोलीटर की हमारी मांग है, हमें और ज्यादा दिया जाये, इसके लिए बराबर पत्र लिखे जा रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, पत्रों की तारीख बता दी जाए कि किन तारीखों में पत्र लिखे गये हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, 1.49 प्रतिशत की कटौती भारत सरकार की ओर से हो रही है। पहले हमारी कोशिश यह है कि जो कटौती भारत सरकार की ओर से हो रही है और जिसकी वजह से हम तेल नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, इसमें मेरा निवेदन है नेता कांग्रेस से कि वह भारत सरकार से सिफारिश करके उत्तर प्रदेश की होने वाली इस उपेक्षा को खत्म करायें। पहले हमारी यह कटौती खत्म हो तो हमारी कुछ हिम्मत बढ़े इसके लिए हम नेता कांग्रेस से दरख्वास्त करेंगे कि पहले जो हमारा अधिकार है, वह हमें दिलवा दें, उसके बाद आगे की बात की जाएगी।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे निरन्तर प्रयास के बाद वह तारीख नहीं आ पा रही है। क्योंकि वह तारीख कांग्रेस से सम्बन्धित नहीं है, वह आपके मित्रों से सम्बन्धित है। यह है वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005। हमारा सिर्फ यह कहना है कि केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्री शरद पवार जी ने संसद में यह कहा है कि जितनी मांग की गयी है, उतना दिया जा रहा है। मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी है कि आपने भारत सरकार से मांग कब की ? वह तारीख और पत्र सदन के पटल पर रख दें।

(इस समय 12 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अगर कहें तो मैं प्रश्न दोहरा दूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

पीठ आपसे ज्यादा ज्ञानी है। मेरे जवाब से आपका उत्तर समझ जायेंगे। यह कहकर केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि यह किसके जमाने का है। जिन दलों की सरकार केन्द्र में है, उन्हें भी काफी दिन हो गये हैं। हालांकि हमें भी पौने दो साल हो गये हैं लेकिन नेता कांग्रेस हमारी सिफारिश करे और भारत सरकार से जो तेल की कटौती हो रही है उसको दिलवाने का काम करें।

श्री प्रमोद कुमार--

मेरे बारम्बार इस अनुरोध के बाद भी मंत्री जी तिथि नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने कब मांग की ? केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्री जी का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मांग नहीं रही है। मेरा

जिज्ञासा सिर्फ इतनी है कि अगर प्रदेश सरकार ने पत्र भेजा तो कब भेजा और भेजा तो कितनी मात्रा में तेल की मांग की। अगर मंत्री जी के पास सूचना नहीं है तो इसे स्थगित कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हर सदस्य का अलग मिजाज होता है। माननीय तिवारी जी की जिन्दगी में पत्रों का आदान-प्रदान रहा है। उन्हें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि पत्र गया और उसका उत्तर आया, इससे उनका मतलब नहीं होना चाहिए कि कब गया और कब आया, इससे उन्हें क्या लेना देना ?

*10--श्री रणवीर राणा--

[4थे सोमवार के तारां0 प्र0 सं0 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ में सरसों के तेल में आर्जीमोन की मात्रा पाये जाने की जांच

*11--श्री जगदीश नारायण राय (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2005 से लेकर 15 जनवरी, 2005 तक लखनऊ में सरसों के तेल के कुल कितने नमूने लिये गये और उनमें से कितने नमूनों में आर्जीमोन की कितनी मात्रा पायी गयी ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जनवरी, 2005 से लेकर दिनांक 15 जनवरी, 2005 तक तेल के कुल 41 नमूनें लिये गये तथा जांचोपरान्त कुल 06 नमूनों में आर्जीमोन होने की पुष्टि हुई है। आर्जीमोन की मात्रा का विवरण निम्नवत् है :--

(क) 01 नमूनें में 500 पी0 पी0 एम0 से अधिक मात्रा में आर्जीमोन पाया गया।

(ख) 03 नमूनों में 200 पी0पी0एम0 से अधिक किन्तु 500 पी0पी0एम0 से कम मात्रा में आर्जीमोन पाया गया।

(ग) 02 नमूनों में 50 पी0पी0एम0 से अधिक किन्तु 100 पी0पी0एम0 से कम मात्रा में आर्जीमोन पाया गया।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (प्रथम), लखनऊ के न्यायालय में अभियोजन दायर किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त दोषियों के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 272, 273 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के आधुनिकीकरण की मांग

*12--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बतलायेगी कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के आधुनिकीकरण की क्या कोई योजना बनायी गयी है। यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब--

जी हां।

मदरसा/मकतब आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मदरसों/मकतबों में परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय आदि की शिक्षा देने हेतु मदरसा आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। पूर्णरूपेण केन्द्र पुरोनिधानित इस रोजगारपरक योजना के अन्तर्गत हिन्दी, गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान पढ़ाने के लिये प्राथमिक स्तर पर शिक्षक नियुक्त करने हेतु पूरे वर्ष के लिये रु0 3,000 की दर से वेतन अनुदान तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षक हेतु पूरे वर्ष के लिए रु0 4,000 प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता है। मदरसों के पुस्तकालयों को सुदृढ़ किये जाने हेतु एक मुश्त रु0 7,000 प्रति विद्यालय को अनुदान स्वीकृत किये जाने का भी प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा 683 संस्थाओं को योजना में लिया जा चुका है। मदरसे में 40 से अधिक छात्र होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना को सुदृढ़ बनाने हेतु माध्यमिक स्तर के मदरसों/मकतबों में यह योजना संचालित करने के लिये शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। अब तक 4430 शिक्षकों के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 30 भा0स0/52-3-2001- 33(2)-2001, दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आय-व्ययक में खाद्य निरीक्षकों के वेतनमान त्रुटिपूर्ण दर्शाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*13-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के आय-व्ययक में राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों के विवरण विषयक खण्ड-6 (अप्रैल, 2003) की स्थिति के अनुसार खाद्य निरीक्षकों का वेतनमान रु0 5000-8000 दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या खाद्य निरीक्षकों को उक्त वेतनमान उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो विधान मण्डल के समक्ष गलत सूचना प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं तथा सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

गलत सूचना भेजने के लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 547 सेल-5/पाच-05-01 वि0स0/05, दिनांक 10-3-2005 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कौशल किशोर-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह सवाल था कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के आय-व्ययक में राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों के विवरण विषयक खण्ड-6 (अप्रैल, 2003) की स्थिति के अनुसार खाद्य निरीक्षकों का वेतनमान रु0 5000-8000 दर्शाया गया है ? उसका जवाब दिया गया कि--जी हां। मेरा दूसरा प्रश्न था कि यदि हां, तो क्या खाद्य

निरीक्षकों को उक्त वेतनमान उपलब्ध कराया जा रहा है ? इसका उत्तर दिया गया कि--जी नहीं। जब आय-व्ययक विवरण में दर्शाया गया तो वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है ? अन्त में आपने लिखा है कि गलत सूचना भेजने के लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 54/सेक-5/पांच-05-01 वि0स0/05, दिनांक 10-3-2005 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि खाद्य निरीक्षकों के वेतनमान के सम्बन्ध में गलत सूचना देने के सम्बन्ध में कौन-कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं, उनका खुलासा करने का कष्ट करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, खाद्य निरीक्षकों का वेतनमान रु0 4500-7000 है। लिपिकीय त्रुटि की वजह से रु0 5000-8000 अंकित कर दिया गया था, तो गलती थी उसका भूल सुधार किया गया। इसमें सम्बन्धित बाबू या वित्त नियंत्रक जो भी दोषी थे, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिये शासन को लिख दिया गया है तथा महानिदेशालय स्तर पर जो कार्रवाई होनी थी वह कर दिया गया है। खाद्य निरीक्षकों को रु0 4500-7000 का वेतनमान मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

आयुर्वेदिक औषधियों को मानक के अनुसार निर्मित करने एवं उसकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग

14 डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक औषधियों को मानक के अनुसार निर्मित करने एवं उनके परीक्षण हेतु कोई प्रयोगशाला प्रदेश में स्थापित है ? यदि हां, तो क्या वह प्रयोगशाला भारत के ड्रग एवं कास्मेटिक ऐक्ट के अधीन एवं जी0 एम0 पी0 मानकों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु उसके स्तर में सुधार करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

जी हां।

ड्रग एण्ड कास्मेटिक ऐक्ट, 1940 एवं रूल्स 1945 में उल्लिखित जी0एम0पी0 मानक वे प्रयोगशाला के मानक राजकीय विश्लेषक आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि प्रयोगशाला के लिये नहीं है।

सुधार का प्रयास जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

15-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

[5वें शुक्रवार के तारां0 प्र0 सं0 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय

*16--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार वर्ष 2005 में मौलाना मुहम्मद अली जौहर के नाम पर प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या होगा ? क्या उक्त नाम से विश्वविद्यालय खोलने हेतु प्रदेश सरकार ने गत विधान सभा सत्र में 30 नवम्बर, 2004 को एक विधेयक पारित किया था ? यदि हां, तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का क्या औचित्य है ?

हाजी याकूब--

मुहम्मद अली जौहर के नाम से रामपुर में एक निजी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना करने उसका निगमन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए मुहम्मद अली जौहर विधेयक, 2005 पुरः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2004, दिनांक 30 नवम्बर, 2004 को विधान सभा द्वारा पारित किया गया।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित करने और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से जौ क्षेत्र में उक्त विश्वविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

अतारांकित प्रश्न

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 में वर्तमान अध्यक्ष द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं, अवैधानिक नियुक्तियों की जांच

1--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 के वर्तमान अध्यक्ष को वित्तीय अनियमितताओं, अवैधानिक नियुक्तियों के सम्बन्ध में जांचोपरान्त शासन द्वारा चेयरमैन पद से हटाये जाने के आदेश दिनांक 13-8-2004 को निर्गत किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश प्रदान करते हुये नियमानुसार जांच कराने के आदेश दिनांक 28-9-04 को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जांच करा ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

जी हां।

जी हां।

शासनादेश संख्या 911-सी0एम0/71-2-2005-383/97, दिनांक 04-02-2005 द्वारा निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उ0 प्र0, लखनऊ को जांच के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण निदेशालय द्वारा विभागीय संस्थाओं में विभिन्न कला प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जांच

2--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय महिला कल्याण द्वारा अक्टूबर, 1999 से दिसम्बर, 1999 के मध्य विभागीय संस्थाओं में काष्ठ कला प्रशिक्षक, व्यायाम प्रशिक्षक, बेंत कला प्रशिक्षक के पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या उक्त चयनित कर्मचारियों के शैक्षिक एवं प्राविधिक प्रमाण-पत्र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त नियुक्तियों को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उक्त अवधि में काष्ठ कला प्रशिक्षक के पद पर शून्य, व्यायाम प्रशिक्षक पद पर 04 तथा बेंत कला प्रशिक्षक पद पर 13 नियुक्तियां की गई हैं।

नियुक्त किये गये कार्मिकों के शैक्षिक एवं प्राविधिक प्रमाण-पत्र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने की पुष्टि के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। अतः उक्त प्रमाण-पत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं से जारी हुए या नहीं, की जांच कराने के आदेश निदेशक, महिला कल्याण को दिये गये हैं।

जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के नगरपालिका, बांसी में पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को न हटाये जाने की मांग

3--श्री जय प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पंजीकृत पत्र संख्या 56-57/04-05, दिनांक 27-1-2005 जो नगरपालिका, बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को न हटाये जाने के सम्बन्ध में है, क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

निर्धारित नीति के दृष्टिगत किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेंसरी, लखनऊ की वर्ष 2001-2002 की महालेखाकार, इलाहाबाद द्वारा कराई गई आडिट में पायी गयी अनियमितताएं

4--श्री रामकरन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेंसरी, लखनऊ की वर्ष 2001-2002 की महालेखाकार, इलाहाबाद द्वारा कराई गई आडिट में अनियमितताएं पाई गयी थीं,

जिस पर विभाग को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो अनियमितताओं में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी, लखनऊ के लेखा अवधि 6/2001 से 3/2002 महालेखाकार द्वारा माह अप्रैल, 2002 में सम्पादित किया गया था। महालेखाकार द्वारा अपनी सम्प्रेक्षा आख्या में कतिपय आपत्तियां व्यक्त की गयी हैं, जिनके सम्बन्ध में अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी द्वारा अनुपालन आख्या महालेखाकार को उपलब्ध करा दी गयी है। महालेखाकार द्वारा अनुपालन आख्या के निरीक्षणोपरान्त अंतिम रूप से जो वित्तीय अनियमिततायें सूचित की जायेंगी, उनके अनुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के जिला अस्पताल में डाक्टरों के स्थानान्तरण की मांग

5--श्री मोख्तार अन्सारी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल गाजीपुर में डाक्टर दम्पति डा0 एस0 के0 लाल व डा0 पूनम श्रीवास्तव व डा0 ए0 के0 पाण्डेय व डा0 डी0 डी0 गुप्ता कितने वर्षों से जनपद में तैनात हैं ? क्या माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में क्या सरकार उपरोक्त जनपद के डाक्टरों को जो जनपद में 10 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं, को स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

डा0 एस0 के0 लाल व डा0 पूनम श्रीवास्तव, जिला अस्पताल, गाजीपुर से स्थानान्तरित किये जा चुके हैं। डा0 ए0 के0 पाण्डेय 13 वर्ष से तथा डा0 डी0 के0 गुप्ता (डी0 डी0 गुप्ता नहीं) 17 वर्षों से कार्यरत हैं।

जी हां, डा0 डी0 के0 गुप्ता जो विकलांग होने के कारण स्थानान्तरण नीति में नहीं आते हैं, को छोड़कर।

डा0 ए0 के0 पाण्डेय को जिला अस्पताल, गाजीपुर से किये गये उनके स्थानान्तरण के विरुद्ध प्राप्त स्थगन आदेश के वैकेट हो जाने पर तथा अन्य मामलों में यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में नये स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की मांग

6--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद, जनपद लखनऊ में नये स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-11-2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

निर्धारण नीति के दृष्टिगत किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

विमुक्त जाति चमरमंगता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने की मांग

7--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विमुक्त जाति चमरमंगता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

जी नहीं।

चमरमंगता जाति को भोटिया जनजाति की उपजाति के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने की मांग के दृष्टिगत निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ से सर्वेक्षण कराया गया। संस्थान द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण आख्या में चमरमंगता जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

जनपद बलिया में अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के कार्डों का वितरण मानक के अनुसार कराये जाने की मांग

8--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में वर्ष 2004-05 में कितने अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना एवं गरीबी रेखा के कार्डों का वितरण कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि गांव सभाओं एवं नगर पंचायतों के अनुसार कार्डों का वितरण मानक के अनुसार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के कार्डों का नये सिरे से वितरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया')--

बलिया जनपद में वर्ष 2004-05 में संशोधित निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अन्त्योदय के 19256 कार्डों का वितरण कराया गया है। वर्ष 2004-05 में अन्नपूर्णा एवं गरीबी रेखा के नीचे के किसी कार्ड का वितरण नहीं कराया गया है।

गांव सभाओं एवं नगर पंचायतों के अनुसार कार्डों का वितरण मानक के अनुरूप ही किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, ग्राम अरैला, तहसील पट्टी के नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में लगायी गयी घटिया सामग्री की जांच

9--श्री लाल बहादुर यादव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम अरैला, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में घटिया सामग्री लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र भवन की जांच टेक्निकल आडिट सेल द्वारा कराकर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं । इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, आगरा, कानपुर, मथुरा, इलाहाबाद में शिशु सदन खोले जाने की मांग

10--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद लखनऊ, आगरा, कानपुर, मथुरा, इलाहाबाद में शिशु सदन खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय लेकर शिशु सदन खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

भारत सरकार की सहमति से प्रदेश के पांच जनपदों (लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, रामपुर, मथुरा) में शिशु गृहों की स्थापना की जा चुकी है।

जनपद कानपुर में शिशु गृह की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद तेज बहादुर सप्रू अस्पताल स्थित टी0 बी0 क्लीनिक में एक्सरे मशीन की व्यवस्था

11--श्री उज्ज्वल रमण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में स्थित टी0 बी0 क्लीनिक में क्षय रोगियों के उपचार हेतु एक्सरे मशीन की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में एक्सरे मशीन की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

जी हां।

शीघ्र व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद तेज बहादुर सप्रू हास्पिटल में क्षय रोगियों के उपचार हेतु नि:शुल्क दवा की व्यवस्था

12--श्री उज्ज्वल रमण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू हास्पिटल में क्षय रोगियों को उपचार हेतु टी0 बी0 क्लीनिक से नि:शुल्क दवा दी जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 2003-04 में कितने मरीजों को नि:शुल्क दवा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

8628।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा विधवा तथा वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में वृद्धि की मांग

13--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार विधवा तथा वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन/अनुदान योजनान्तर्गत दी जाने वाली पेंशन की राशि रु0 125 से बढ़ाकर रु0 150 प्रतिमाह दिनांक 1-4-2005 से किया जाना प्रस्तावित है। वृद्धावस्था पेंशन की दरें रु0 125 से बढ़ाकर रु0 150 प्रतिमाह दिनांक 1-4-2003 से की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरदोई, ग्रा0/पो0 बड़ागांव निवासी स्व0 श्री राम सिंह पत्नी श्रीमती देवकी को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की मांग

14--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उनके कैम्प कार्यालय में दिनांक 05-08-2004 को श्रीमती देवकी धर्मपत्नी स्व0 श्री राम सिंह, निवासी ग्रा0/पो0 बड़ागांव, तहसील सदर, जिला हरदोई का आवेदन-पत्र वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु विधान सभा सदस्य मा0 गंगा भक्त सिंह के उपरिपत्र के साथ तथा जिसे कैम्प कार्यालय से पत्र सं0 1554/वी0 आई0 पी0/2004, दिनांक 10-8-2004 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को भेजा गया था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रार्थिनी को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां।

मा0 विधायक श्री गंगा भक्त सिंह के पत्र दिनांक 5-8-04 में श्रीमती देवकी पत्नी स्व0 राम सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट बूढ़ागांव, जनपद हरदोई अंकित है, बढ़ा गांव नहीं।

जी नहीं।

जांच में यह पाया गया कि श्रीमती देवकी पत्नी स्व0 श्री राम सिंह नाम की कोई महिला ग्राम व पोस्ट बूढ़ागांव, वि0ख0 हरियावां, जिला हरदोई में निवास नहीं करती है।

जनपद शाहजहाँपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पल्स पोलियो कार्यक्रम में प्राप्त तथा व्यय की गयी धनराशि

15--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहाँपुर के कार्यालय में पल्स पोलियो कार्यक्रम में दिनांक 1-4-2000 से 1-2-05 तक कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा जनपद शाहजहाँपुर के किस-किस सामु0 स्वा0 केन्द्र तथा स्वास्थ्य केन्द्र में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कि विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सीतापुर में अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु निर्मित छात्रावास में छात्राओं को प्रदान की गयी सुविधायें

16--श्री राम हेत--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद सीतापुर शहर में अनु0 जाति की छात्राओं के लिए निर्मित छात्रावास को संचालित कर छात्राओं के रहने हेतु सभी सुविधायें प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हाँ।

जनपद सीतापुर शहर में अनु0 जाति की छात्राओं के लिए निर्मित छात्रावास को संचालित कर छात्राओं के रहने हेतु तखत, अतिरिक्त विद्युत व्यवस्था आदि तथा दो चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी एवं सुरक्षा हेतु दो महिला होमगार्ड की व्यवस्था कर दी गयी है। अन्य सुविधाओं की व्यवस्था विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति

17--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कितने खाद्य निरीक्षक नियुक्त हैं और केवल मध्य विधान सभा क्षेत्र में कितने खाद्य निरीक्षक नियुक्त हैं और इन खाद्य निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2003-2004 एवं जनवरी, 2005 से 09 फरवरी, 2005 तक खाद्य पदार्थों के कितने नमूने भरे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के अधीन एक मुख्य खाद्य निरीक्षक तथा 07 खाद्य निरीक्षक एवं नगर निगम, लखनऊ में कुल 10 खाद्य निरीक्षक कार्यरत हैं। नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ द्वारा खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। मध्य विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम के 02 खाद्य निरीक्षक तैनात हैं। नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग के अधीन तैनात खाद्य निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2003 में कुल 270 नमूने तथा वर्ष 2004 में कुल 339 नमूने तथा जनवरी, 2005 से 09 फरवरी, 2005 तक कुल 18 नमूने भरे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में राजकीय चिकित्सालय में ड्राप्सी मरीजों की चिकित्सा हेतु पृथक् रूप से चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था

18--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के राजाजीपुरम् वार्ड में स्थित बी-ब्लाक में हैदर कैनाल क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में पाये गये ड्राप्सी मरीजों की चिकित्सा हेतु किसी एक राजकीय चिकित्सालय में पृथक् रूप से चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के अंतर्गत ड्राप्सी के सर्वेक्षण, निदान, उपचार व रोकथाम हेतु प्रो0 सी0 जी0 अग्रवाल की अध्यक्षता में 09 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में ड्राप्सी के भर्ती मरीजों को नि:शुल्क शय्या, समस्त जांचें, उपचार, औषधियां नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में करोड़ों के खाद्यान्न घोटाले की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

19--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 2005 में प्रकाश में आई बलिया जनपद में करोड़ों के खाद्यान्न घोटाले की जांच किस एजेन्सी से करायी जा रही है ? उक्त जांच के आधार पर कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया"--

माह जनवरी, 2005 में कोई खाद्यान्न घोटला प्रकाश में नहीं आया है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से करायी जा रही है।

अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांचोपरांत ही जांच के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही संभव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खम्हरिया नौडीहा वि0 खं0 बभनजोत गोण्डा के भवन निर्माण के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

20--श्री राम प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सराय खास विकास खण्ड रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खम्हरिया नौडीहा वि0 खं0 बभनजोत, गोण्डा के भवन निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मढ़ाबुजुर्ग वि0 खं0 बभनजोत, गोण्डा का भवन निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सराय खास विकास खण्ड रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर का भवन निर्माण कार्य जून, 2005 तक एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खम्हरिया नौडिहा, विकास खण्ड बभनजोत, गोण्डा का भवन निर्माण कार्य दिसम्बर, 05 तक पूर्ण करने का आश्वासन निर्माण एजेन्सी द्वारा दिया गया है।

जिला अनुश्रवण समिति से परिव्यय एवं नाम का अनुमोदन एवं नि:शुल्क उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति से 8000-13500 वेतनमान वाले अधिकारियों की तैनाती

21--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति से 8000--13500 के वेतनमान वाले अधिकारियों की तैनाती दी जाती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गोण्डा एवं बहराइच जिलों में कम वेतनमान के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या नियम विरुद्ध तरीके से तैनात इन न्यूनतम वेतनमान के अधिकारियों को मूल विभाग वापस किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

जी हां।

जी हां।

उ0 प्र0 बाल विकास परियोजना परिषद् की कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार चयन समिति की दिनांक 9-6-2003 को हुई बैठक में अन्य अधिकारियों के साथ वेतनमान रु0 5000--8000 के प्रश्नगत अधिकारियों का भी चयन जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यहित में किया था। परियोजना की अवधि (30 जून, 2005 है) की समाप्ति पर इन्हें उनके मूल विभाग को वापस कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

श्री गाँधी आश्रम सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ के बकाये के भुगतान संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

22--श्री काशीराम--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के पत्र संख्या 6186, दिनांक 13-11-03, पत्र संख्या 2445, दिनांक 5-7-04 एवं पत्र संख्या 4200, दिनांक 4-8-04 जो निदेशक आयुर्वेद यूनानी सेवायें, उ0 प्र, लखनऊ को संबोधित जो क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ को बकाया का भुगतान से संबंधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

जी हाँ।

पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया था, जिसके संबंध में वित्त विभाग द्वारा की गयी पृच्छाओं का उत्तर निदेशक, आयुर्वेद से प्राप्त कर प्रस्ताव पुन: वित्त विभाग को संदर्भित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के जिलों में नये राशन कार्डों को मुद्रित कराकर वितरित करने का निर्णय

23--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिलों में नये सिरे से नये राशन कार्डों को मुद्रित कराकर वितरित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था क्या है तथा इसे लागू करने के क्या कारण हैं ? प्रदेश में कितने राशन कार्ड मुद्रित करने का लक्ष्य है तथा इस पर कितना व्यय अनुमानित है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया"--

जी हाँ।

पूर्व में प्रचलित राशन कार्डों की समयावधि समाप्त होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित योजनाओं के राशन कार्ड विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छपाये एवं भलीभाँति जाँचोपरांत अर्ह एवं उपयुक्त लाभार्थियों को वितरित कराये जायेंगे।

प्रदेश में बी0 पी0 एल0 योजना के 7436700, अन्त्योदय योजना के 3242300 तथा अन्नपूर्णा योजना के 350001 लाभार्थी है। अवशेष लाभार्थी ए0 पी0 एल0 योजना के अंतर्गत आच्छादित होते हैं। इन्हीं लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड छपवाये जा रहे हैं। उक्त राशन कार्ड जनपद स्तर पर छपाये एवं वितरित किये जायेंगे। इसलिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल छपने वाले कार्डों की संख्या एवं उस पर आने वाले कुल व्यय का आंकलन सम्प्रति संभव नहीं है। अग्रेतर अन्नपूर्णा का राशन कार्ड नि:शुल्क होगा एवं अन्य योजनाओं के राशन कार्ड का मूल्य शून्य लाभ-हानि के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

24--श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

[4थे सोमवार के अतारांकित प्र0 सं0 82 के अंतर्गत स्थानान्तरित।]

श्री आनन्द भूषण गौड़, अनुभाग अधिकारी, खाद्य तथा रसद अनुभाग-1 की चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

25--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को श्री आनन्द भूषण गौड़, अनुभाग अधिकारी, खाद्य तथा रसद अनुभाग-1 की चिकित्सा में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित पत्र संख्या 917/29-1-04-61 सामा0/2002, दिनांक 1 नवम्बर, 2004 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। शासनादेश संख्या 42/पांच-6-2005-294/96 टी0 सी0, दिनांक 18 फरवरी, 05 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत परीक्षणोपरांत कुल रु0 1987.00, 1986.00, 1116.00 एवं 982.00 को देय धनराशि हेतु अनुमति मय अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के कल्याण विभाग के मण्डलीय कार्यालय, टिकरा हाउस के कर्मचारियों को अवैधानिक रूप से दिये गये आवास भत्ते की वसूली

26--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग के मण्डलीय कार्यालय, टिकरा हाउस, लखनऊ के कितने कर्मचारी को सरकारी भवन आवंटित हैं ? क्या ऐसे कर्मचारियों को मकान भत्ता भी मिल रहा है ? क्या उन कर्मचारियों को अवैधानिक रूप से दिये गये आवास भत्ते की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

मण्डलीय कार्यालय हेतु सृजित पदों पर कार्यरत किसी कार्मिक को सरकारी आवास आवंटित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 चन्द्र पाल को वरिष्ठ जिला क्षय रोग अधिकारी, इलाहाबाद के पद पर स्थानान्तरण तथा दिया गया चार्ज

27--श्रीमती आशा किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 चन्द्र पाल, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद का स्थानान्तरण चिकित्सा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7855/सेक-2-पांच-04-4(777)/2004, दिनांक 21-12-2004 द्वारा वरिष्ठ जिला क्षय रोग अधिकारी, जनपद इलाहाबाद के पद पर किया गया है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सा अनुभाग-2 के आदेश संख्या 360/सेक-2-पांच-05-4 (30)/2005, दिनांक 24-1-2005 द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु लिखा गया है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

जी हाँ। डा0 चन्द्र पाल को वरिष्ठ जिला क्षय रोग अधिकारी, इलाहाबाद के पद का चार्ज दिनांक 4-1-2005 को दे दिया गया है।

जनपद फर्रुखाबाद के जिला महिला चिकित्सालय में 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात चिकित्सकों का स्थानान्तरण किये जाने की माँग

28--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या सरकार कृपया बतायेगी जिला महिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उसमें से कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उन तैनात चिकित्सकों में से कितने ऐसे हैं जो 10 वर्ष या अधिक समय से उसी जनपद में तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत उन चिकित्सकों को स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिला महिला चिकित्सालाय, फरुखाबाद में 11 पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं। जिसके सापेक्ष 4 कार्यरत हैं तथा 7 रिक्त हैं।

एक चिकित्साधिकारी।

जी हाँ। कार्यवाही संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के जिला महिला चिकित्सालय की डा0 सरोजबाला तथा डा0 सुधा सिंह द्वारा अपनी ड्यूटी न करके अन्य नर्सिंग होम में कार्य करने की गोपनीय जांच

29--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के नगलादीना स्थित सरोजबाला नर्सिंग होम तथा लोहिया अस्पताल के बगल में स्थित सुधा नर्सिंग होमों के स्वामी/संचालक कौन है ? क्या यह सत्य है कि इन नर्सिंग होमों के संचालक/स्वामी डा0 सरोजबाला तथा डा0 सुधा सिंह हैं जो जिला महिला चिकित्सालय, हमीरपुर में तैनात हैं परन्तु अपनी ड्यूटी न करके अपने नर्सिंग होम चलाती है ? क्या सरकार इस प्रकरण की गोपनीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

डा0 सरोजबाला तथा डा0 सुधा सिंह द्वारा जिला महिला चिकित्सालय हमीरपुर में अपनी ड्यूटी न करके अन्य नर्सिंग होम में कार्य करने की जानकारी प्राप्त हुई है।

प्रकरण में प्राथमिक जांच संपन्न कराकर उक्त दोनों को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला फर्रुखाबाद के जिला महिला चिकित्सालय में गैर विशेषज्ञ चिकित्सक से प्रसव कराने के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच

30--श्री सुन्दर लाल--

क्या सरकार को जानकारी है कि फर्रुखाबाद लोहिया वाहिनी के पूर्व उपाध्यक्ष श्री श्याम पाल यादव की पत्नी को प्रसव हेतु दिनांक 24-1-05 को जिला महिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद लाया गया था ? क्या यह सत्य है कि चिकित्सालय की इमरजेन्सी में उस समय ताला बंद था तथा मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रसव विशेषज्ञ चिकित्सक को सूचित करने के बावजूद कोई मरीज को देखने नहीं आया फलस्वरूप प्रसव कार्य गैर विशेषज्ञ चिकित्सक से कराना पड़ा ? क्या विशेषज्ञ चिकित्सक के उपलब्ध होने के बावजूद गैर विशेषज्ञ चिकित्सक को चिकित्सा कार्य के लिए बाध्य करना चिकित्सा परिषद् के नियमों/निर्देशों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन समस्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर संबंधित चिकित्सक एवं सी0 एम0 ओ0 के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं। चिकित्सालय की इमरजेन्सी में उस समय ताला अवश्य बंद था परन्तु सूचना दिये जाने पर आकस्मिक ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी की देख-रेख में प्रसव कार्य हुआ।

आकस्मिक ड्यूटी पर तैनात चिकित्साधिकारी से आकस्मिक कार्य लेने में कोई नियम बाधक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर के चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्ट एवं चीफ फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण किये जाने की मांग

31--देवेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ शहर के सरकारी चिकित्सलयों में 20-25 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत फार्मासिस्टों एवं चीफ फार्मासिस्टों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी, हाँ।

शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार लखनऊ शहर के सरकारी चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्ट एवं चीफ फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण आगामी स्थानान्तरण सत्र में किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अनुरूप पंचम वेतन आयोग का वेतन दिये जाने की मांग

32--श्री भगेलू राम--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अनुरूप पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन समाज कल्याण निदेशालय एवं जनजाति विकास निदेशालय के अंतर्गत अलग-अलग आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। जनजाति विकास विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अनुरूप पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप वेतनमान पुनरीक्षित किये जा चुके हैं।

समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के शिक्षकों के सामान्य वेतनमान पुनरीक्षित किये जा चुके हैं तथा शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधीक्षकों को हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के समतुल्य वेतनमान दिये जाने की मांग

33--श्री भगेलू राम--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधीक्षकों को हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के समतुल्य वेतनमान देय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षक, प्रधानाध्यापकों के अधीनस्थ एवं निम्नतर वेतनमान में हैं। अत: हाई स्कूल स्तरीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के समतुल्य अधीक्षकों को वेतनमान देय नहीं है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

34--श्री भगेलू राम--

क्या समाज कल्याण मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी चिकित्सकों को हिन्दी में परचे लिखने की मांग

35--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा सेवा तथा व्यवसाय को पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने की दृष्टि से क्या सरकार प्रदेश के सरकारी चिकित्सकों को हिन्दी में परचे लिखने के लिये निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। औषधियों के नाम तकनीकी होने के कारण हिन्दी में लिखा जाना व्यवहारिक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर मदरसा अरविया अन्सारिया बालिका इण्टर कालेज, यूसुफपुर को वित्त सहित मान्यता दिये जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा

36--श्री मोख्तार अन्सारी--

क्या अल्प संख्यक कल्याण मंत्री को जानकारी है कि 21 सितम्बर, 1994 को जनपद गाजीपुर में मदरसा अरविया अन्सारिया बालिका इण्टर कालेज, यूसुफपुर को वित्त सहित मान्यता दिये जाने की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब--

सूचना एकत्र की जा रही है।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की मांग

37--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत स्थित समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों से कम संख्या में चिकित्साधिकारी तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारी तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्साधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की मानक के अनुसार तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल 30 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 23 चिकित्सक कार्यरत हैं।

जी हां।

जी हां, उपलब्धता के आधार पर चिकित्साधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के वेतन, बोनस, मंहगाई भत्ते के भुगतान सम्बन्धी जानकारी

38--श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में समाज कल्याण विभाग से आवर्तक अनुदान पर कितनी शिक्षण संस्थायें संचालित हैं ? क्या यह सही है कि उनमें से कई संस्थानों के शिक्षकों को वर्ष 2001 स प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह का वेतन तथा बोनस, वेतन वृद्धि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार ऐसी संस्थाओं की सूची सदन के पटल पर रखते हुए भेद-भाव का कारण बतायगी तथा उक्त संस्थाओं के सभी शिक्षकों को वर्ष 2001 से फरवरी माह के देयों का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद लखनऊ की निजी क्षेत्र की 18 प्राइमरी पाठशालायें आवर्तक अनुदान सूची में अनुमोदित है।

विगत वर्षों में अनुदान की धनराशि 16 करोड वित्त विभाग द्वारा सीमित कर दिये जाने के कारण अनुमोदित विद्यालयों को उक्त सीमा तक आवर्तक अनुदान का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुदान राशि रु0 30.00 करोड़ किये जाने का प्रस्ताव है।

उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें एवं अन्य शर्तें) नियमावली 1975 में निहित प्रावधानों के अनुसार अध्यापकों के वेतन आदि के भुगतान का दायित्व निजी प्रबन्धाधिकरण का है न कि समाज कल्याण विभाग का।

विद्यालयों की सूची संलग्न* है। समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा कोई भेद-भाव नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में अनुदान राशि बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग प्रबन्धाधिकरण को अनुदान देता है। नियमावली 1975 के अनुसार अवशेष देयकों का भुगतान प्रबन्धतंत्र का दायित्व है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर में कोटेदारों के निलम्बन एवं बहाली का विवरण

39--श्री राम प्रताप सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा में कुल कितने कोटेदार इस वर्ष निलम्बित किये गये और उनमें से कितने बहाल कर दिये गये और कितने अब भी निलम्बित हैं ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया'--

इस वर्ष 2005 में अब तक कुल 07 कोटेदारों की दुकानें (03 फुटकर मिट्टी तेल तथा 04 उचित दर दुकान) निलम्बित हुई हैं, जिनमें अभी तक कोई दुकान बहाल नहीं हुई हैं।

---

*देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 150 पर।

जनपद लखनऊ आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में लिपिक पद पर सेवारत श्री शेषनारायण मिश्र के लापता होने पर उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी की नियुक्ति तथा अन्य देयों के भुगतान की माँग

40--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री शेष नारायण मिश्र जो आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय, लखनऊ में लिपिक के पद पर सेवारत थे, के दिनांक 5-6-1994 से लापता होने के कारण 07 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर उन्हें मृतक मानते हुए उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति एवं अन्य देयों के भुगतान के लिए दिनांक 01 अक्टूबर, 2001 को निदेशक आयुर्वेद को आवेदन-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीक्षिका बाल शिशु गृह, लखनऊ द्वारा किये जा रहे बच्चों/कर्मचारियों के शोषण सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

41--श्री डी0 प्रसाद अहिरवार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षिका, बाल शिशु गृह, लखनऊ द्वारा किये जा रहे बच्चों एवं कर्मचारियों के शोषण के सम्बन्ध में श्री रमापति उर्फ रमाकान्त, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 30-11-04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

मा0 विधायक के पत्र दिनांक 30-11-04 में उल्लिखित बिन्दु विशेष के सम्बन्ध में निरीक्षण/जांच कराई गई। प्राप्त निरीक्षक/जांच आख्या के आधार पर सम्बन्धित अधीक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय एसोसियेशन द्वारा 16 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या पर कृत कार्यवाही

42--डा0 गंगा बख्श सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन के अ0 शा0 प0 सं0-842/26-2-2002-4 (392)-99, दिनांक 4 अप्रैल, 2002 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0 प्र0 से मांगी गई आख्या क्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां। निदेशक, समाज कल्याण से दिनांक 12 मार्च, 2005 को सूचना प्राप्त हुई है।

उ0 प्र0 अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय एसोसियेशन द्वारा 16 सूत्रीय मांग के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या शासन के परीक्षणाधीन है।

तदैव।

बाल पोषाहार योजनान्तर्गत कोटेदारों को भाड़े का भुगतान कराने की मांग

43--श्री राम प्रताप सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल पोषाहार योजनान्तर्गत कोटेदारों के द्वारा उठाये गये चावल के भाड़े का भुगतान उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, गोण्डा द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार भाड़े का भुगतान कोटेदारों को कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया'--

संबंधित कोटेदारों द्वारा अभी तक अपने क्लेम बिल निगम कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए उसके भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। संबंधित कोटेदारों के क्लेम बिल निगम कार्यालय में प्राप्त हो जाने पर उनका नियमानुसार परीक्षण कर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

44--श्री राम करन आर्य--

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद वाराणसी में प्रस्तावित बहुउद्देशीय संस्थान का भवन निर्माण पूर्ण कर विकलांग कल्याण विभाग को हस्तान्तरित एवं चालू कराने की मांग

45--श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद वाराणसी में प्रस्तावित बहुउद्देशीय संस्थान का भवन निर्माण पूर्ण कर विकलांग कल्याण विभाग को कब हस्तान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त संस्थान को चालू न किये जाने के क्या कारण हैं और इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नारायण)--

19 जनवरी, 2004 को ।

इस संस्थान को संचालित करने हेतु इसके भवन का कुछ भाग भारत सरकार के राष्ट्रीय अस्थि बाधितार्थ संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आर्थोपीडिकली हेण्डीकैप्ड), कोलकाता को रीजनल सेन्टर स्थापित करने हेतु प्रदान किये जाने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया है, जिसके लिये भारत सरकार से राज्य सरकार निरन्तर सम्पर्क में है एवं शीघ्रातिशीघ्र संस्थान को क्रियाशील बनाने के लिए प्रयासरत हैं। संस्थान के शेष भाग में शिक्षण/प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकलांग कल्याण विभाग संसाधन जुटाने हेतु निरन्तर प्रयास कर रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा उदईशाहपुर आदि में कार्ड धारकों के राशन की कालाबाजारी के संबंध में पत्र

46--श्री अनिल कुमार पाण्डेय--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा उदईशाहपुर एवं गहबरा, तहसील पट्टी तथा जामताली तहसील रानीगंज में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा कार्ड धारकों को राशन न देकर बाजार में बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस संदर्भ में श्री चन्द्रनाथ सिंह, पूर्व सांसद, मछलीशहर का पत्र दिनांक 4-02-05 को जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ तथा मा0 मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया'--

जी नहीं।

जी हां।

ग्राम सभा उदईशाहपुर के उचित दर विक्रेता की जांच करायी गयी। विक्रेता के वितरण कार्य में अनियमितता पाये जाने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है।

ग्रामसभा गहबरा के उचित दर विक्रेता के वितरण कार्य की प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच करायी गयी। जांच में अनियमितता पाये जाने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है।

ग्रामसभा जामताली, तहसील रानीगंज के उचित दर विक्रेता के वितरण कार्य की जांच सम्प्रति प्रचलित है। जांच के परिणाम आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ0 प्र0 में सेनेटरी सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

47--श्री कोशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में सेनेटरी सुपरवाइजर के 213 स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने सेनेटरी सुपरवाइजर वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या सरकार रिक्त सेनेटरी सुपरवाइजर के पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सेनेटरी सुपरवाइजरों के संबंध में सूचना परिधिगत अधिकारियों से प्राप्त की जा रही है।

खाद्य निरीक्षकों को केन्द्र के समान एवं दिल्ली प्रशासन के समान वेतनमान की मांग

48--श्री कोशल किशोर--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 49 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य निरीक्षकों को वेतनमान रु0 5000-8000 देने विषयक रिट याचिका संख्या 6080/1990 में मा0 उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये थे कि खाद्य निरीक्षकों को केन्द्र के समान एवं दिल्ली प्रशासन के समान वेतनमान दिया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार खाद्य निरीक्षकों को वेतनमान रु0 5000-8000 देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री ओ0 पी0 वर्मा, खाद्य निरीक्षक व अन्य द्वारा वेतनमान रु0 1400-2300 दिये जाने के संबंध में दायर रिट याचिका संख्या 6080 (एस/एस)/1990 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-9-1996 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-4461/पाँच-8-98, दिनांक 17-11-1998 द्वारा खाद्य निरीक्षकों को दिनांक 24-9-1996 से वेतनमान रु0 1400-2300, पुनरीक्षित वेतनमान रु0 4500-7000 स्वीकृत किया गया है।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा अन्तर्गत गोमती नदी के तराई वाले इलाके में "खलिया" में राजकीय अस्पताल खोले जाने की मांग

49--डा0 सुशील चौधरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत गोमती नदी की तराई वाले इलाके खलिया में राजकीय अस्पताल खोला जाना प्रस्तावित है ? क्या उक्त अस्पताल के भवन निर्माण के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम सभा मेवापुर मुतालके-देवगांव की भूमि दिये जाने संबंधी प्रस्ताव माह दिसम्बर, 2004 माह जनवरी, 2005 के मध्य जिलाधिकारी/सी0डी0ओ0, फैजाबाद के माध्यम से चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रस्ताव अप्राप्त।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ मण्डल के जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में आशुलिपिकों एवं लिपिकों का स्थानान्तरण

50--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल के जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में कितने आशुलिपिक एवं लिपिक ऐसे हैं जो विगत 10-15 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऐसे आशुलिपिकों एवं लिपिकों का स्थानान्तरण अन्य जनपदों में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

लखनऊ मण्डल के जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में कुल 7 आशुलिपिक एवं कुल 19 लिपिक विगत 10-15 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं।

जी हां।

वर्ष 2005-06 की आगामी स्थानान्तरण नीति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0 सी0 डी0 एस0 - 111 में कतिपय वर्षों में अधिकारियों द्वारा टैक्सी का प्रयोग एवं उसके भुगतान के विषय में जानकारी

51--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0सी0डी0एस0-111 में वर्ष 2000-2001, 2002 एवं 2003 में टैक्सी का प्रयोग विभिन्न मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में टैक्सी के किराये के रूप में प्रतिमाह कितनी-कितनी धनराशि किस-किस को भुगतान की गयी ? टैक्सी किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किस प्रयोजन हेतु प्रयोग में लायी गयी ? क्या टैक्सी का प्रयोग करने वाले अधिकारी को आई0सी0डी0एस0 सामान्य से जीप भी आवंटित थी ? यदि हां, तो उस जीप पर उक्त वर्षों में प्रति माह डीजल एवं मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या दोहरे भुगतान के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

जी हां।

टैक्सी का किराया मेसर्स राज टूर एण्ड ट्रैवल्स को निर्धारित दरों पर किया गया। भुगतान की गयी माहवार धनराशि का विवरण संलग्न* है।

टैक्सी का प्रयोग अपर निदेशक (वित्त), अपर निदेशक (नियोजन) तथा संयुक्त निदेशक, (निर्माण) द्वारा शासकीय कार्य हेतु किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि दोहरा भुगतान नहीं किया गया है अत: वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मांग

52--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति की बेटियों को विवाह अनुदान देने की कोई व्यवस्था है ? यदि है तो वर्ष 2004-05 में बलिया जनपद के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में कितनी लड़कियों को अनुदान स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां। अनुसूचित जाति के निर्धन पात्र व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रु0 10,000.00 अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

बलिया जनपद के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में 05 लाभार्थियों को अनुदान स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

* देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 151 पर।

जनपद शाहजहाँपुर के समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक आपका पत्र संख्या-सी0एम0/वि0 को0/एम0-115781/2004, दिनांक 28-12-04 प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण /सैनिक कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां। मा0 विधायक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, विधान सभा क्षेत्र तिलहर, शाहजहांपुर का शिकायती-पत्र 9-11-04 शासन में प्राप्त हुआ था, जिसमें यह शिकायत थी कि वर्ष 2003-04 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जो सहायता राशि दी गयी थी, उसमें लाभार्थियों को चेक देने के पूर्व ही रिश्वत ले ली गयी है।

उक्त शिकायती पत्र जांच हेतु जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को भेजा गया था, जिस पर उप जिलाधिकारी, तिलहर से जांच करायी गयी, जांचोपरान्त शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा किये गये फिजियोथेरेपिस्ट के साक्षात्कार सम्बन्धी जानकारी

54--श्री राम प्रसाद चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य, निदेशालय द्वारा दिनांक 22-6-2002 को फिजियोथेरेपिस्ट (भौतिक चिकित्सक) के साक्षात्कार किये गये थे ? क्या यह सत्य है कि उक्त साक्षात्कार होने के बाद चयन कमेटी को बदलकर नई नियुक्ति सूची तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच निदेशालय, महानिदेशक, स्वास्थ्य स्तर से चल रही है ? यदि हां, तो अब तक जांच के क्या परिणाम सामने आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सक के स्वीकृत पद एवं नियुक्ति

55--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में कितने चिकित्सकों की आवश्यकता है, कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी मानक के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में 9735 चिकित्सकों की आवश्यकता है। वर्तमान में कुल 9735 चिकित्साधिकारी के पद स्वीकृत हैं तथा 7833 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

जी हां।

वर्तमान में पी0एच0एम0एस0 सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया गया है जिसमें सामान्य चिकित्सा अधिकारी तथा विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी के दो उप संवर्ग बनाये गये हैं। दोनों उप संवर्गों के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की देयता के भुगतान की मांग

56--श्री घूरा राम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 लखनऊ की शासी निकाय के दिनांक 8-1-1988 के निर्णय को लेखा संवर्ग में वर्ष 1994 में लागू करते हुए उनकी देयता का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसी से सम्बन्धित लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को दिनांक 13-2-2002 के शासन के स्पष्ट आदेश एवं बजट में धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद भी इन्हें इनकी देयता का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां, लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की देयता के भुगतान के लिए प्रकरण संस्थान की वित्त समिति शासी निकाय के विचाराधीन है।

संस्थान की वित्त समिति/शासी निकाय द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरांत उनके निर्णयानुसार भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

जनपद सहारनपुर में महिलाओं को विधवा पेंशन के सम्बन्ध में लम्बित आवेदन-पत्र

57--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में 31-12-04 तक कितनी महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है ? क्या यह सही है कि बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र लम्बित हैं ? क्या उन आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद सहारनपुर में 31-12-04 तक पति की मृत्यु के उपरांत 7368 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।

जनपद में वर्तमान में कुल 1200 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

लम्बित प्रार्थना-पत्रों पर नियमानुसार आगामी वित्तीय वर्ष में पात्रता के आधार पर विचार किया जायेगा।

राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ में प्रवेश की जानकारी

58--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ केवल अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए खोला गया था तथा अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रवेश क्षमता 70 प्रतिशत थी एवं सामान्य जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत रखी गयी थी ? क्या इस व्यवस्था को समाप्त करके वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार सामान्य जाति हेतु 50 प्रतिशत, पिछड़ी जाति हेतु 27 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा चयन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां।

विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद, कौंधियारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में टास्क फोर्स समिति द्वारा किये गये निरीक्षण में अनुपस्थित चिकित्सकों/कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

59--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2004 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौंधियारा, जनपद इलाहाबाद का निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो क्या टास्क फोर्स कमेटी द्वारा निरीक्षण के समय जिन पांच चिकित्सकों एवं 14 कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया गया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

अनुपस्थित पाये गये चिकित्सकों/कर्मचारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्डन लेबोरेटरी, इन्दौर से क्रय की गयी औषधियों की जांच

60--श्री अनिल कुमार मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सी0एम0एस0डी0 में यू0 पी0 ड्रग कन्ट्रोलर द्वारा कतिपय कम्पनियों की औषधियां अधोमानक होने के बावजूद मार्डन लेबोरेटरी इन्दौर से वर्ष 2002-2003 में अनुबन्धित दर के अन्तर्गत क्रय की गयी ? क्या इस वित्तीय वर्ष 2004-2005 में भी उक्त कम्पनी से दवा क्रय की जा रही है ? यदि हां,

तो क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

वर्ष 2004-05 में उक्त कम्पनी से औषधि क्रय की जा रही है। कम्पनी द्वारा दर अनुबन्ध एवं मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्तित औषधि अधोमानक नहीं पायी गयी।

सभी कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है, अतएव जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ग्राम शाहपुर, गोड़वा के श्री भरोसे पुत्र स्व0 बड़कऊ के परिवार को आर्थिक सहायता की मांग

61--श्री कौशल किशोर--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ के थाना माल में दिनांक 7-12-93 को दर्ज मु0अ0सं0 266/93 धारा 435/324 आई0पी0सी0 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 5-1-2005 को जिलाधिकारी, लखनऊ को दिये गये पत्र के सन्दर्भ में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में श्री भरोसे पुत्र स्व0 बड़कऊ, ग्राम शाहपुर, गोड़वा माल, लखनऊ को रु0 10,000.00 की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मिर्जापुर, चुनार, राजगढ़ व आस-पास में तैनात डाक्टरों, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य कर्मी के निवास स्थलों की जानकारी

62--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में पी0एच0सी0 लालगंज, हलिया, पटेहरा कला, विजयपुर, चील्ह, कछवां, सरोई, मड़िहान तथा चुनार, राजगढ़ में कितने डाक्टर/फार्मासिस्ट अन्य स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं ? क्या यह सच है कि प्रश्नगत स्थानों पर कार्यरत डाक्टर, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य कर्मी अपने तैनाती स्थल पर निवास नहीं करते हैं ? क्या उक्त के सम्बन्ध में उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी (मानवाधिकार फोरम) के महासचिव डा0 शशि भूषण दूबे पथिक, लालगंज जिला मिर्जापुर के पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2003, 9 नवम्बर, 2003, दिनांक 27 जनवरी, 2004, दि0 18 जून, 2004 शासन/विभाग/सी0एम0ओ0 मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 19 डाक्टर, 09 फार्मासिस्ट एवं कुल 403 स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। विवरण संलग्न* है।

जी नहीं।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामौर के विगत वित्तीय वर्षों में मातृत्व लाभ योजनान्तर्गत वितरित की गयी धनराशि एवं अनियमितताओं की जांच

63--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद झांसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामौर (झांसी) के क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं वित्तीय वर्ष 2003 जनवरी, 2004 तक मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत किन-किन लाभार्थियों को कितना रुपया बांटा गया है ? क्या इस धनराशि के वितरण में अनयिमितताएं की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन--

सूचना एकत्र की जा रही है।

निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा क्रय की गयी प्रति मेडिसिन किट्स एवं प्री स्कूल किट्स की दरों में भिन्नता का आधार

64--डा0 सुशील चौधरी--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के पत्र संख्या-सी0-2039, दिनांक 22-10-2002 एवं पत्र संख्या-सी0-10676-80, दिनांक 27-3-2002 के द्वारा प्री स्कूल किट्स एवं मेडिसिन किट्स की आपूर्ति के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2002-2003 के तुलना में 2001-2002 में प्रति मेडिसिन किट्स एवं प्रति प्री स्कूल किट्स की दर क्या थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त वर्षों में मेडिसिन किट्स एवं प्री स्कूल किट्स की दरों में भिन्नता का आधार क्या है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

निदेशालय के पत्र संख्या-2039, दिनांक 22-10-2002 द्वारा प्री स्कूल किट्स तथा पत्र सं0 10676-80, दिनांक 27-3-2003 द्वारा मेडिसिन किट्स प्राप्त किये जाने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारियों को दिये गये थे।

प्री स्कूल किट्स की दर दोनों वर्षों में 479.00 रु0 प्रति किट थी। मेडिसिन किट्स की दर वर्ष 2001-2002 में 569.92 रु0 एवं 2002-2003 में 568.00 रु0 थी।

---

*देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 152 पर।

प्री स्कूल किट्स की दरों में भिन्नता नहीं है। मेडिसिन किट्स वर्ष 2001-2002 में निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम रु0 569.92 की दर से तथा वर्ष 2002-2003 में उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम से रु0 568.00 की दर से क्रय की गयी जिससे दरों में मामूली भिन्नता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारियों के अपर परियोजना प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति व वेतनमान की जानकारी

65--डा0 सुशील चौधरी--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र संख्या-1640/60-2-2003, दिनांक 5-6-2003 के द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अपर परियोजना प्रबन्धक के पद पर वेतनमान रु0 8550-275-13500 में पदोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो क्या पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को पुन: वेतनमान रु0 10,000-525-15,200 का वैयक्तिक वेतनमान भी स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो पदोन्नति के पश्चात् वैयक्तिक वेतनमान स्वीकृत करने का औचित्य क्या है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

जी हां।

अपर परियोजना प्रबन्धक के पद का वेतनमान रु0 8550-275-13,500 नहीं है बल्कि यह वेतनमान रु0 8550-275-14600 है।

जी हां।

वैयक्तिक वेतनमान शासनादेश संख्या-1646/60-2-2002-2/1(118)/2001, दिनांक 16 अगस्त, 2002 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दिया गया है, जो औचित्यपूर्ण है।

जनपद बलिया के चितबड़ा गांव में सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन सम्बन्धी जानकारी

66--श्री होशियार सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के चितबड़ा गांव नगर पंचायत में सस्ते गल्ले की वर्तमान समय में कुल कितनी दुकानें हैं ? क्या उन दुकानों का आवंटन आरक्षण नीति के अनुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त दुकानों का आवंटन निरस्त करते हुए आरक्षण नीति के तहत नये सिरे से दुकानों का आवंटन करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया'--

बलिया जनपद के चितबड़ा गांव नगर पंचायत में वर्तमान समय में कुल पांच उचित दर की दुकानें कार्यरत हैं।

उचित दर विक्रेताओं की दुकानों की नियुक्ति एवं उसमें आरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी सम्प्रति लागू शासनादेश संख्या-2714/29-6-2002-162सा0/2001, दिनांक 17 अगस्त, 2002 (संशोधित शासनादेश संख्या-744/29-6-2003-162 सा0/2001, दिनांक 21 फरवरी, 2003) के पूर्व से ही उक्त दुकानें कार्यरत हैं। उक्त शासनादेश में यह प्राविधान है कि वर्तमान में रिक्त दुकानों में आरक्षण के प्रतिशत का ध्यान रखा जायेगा, किन्तु उक्त प्रतिशत को पूर्ण करने हेतु वर्तमान में चल रही दुकानों को निरस्त नहीं किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कदौरा के स्थानान्तरण का प्रस्ताव

67--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक मंत्री को जानकारी है कि जिला अनुश्रवण समिति, जालौन की बैठक दिनांक 11-1-03 के निर्णय के अनुसार ग्राम इटौरा, वि0 खं0 कदौरा, जनपद जालौन में दो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय का स्थानान्तरण ग्राम मदरालापुर में किया जाना था ? इस सम्बन्ध में निदेशक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी का पत्रांक 2949, दिनांक 17-12-03 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन के पत्रांक 3935, दिनांक 25-11-04 तथा मा0 मुख्य मंत्री जी का पृष्ठांकन सी0एम0/वि0को0/एम0/111892/2004, दिनांक 2-11-2004 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

जी हाँ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन का पत्रांक- 3935 दिनांक 25-11-2004 तथा मा0 मुख्य मंत्री जी का पृष्ठांकन सी0एम0/वी0को0/एम0/111892/2004, दिनांक 2-11-2004 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि प्रश्नगत चिकित्सालय के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निदेशक, आयुर्वेद के पत्र संख्या-2947/आर0आर0सी0-1316/सामान्य, दिनांक 17-12-03 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति के लड़कियों की शादी एवं इलाज हेतु अनुदान देने की योजना

68--श्री कौशल किशोर तथा श्री बीजू पटनायक--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी एवं इलाज हेतु अनुदान देने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान बजट में इसका प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना पूर्व से ही है। इस हेतु वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में रु0 25.8584 करोड़ धनराशि का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा प्री-स्कूल किट्स एवं मेडिसिन किट्स की आपूर्ति

69--डा0 सुशील चौधरी--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के द्वारा वर्ष 2002 में प्री-स्कूल किट्स एवं मेडिसिन किट्स प्रदेश के विभिन्न जिला कार्यक्रम कार्यालय में आपूर्ति करायी गयी थी ? यदि हाँ, तो जिला कार्यक्रम कार्यालय से परियोजना कार्यालय तक एवं परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक उक्त दोनों प्रकार की किट्स को पहुँचाने की क्या कोई व्यवस्था की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत प्रदेश के अस्पतालों हेतु क्रय किया गया फर्नीचर तथा दरें

70--कुं0 भारतेन्द्र सिंह--

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रदेश के अस्पतालों के लिए फर्नीचर आदि क्रय करने हेतु मुरादाबाद मण्डल के चारों जनपदों के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? उक्त मण्डल के जिलों के लिये मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा कितनी-कितनी राशि का सामान क्रय किया था ? क्या यह सामान अनुबन्ध की दरों एवं मानकों के अनुसार क्रय किया गया था ? यदि हां, तो अनुबन्ध की दरें और निर्धारित मानक क्या-क्या हैं ?

श्री अहमद हसन--

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-02 में प्रदेश के अस्पतालों (उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के लिए फर्नीचर आदि क्रय करने हेतु मुरादाबाद मण्डल के चारों जनपदों को स्वीकृत धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण निम्नवत् है :--

जनपद	स्वीकृत धनराशि (रुपये में)	उपयोग की गई धनराशि (रुपये में)
मुरादाबाद	21,51,699.00	21,46,333.00
बिजनौर	11,59,890.00	11,55,901.00
जे0पी0 नगर	1,82,390.00	1,82,215.00
रामपुर	15,94,790.00	16,06,533.00

जी हाँ, जिन सामग्रियों का दर अनुबन्ध उपलब्ध था उनका क्रय दर अनुबन्ध के अनुरूप तथा जिन सामग्रियों के दर अनुबन्ध उपलब्ध नहीं थे उनका क्रय नियमानुसार कोटेशन के आधार पर किया गया है।

अनुबन्ध की दरें एवं मानक निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित दर एवं मानकों के अनुरूप हैं।

71--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

मुरादाबाद मण्डल में शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने का प्रकरण

72--कुं 0 भारतेन्द्र सिंह--

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद मण्डल में अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2000 से अब तक प्रतिवर्ष कितना-कितना धन लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ब्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत कितने पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब--

सूचना एकत्र की जा रही है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं हैं। पहली सूचना, श्री ज़ियाउद्दीन रिजवी की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी कानपुर रोड योजना के सेक्टर एच में सीवर की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना, श्री शहजिल इस्लाम की बरेली कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसौना में नहर में पक्की पुलिया का निर्माण करवाने तथा पीचिंग करवाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना, डा0 विनोद तिवारी की पीलीभीत के गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर में महाविद्यालय के प्रबंधन हेतु प्रबंधतंत्र द्वारा छात्रों की फीस में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना, श्री नवाब सिंह नागर की जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना कासना के अन्तर्गत फर्जी आधार पर निर्दोषों को जेल भेजने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत जय भीम नगर एवं कासिमपुर सैनिक कालोनी में शुद्ध एवं साफ पेयजल की आपूर्ति हेतु ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की तेलियर गंज, इलाहाबाद में 132 केवीए विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना, श्री मुंशी लाल गौतम की बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत कोतवाली एवं सीओ पुलिस कार्यालय के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना, श्री शिशुपाल सिंह यादव की एटा के ग्राम रिजोर में निर्माणाधीन 33 केवीए विद्युत उपकेन्द्र को तत्काल पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना, श्री अनिल कुमार वर्मा की लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर आई एवं जे के 100 भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में लखनऊ नगर निगम द्वारा उत्पन्न विवाद को यथाशीघ्र निपटाये जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना, श्री कौशल किशोर की लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत गांव जानकीखेड़ा मजरा बेजगढ़ा के सामने बेहता नाले पर बने पुल के दोनों ओर मिट्टी भराकर सड़क बनाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना, श्री महेन्द्र कुमार सिंह की जनपद सीतापुर की ग्राम सभा म्योडी छोलहा का मजरा श्री राम पुरवा के निवासियों को घाघरा नदी की कटान से हुये नुकसान की भरपाई करने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना, श्री श्याम देव राय चौधरी के जनपद वाराणसी में चेतगंज थाना क्षेत्रान्तर्गत जूता मार्केट में बसे हजारों लोगों को उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री राम इकबाल सिंह, श्री राम करन आर्य, श्री दिलीप कुमार वर्मा, श्री बीजू पटनायक, डा0 पूर्णमासी देहाती की सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

(स्वीकृत सूचनायें सदन की अनुमति से पढ़ी हुई मानी गयीं।)

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी, कानपुर रोड योजना के सेक्टर एच में सीवर की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

[महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी कानपुर रोड योजना के सेक्टर-एच के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-एस0एस0-ई0-3-753 से 775, एस0एस0-ई-3/692 से 716 तक तथा एस0एस0-ई-3/815 से 830 तक पर निर्मित आवासों में सीवर व पानी की व्यवस्था

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न होने से यहाँ के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त भूखण्डों के रजिस्ट्री के समय सीवर व पानी का चार्जेज लिया गया है किन्तु सीवर की सुविधा अभी तक नहीं उपलब्ध करायी गयी है। सन्दर्भित भूखण्डों के चारों तरफ सीवर उपलब्ध है और इन भूखण्डों को उससे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सन्दर्भित भूखण्डों में सीवर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूँ।]

बरेली कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसौना में नहर पर पक्की पुलिया का निर्माण करवाने तथा पीचिंग कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शहजिल इस्लाम--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बरेली के मेरे विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत ग्राम परसौना में नहर की पिचिंग एवं नहर की पुलिया का निर्माण न होने के कारण आये दिन नहर कट जाती है जिससे क्षेत्र के किसानों की कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है और भारी मात्रा में कृषकों की फसल का नुकसान होता है। उक्त नुकसान आये दिन बार-बार होने के कारण क्षेत्र के कृषकों में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है। उक्त के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। उक्त के कारण ग्राम परसौना के अन्तर्गत नहर में पक्की पुलिया का निर्माण कराने तथा पिचिंग की मरम्मत आदि कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अत: इस निश्चित महत्वपूर्ण विषय पर कार्य शीघ्र कराने के सम्बन्ध में शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

पीलीभीत के गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर में महाविद्यालय के प्रबन्धन हेतु प्रबन्ध तंत्र द्वारा छात्रों की फीस में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विनोद तिवारी--

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक मात्र डिग्री कालेज, "गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर" की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा। गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर का निर्माण क्षेत्र के गन्ना कृषकों के द्वारा समिति के माध्यम से मिल को आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने से कटौती की जाने वाली धनराशि से किया गया। तत्कालीन समय में यह निर्णय लिया गया था कि महाविद्यालय के प्रबन्धन हेतु वेतन, फर्नीचर, भवन का रखरखाव तथा अन्य आवश्यक व्यय इसी कटौती से वहन किये जायेंगे। हाल ही में गन्ना कृषकों से होने वाली कटौती बन्द कर फीस में 1000.00 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव प्रबन्धतन्त्र द्वारा लिया गया इससे क्षेत्र में छात्रों तथा अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है। विरोध स्वरूप में छात्रों ने चक्का जाम भी किया। 5 फरवरी, 2005 को सामान्य निकाय की बैठक में 0.50 पैसा प्रति कुन्टल गन्ना कृषकों से कटौती किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। एक मात्र डिग्री कालेज के भविष्य को कोई खतरा पैदा न हो तथा गरीब कृषकों के बच्चे शिक्षा की दृष्टि से लाभान्वित होते रहें। इस हेतु सरकार कटौती को अनुमति देने की कृपा करें अथवा महाविद्यालय को अपने हाथों में ले लें।

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: कृपया उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना कासना के अन्तर्गत फर्जी आधार पर निर्दोषों को जेल भेजने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नवाब सिंह नागर--

[महोदय, जनपद-गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत थाना-कासना में दिनांक 19-7-04 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तीन गैस एजेन्सियों पर हमला कर तीन व्यक्तियों को जान से मार देने व 438 गैस सिलेण्डरों को लूटने की रिपोर्ट श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा लिखायी गयी, जिसकी विवेचना के बाद थाना कासना पुलिस ने 103 सिलेण्डर की बरामदी दिखाते हुए मामले को सुलझाने की घोषणा की, व सुदेश, महेश, मांगे, ज्ञानेन्द्र को जेल भेज दिया, किन्तु लगभग डेढ़ माह बाद मुजफ्फरनगर में एक बावरिया गिरोह पकड़ा गया, जिसमें दो ट्रक पकड़े गये जिसमें कासना से लूटे गये सभी सिलेण्डर बरामद हुए व इन अभियुक्तों ने कासना की घटना की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और पुलिस ने उस दूसरी घटना को सही मानकर पूर्व में चार जेल भेजे गये लोगों को अब इस मामले से मुक्त कराने के लिये मा0 मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर को थानाध्यक्ष, कासना द्वारा दिनांक 02-12-2004 को लिखा गया है।

अत: पहले जो चार लोग फर्जी आधार पर जेल भेजे गये थे और वे अब निर्दोष साबित हुए हैं तथा पुलिस ने 103 सिलेण्डर फर्जी बरामद दिखाये गये। फर्जी बरामदी के आधार पर निर्दोषों को जेल भेजने की जिम्मेदारी थी कासना पुलिस व सम्बन्धित सी0ओ0 के विरुद्ध जांच कराकर सख्त कार्यवाही की जाने की मांग करता हूँ ताकि भविष्य में इस प्रकार फर्जी तरीके से घटनाओं को खोलने पर अंकुश लग सके।

अत: मैं इस अति लोक महत्व के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत जय भीम नगर एवं कासिमपुर सैनिक कालोनी में शुद्ध एवं साफ पेयजल की आपूर्ति हेतु ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

[मान्यवर, मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत जय भीमनगर निकट मेडिकल कालेज व कासिमपुर सैनिक कालोनी की जनता शुद्ध एवं साफ पेयजल के लिये तरस रही है। जय भीमनगर कालोनी के नजदीक होने के कारण हैण्डपम्प में काला पानी आ रहा है।

कासिमपुर सैनिक कालोनी के पास डिस्टलरी होने की वजह से जनता लाल, काला व पीला पानी पीने के लिये मजबूर है।

जल निगम को मेरठ इकाई द्वारा उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में ट्यूब लगाकर शुद्ध पानी जनता को देने का प्रयास करने की कोशिश हुई थी लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व दोनों क्षेत्रों में ट्यूबवेल के प्राक्कलन बनाकर लखनऊ प्रेषित किये गये थे लेकिन दोनों में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन की प्राथमिकता है कि आम जनता को शुद्ध एवं साफ पेयजल प्राप्ति हेतु तत्काल ट्यूबवेल लगाये जाने चाहिये।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

तेलियर गंज, इलाहाबाद में 132 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

[महोदय, इलाहाबाद शहर में रीवां रोड और कैण्ट से बिजली आपूर्ति होती है। बिजली की आवश्यकता को देखते हुए 1990 में शहर उत्तरी में बड़ा बिजली उपकेन्द्र बनाने की योजना बनी थी। तब से आज तक इसके लिए सिर्फ कवायद हो रही है। 15 वर्ष से जमीन न मिल पाना हास्यास्पद है।

विद्युत विभाग ने तेलियरगंज, इलाहाबाद में 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र बनाने का निर्णय लिया, परन्तु इसके लिए भी जमीन नहीं मिल रही है। अनेकों स्थानों पर जमीन प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा असफल प्रयास किये गये। कभी फाफामऊ, बघाड़ा, स्टेनली रोड आदि की भूमि प्राप्त करने हेतु योजना एवं प्रयास हुआ, परन्तु भूमि प्राप्त न हो सकी।

तेलियरगंज में जमीन अभी तक नहीं मिल सकी है। जिसके कारण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण खटाई में पड़ा हुआ है, जो कि चिन्ता का विषय है। यदि उपरोक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण हो जाये, तो इलाहाबाद शहर की विद्युत व्यवस्था में काफी सुधार आ सकता है, इस पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

उक्त विषय लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय है, अत: नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत कोतवाली एवं सी0ओ0 पुलिस कार्यालय के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुंशी लाल गौतम--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में कोतवाली एक प्राइवेट मकान में चल रही है और यह मकान जर्जर तथा क्षतिग्रस्त है किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है जिससे सुरक्षा कर्मी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी/सी0ओ0 पुलिस शिकारपुर का आफिस जिला मुख्यालय पर होने के कारण जनता को काफी असुविधा का सामना करने को मिल रहा है। इसलिये भूमि प्रबन्धक समिति, शिकारपुर देहात ने चकबन्दी के दौरान कोतवाली एवं क्षेत्रीय कार्यालय शिकारपुर पुलिस के लिये भूमि आरक्षित राजस्व अभिलेखों में कर दी गयी है लेकिन आज तक उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। सी0ओ0 शिकारपुर का क्षेत्रीय कार्यालय न होने के कारण वहाँ पर न उपस्थित रहना इससे अपराधों की बढ़ोत्तरी हो रही है। कोतवाली व क्षेत्रीय कार्यालय, शिकारपुर के भवन निर्माण कराने के लिये सरकार से धनराशि स्वीकृत करके निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराने की मांग करता हूं।

अत: अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये धन स्वीकृत करके कोतवाली व सी0ओ0 पुलिस कार्यालय के भवन निर्माण की मांग करता हूँ।]

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद एटा के ग्राम रिजोर में निर्माणाधीन 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र को तत्काल पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिशुपाल सिंह यादव--

[महोदय, जनपद एटा में विकास खण्ड सकीट के अन्तर्गत ग्राम रिजोर में एक विद्युत उपकेन्द्र 33 के0वी0ए0 का काफी समय से निर्माणाधीन है जिसका भवन आदि बन चुका है परन्तु अभी तक विद्युत लाइन, ट्रान्सफार्मर लट्टे (खम्भे) आदि केन्द्र पर नहीं लगाये गये हैं। उपकेन्द्र पूर्ण न होने से किसानों में काफी रोष है तथा विद्युत भी सुचारु रूप से नहीं मिल पा रही है।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त 33 के0वी0ए0 के उपकेन्द्र को तत्काल पूर्ण कराने की कृपा करें जिससे जनता को विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से मिल सके।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर आई एवं जे के 100 भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में लखनऊ नगर निगम द्वारा उत्पन्न विवाद को यथाशीघ्र निपटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार वर्मा--

[मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर-आई एवं जे के 100 भूखण्डों का आवंटन दिनांक 31 अगस्त, 2004 को किया गया है और आवंटन-पत्र जारी कर आवंटियों से भूखण्डों का पूरा मूल्य प्राधिकरण कोष में जमा करा लिया गया है किन्तु अब लखनऊ नगर निगम ने उक्त भूमि पर अपना स्वामित्व दर्शाते हुये उस पर कब्जा कर लिया है तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि पर कराये जा रहे विकास कार्यों को रुकवा दिया है। लखनऊ नगर निगम ने उक्त भूमि पर बहुमंजिले आवास बनाने हेतु निविदा भी आमंत्रित कर लिया है। ऐसी स्थिति में 31 मार्च, 2005 तक आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री न हो पाने के कारण शासन द्वारा विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों पर रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में दी गयी छूट की समय सीमा समाप्त हो जायेगी इसलिये आवंटियों को 01 अप्रैल, 2005 से बढ़ी हुई दर पर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी जिससे आवंटियों पर अधिक आर्थिक व्यय-भार पड़ेगा। इस विवाद को निपटाने के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है इसलिए आवंटी काफी परेशान हैं।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया आवंटियों की परेशानी को देखते हुये उक्त विवाद को यथाशीघ्र निपटाये जाने हेतु मुझे इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति देने की कृपा करें।]

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत गांव जानकी खेड़ा मजरा बेलगढ़ा के सामने बेहता नाले पर बने पुल के दोनों ओर मिट्टी भराकर सड़क बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशल किशोर--

[मान्यवर, हम आपका ध्यान मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मलिहाबाद के गांव जानकीखेड़ा मजरा बेलगढ़ा के सामने बेहता नाले पर बने हुए पुल की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। उक्त पुल के निर्मित हुए आज तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु उक्त पुल के दोनों तरफ अभी तक मिट्टी भराई करके सड़क का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण उस पुल के निर्माण हो जाने के बावजूद भी अभी तक आवागमन पूरी तरह से ठप्प है। लोक निर्माण विभाग अभी तक उस पुल के दोनों तरफ मिट्टी डालकर सड़क बनाने का कार्य शुरू नहीं किया है।

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: इस अविलम्बनीय एवम् लोकमहत्व तथा जनहित के विषय को नियम 301 में स्वीकार करके शीघ्र उक्त पुल के दोनों तरफ मिट्टी डालने व सड़क का निर्माण करने हेतु सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग को आदेशित करने की कृपा करें।]

जनपद सीतापुर की ग्राम सभा म्योड़ी का छोलहा मजरा श्री राम पुरवा के निवासियों को घाघरा नदी की कटान से हुए नुकसान की भरपाई करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू--

[मान्यवर, जनपद सीतापुर के तहसील विसंवा अन्तर्गत ग्राम सभा म्योड़ी छोलहा का मजरा श्रीराम पुरवा विगत वर्ष 2004 में घाघरा नदी में पूर्णतय: कटकर समा गया था। गांव में एक भी मकान शेष नहीं है। मेरे द्वारा शासन स्तर पर प्रयास किये जाने के फलस्वरूप मात्र 17 लोगों को 6-6 हजार रुपये की चेक व 5 लोगों को 12-12 सौ रुपये की चेकें जिला प्रशासन द्वारा वितरित की गयी हैं जबकि इससे कहीं ज्यादा तादाद में कटान प्रभावित व्यक्ति आर्थिक सहायता पाने से वंचित रह गये हैं एवं उक्त चेक वितरण में जो असमानता का व्यवहार किया गया है उससे लोगों में असन्तोष है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उपरोक्त ग्रामवासियों के मकान एवं कृषि योग्य भूमि नदी में समा जाने के कारण ग्रामवासी भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं जिससे भुखमरी की नौबत आ गयी है।

अत: नदी कटान से प्रभावित जो लोग आर्थिक सहायता पाने से वंचित रह गये हैं उनको 6-6 हजार रुपये और जिन लोगों को 12-12 सौ रुपये की चेक मिली हैं उनको भी शेष 48-48 सौ रुपये तथा कृषि योग्य भूमि के पट्टे नदी कटान में प्रभावित लोगों को दिलाये जाने की मांग शासन से करता हूं।]

जनपद वाराणसी में चेतगंज थाना क्षेत्रान्तर्गत जूता मार्केट में बसे हजारों लोगों को उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी--

[महोदय, वाराणसी नगर में चेतगंज थानान्तर्गत जगतगंज मोहल्ले में करीब सवा सौ साल से जूता कारीगर, दुकानदार एवं अनेकों लोग रिहायसी तौर पर आबाद चले आ रहे हैं। जगतगंज जूता मार्केट में सन् 1880 से ही करीब दो हजार लोग आवास व दुकान बनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं जिनमें अधिकांश गरीब तबके के लोग हैं। वाराणसी नगर निगम प्रशासन अपनी योजना अन्तर्गत उक्त सभी लोगों को बेदखल करना चाहती है जिसके खिलाफ रिहायसी एवं दुकानदारों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर रखा है। शासन की भी नीति है कि 40-50 वर्षों से काबिज लोगों से जमीन उनके नाम कर दिया जाय लेकिन वाराणसी नगर निगम द्वारा उक्त सभी लोगों को शासनादेश के अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है जिससे लोगों में गम्भीर चिन्ता एवं अपने भविष्य को लेकर आक्रोश व्याप्त है। गरीब दुकानदार व रिहायसी लोगों द्वारा बाल बच्चे के साथ सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी गयी है। उक्त क्षेत्र के दुकानदारों व आवासीय लोगों को शासनादेशानुसार 40-50 वर्षों से काबिज लोगों से उचित मूल्य लेकर जमीन पर बसे हुए लोगों के नाम कर देना विधि सम्मत व न्यायोचित होगा। उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर आवश्यक निर्देश वाराणसी नगर निगम तथा जिला प्रशासन को दिया जाय।

नियम 301 के अन्तर्गत उक्त लोकमहत्व के अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित माननीय मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री बीजू पटनायक--

मान्यवर, मेरी सूचना नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे पास आयें, मैं आपको समझा दूँगा कि सूचना कैसे लिखनी चाहिये।

श्री राम करन आर्य--

मान्यवर, मेरी तो सही लिखी हुयी है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी कल हुयी है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16-3-2005 को नियम 300 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में से कोई भी नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं अतः अग्राह्य की जाती हैं। आज जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें से पहली सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की, दिनांक 14 मार्च, 2005 को सदन में अनुपस्थित सदस्यों के विरुद्ध की गयी टिप्पणी के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना, श्री राम इकबाल सिंह की सूचना बलिया जनपद में सड़क मरम्मत हेतु अवमुक्त धन का अन्यत्र उपयोग किये जाने तथा वर्ष 2004-05 में भी धन उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की दिनांक 12 मार्च, 2005 को माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर भाषण के कुछ अंशों को राजस्व मंत्री द्वारा अशोभनीय कहे जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना, श्री मिथिलेश कुमार की प्रथम सत्र 2005 के तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-51 का गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में है। इसके लिये निदेश सं0 165-166 के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग की जा सकती है। पांचवीं सूचना, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल की दिनांक 15-3-2005 को सदन की कार्यवाही बाधित होने के कारण लोक महत्व के विषयों को सदन में उठाने से वंचित रह जाने के सम्बन्ध में है।

यह सभी सूचनायें निरस्त करता हूँ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, किसी को कार्यवाही बाधित करने का अधिकार नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, जो भी अशोभनीय शब्द हों उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस पर तो बात हो चुकी है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह चीजें सदन के समक्ष आनी चाहिए कि क्यों सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। आपको जाना था तो आप बहिर्गमन करके चले जाते लेकिन दूसरे के लिए क्यों व्यवधान उत्पन्न किया गया।

श्री अध्यक्ष--

मेरा अनुरोध है कि आप लोग कृपया कार्यवाही चलने दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मेरा इतना निवेदन है कि जो बात नियमों और परम्पराओं से हटकर कही गई है उसको दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष--

हम उसको दिखवा लेंगे। आप बैठ जाइए।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के किसानों के हक हुकूकों पर इस सदन में चर्चा लगी थी कि उस पर सरकार का पक्ष आ जाय। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से कोई यह निश्चय कर ले कि कार्यवाही नहीं चलने देंगे, प्रश्न प्रहर नहीं चलने देंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे चेम्बर में आ जायें उसके बारे में निर्देश भेज देंगे। आज मेरी बात मान लीजिए। यह नियम-300 में आता नहीं, इसलिए इसे निरस्त किया गया।

(व्यवधान जारी)

श्री प्रदीप माथुर--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

किसी का नाम क्यों लेते हैं ?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सदन की कार्यवाही है माननीय राजस्व मंत्री जी ने गलत टिप्पणी की है।

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में पहले मैंने व्यवस्था दे दी है। माननीय त्रिपाठी जी ने यह प्रस्ताव किया था कि जो अशोभनीय शब्द हो उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय इस पर मुख्यमंत्री जी ने सहमति प्रकट की थी।

राजस्व मंत्री (श्री आम्बिका चौधरी)--

मैंने कोई अशोभनीय बात नहीं की। मैंने विनम्रता प्रदर्शित की।

श्री अध्यक्ष--

जो अशोभनीय शब्द होंगे, वह बाहर कर देंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

नोट-- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, यह क्या तरीका जब नेता सदन ने सदन में खुद कह दिया।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

यहाँ पर राजस्व मंत्री का नाम लेकर कहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

राजस्व मंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि मैंने कोई अशोभनीय शब्द नहीं कहा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जो बात अब कही जा रही है उसको कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

कुछ व्यवस्था पर उठाना चाहते हैं ?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैं भी सदन का एक वरिष्ठ सदस्य हूँ। मेरा भी सौभाग्य रहा है मैं उधर भी रहा हूँ और इधर भी रहा हूँ। अभी तक यह परम्परा रही है कि अगर कोई सदस्य या मंत्री किसी का नाम लेता है तो उसको बोलने का अधिकार होता है।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ--

मान्यवर, यह प्रकरण कब तक चलेगा ?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

हमारी बात तो आ जाने दीजिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

देखिये यह प्रश्न जो आप कह रहे हैं वह हुकुम सिंह जी ने उठाया था और उस पर व्यवस्था हो गई है। अब आप बैठ जायें।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खाँ--

नहीं, मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है, कब तक चलेगा यह प्रकरण ?

(व्यवधान के मध्य माननीय अध्यक्ष द्वारा मद सं0-2 पुकारे जाने पर)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि :--

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि :--

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 12 मार्च, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा --

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि :--

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2005, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, जब हमारा नाम तीन बार लिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठ जायं। इस पर बात हो गई है, आप बैठ जायं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सर्वोच्च पद पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। कोई दिक्कत है तो मेरे कक्ष में आयें, मैं प्रोसीडिंग निकाल कर देख लूँगा। कोई आपके सम्मान में गलत बात होगी तो मैं देख लूँगा। बात हो गई है, आप बैठ जायं।

(श्री राम इकबाल सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह इसमें नहीं आती है, आप भी बैठ जायं।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हमको आश्वासन मिला था।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता । आपने मुझे नियम-300 की ग्राह्यता पर जितना सुन सकते थे, सुन लिया। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

कहाँ आपको सुना मैंने ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आप काफी देर तक सुनते रहे। मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कोई बुरी बात तो नहीं कह रहा हूँ। आभार व्यक्त करना कोई बुरी बात है ? आपको भी और टण्डन जी को भी धन्यवाद। मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि किसी दल को यदि किसी बात से पीड़ा है, असहयोग है तो उसे अधिकार है कि वह सदन का बहिष्कार कर ले लेकिन वह सदन की कार्यवाही बाधित कर सकता है कि नहीं इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। हाँ या ना में जबाब दे दें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, आप इस सदन का संचालन करते हैं और आप हम सबके संरक्षक हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। इस सदन को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था माँगी जा रही है। हम सब जन प्रतिनिधि जनता से चुनकर आते हैं।

श्री अध्यक्ष--

सदन व्यवस्थित चल रहा है, चलने दें। मद संख्या-3 में कुछ नहीं है, मद संख्या-4 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 मार्च, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 16 मार्च से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

मार्च, 2005 1--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :--

16 बुधवार (क) उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 (आधा घण्टा),

(ख) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (आधा घण्टा),

(ग) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (आधा घण्टा),

(घ) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (आधा घण्टा),

2--डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अंतर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की अग्रत्तर चर्चा :--

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महिला सशक्तीकरण हेतु समयबद्ध प्रभावी कार्यक्रम बनाया जाय।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3--श्री श्याम लाल रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :--

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन के इतिहास में 'चौकीदार चपाती आन्दोलन' के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाय।"

4--श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अंतर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा :--

"प्रदेश में लघु, सीमान्त किसानों को कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाले लघु ऋण, खाद एवं बीज की सुविधा समितियों के बन्द हो जाने के कारण न मिलने के सम्बन्ध में।"

मार्च, 2005 17 गुरुवार — श्री लालजी टण्डन, डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सुखदेव राजभर, श्री राजेश कुमार, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक बंसल, श्री प्रदीप जैन "आदित्य", श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा "प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" दी गई सूचनाओं पर डेढ़ घण्टे की चर्चा।

18 शुक्रवार — 1--श्री श्यामदेव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद लखनऊ में नकली दवायें बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

2-- डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घन्टे की चर्चा :--

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिये एक सुनिश्चित एवं समयबद्ध योजना बनायी जाय।"

3--असरकारी दिवस (आधा दिन)।

19 शनिवार, 20 रविवार	बैठक नहीं होगी।
21 सोमवार	असरकारी दिवस ।
22 मंगलवार	1--असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2--विधायी कार्य (आधा दिन)।
23 बुधवार, 24 गुरुवार	विधायी कार्य।
25 शुक्रवार, 26 शनिवार, 27 रविवार	बैठक नहीं होगी (होली का अवकाश)।
28 सोमवार, 29 मंगलवार	विधायी कार्य।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005†

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक , 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16 मार्च, 2005 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। श्री हुकुम सिंह की सूचना नियम-311 से नियम -56 में परिवर्तित की गयी। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना, श्री जगदम्बिका पाल और श्री प्रमोद कुमार की है। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में नकल माफियाओं द्वारा खुलेआम नकल कराने एवं लखनऊ स्थित मिस्टीकल राजे इण्टर कालेज में स्पीकर लगाकर नकल कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दूसरी सूचना, श्री उदयभान करवरिया की है इन्होंने राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ के टाइप-3 के अध्यासियों को उनके मकान के साथ जमीन चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तीसरी सूचना, श्री श्यामदेव राय चौधरी की है इन्होंने वाराणसी नगर स्थित दिन दहाड़े व्यापारी के तेरह वर्षीय पुत्र का अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

---

†दिनांक 30-3-2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

चौथी सूचना, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की है इन्होंने जनपद सुल्तानपुर स्थित मालविका स्टील फक्ट्री के कर्मचारियों का वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

हरीश जी आपको बता दें आपका प्रश्न आ चुका था इसलिए नियम-51 में आपकी सूचना परिवर्तित कर दी गई है। कल चर्चा नहीं हुई है जब नियम-51 के माध्यम से चर्चा होगी तो सबको समय मिल जाएगा।

(कुछ मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अत: अस्वीकृत हुई। अस्वीकृत सूचनायें इस प्रकार हैं श्री मुंशी लाल गौतम, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री राम इकबाल सिंह, श्री भरत सिंह एवं श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री नबाब सिंह नागर, श्री कौशल किशोर, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्रीमती कृष्णा पासवान।

श्रीमती कृष्णा पासवान--

मैंने भी नियम-56 में सूचना दी थी।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक ही विषय को दुबारा नहीं लिया है। कल चर्चा तो हुई नहीं। तो नियम-51 में चर्चा होगी तो उसी में जुड़ जाएगा। हरीश जी आपकी सूचना नियम-51 में परिवर्तित कर दी गई है। अब आप लोग बैठ जाएं, हुकुम सिंह जी को सुन लें।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अन्तिम पंक्ति की तरफ दिलाना चाहता हूँ। नियमों को निलम्बित कर चर्चा कराने के लिए माननीय अध्यक्ष जी प्रक्रिया विनिश्चित करें। जिससे कि उसका अनुसरण होकर चर्चा हो सके, हमारा आग्रह भी यही था। यह तो आपका अधिकार है, प्रक्रिया का निर्धारण तो आप ही करेंगे। लेकिन प्रदेश में जितने घोटाले हो रहे हैं, उसके कारण पूरे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण हो गई है। इसलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि आपके माध्यम से हम इसे सरकार के संज्ञान में लायें। जिन विभागों में भर्तियाँ हुई हैं, सरसरी तौर पर चर्चा हुई, लेकिन विस्तार से चर्चा नहीं हुई है। मैं कहां तक विभागों के नाम गिनाऊँ, जिनमें घोटाले हुए हैं, जिला स्तर पर भर्तियाँ हुई हैं लेकिन सूची बनी है मुख्यालय पर, इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं ? दूसरा खाद्यान्न के बारे में जिक्र आता है और फिर उसका उत्तर आ जाता है, यह मेरा दायित्व है कि मैं सारे तथ्य सदन के सामने लाऊँ। मैं कई जनपदों के नाम ले सकता हूँ, इन जनपदों में जितना धान का क्रय दिखाया गया है, वहाँ पर उतना धान का उत्पादन ही नहीं हुआ है, तो यह आश्चर्य की बात है या नहीं ? इलाहाबाद, बनारस, आजमगढ़ में जो धान की खरीददारी दिखायी गई है कृषि विभाग के मुताबिक, वहाँ पर उतना धान पैदा ही नहीं हुआ। वहाँ पर धान खरीददारी के बाद उसका पेमेण्ट, उसकी मिलिंग आदि सब हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह अरबों रुपये के घोटाले का मामला है। इसी प्रकार मान्यवर, कुछ प्री योजनाएँ जिनके बारे में जिस रोज से सरकार का गठन हुआ है, कोई दिन ऐसा नहीं गया है, जिस दिन किसी नेता या नेता सदन ने उसका जिक्र न किया हो कि दादरी, नोयडा में परियोजना लग रही है। ढाई हजार हेक्टेयर भूमि किसानों से ले ली जाए, कौड़ियों के दाम में, स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी जाए, यह घोटाला है। 600 एकड़ भूमि ले ली गयी और आदेश कर दिया गया है कि 25 कि0मी0 की दूरी में कोई उद्योग नहीं लगेंगे। ऐसे ही न जाने कितने घोटाले हैं, जिनकी चर्चा हम करना चाहते हैं। हम यह भी चर्चा करना चाहते हैं यह बजट पूरे प्रदेश के लिए है या किसी क्षेत्र विशेष के लिए है ? इसी तरह से उच्च शिक्षा में ,जैसा गौर साहब कह रहे थे कि एक विद्यालय को अकेले 69 करोड़ दे दिया गया, तो यह घोटाला है या नहीं ? हम सारे तथ्य आपकी अनुमति से इस सदन में रखकर सिद्ध कर देना चाहते हैं और आपको खुशी होगी, सरकार इनका उत्तर दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मान्यवर, अब नेता प्रतिपक्ष विस्तार से बोलेंगे।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

अध्यक्ष जी, इस सदन की सार्थकता इसी में है और जनता से जो फीडबैक मिल रहा है और जनता का धन जिस तरह लुट रहा है, उसको हम सदन के सामने रखें। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं है जो यह घोटाले हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, जिसका शासन होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है। यह भी हो सकता है कि उनकी इसकी जानकारी ही न हो। अगर सदन के अन्दर यह बात आती है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। जो एक पाइप लाइन पड़ गयी है जिससे सारे वित्तीय संसाधन बहते हुए चले जा रहे हैं। अभी 600 एकड़ जमीन नोयडा में 1996 के भाव में दे दी गयी, आपको छूट देने का अधिकार है, अगर उनको आज के रेट पर दें। जो उसमें छूट दी है, वह सरकार का विशेषाधिकार हो सकता है लेकिन यह कि उसका भाव घटा दिया जाय, फिर 8-10 लोगों के लिए घटा दिया जाए, यह बाकी प्रदेश के लोगों के लिए नहीं है। मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक दिन घोषणा की थी और पहले जब मैं था तो मैंने भी घोषणा की थी कि विधायकों को एक-एक भूखण्ड नहीं लेना चाहे वह ले लें। इसमें भी कोई छूट नहीं थी केवल पहले प्राथमिकता देना था। इसी प्रकार पत्रकारों को दिया गया था। इसमें कोई रेट नहीं घटाया गया था। लेकिन अगर आज सारी जमीन का हिसाब लगाया जाये तो कई सौ करोड़ कई हजारों करोड़ रुपये का फर्क पड़ता है। यह हजारों करोड़ रुपये जनता की कमाई के हैं। आप भले ही कहें कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने जा रहे हैं, संसाधन आ रहे हैं, पूंजीपति आ रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पास अपने संसाधन नहीं हैं, हमारा खजाना खाली है, हम कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं लेकिन इन कामों में पैसा लगा रहे हैं।

सैफई की बहुत बात आती है। यह मुख्यमंत्री जी का धार्मिक प्रश्न है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो मंत्री जिस विभाग का हुआ उसने अपने क्षेत्र में सब कुछ करने की कोशिश की है लेकिन जिस समय जब सारे बुन्देलखण्ड में आज सारी छत गिर गयी है वहाँ पर पत्थर गिरे हैं उससे सारी फसल बरबाद हो गयी है। अगर एक तरफ आप इतने बड़े पैमाने पर रुपये खर्च कर रहे हैं तो इसमें तो हमारी शुभकामनाएँ हैं कि सारे प्रदेश का हर गांव ऐसा हो जाये लेकिन यह जो बुन्देलखण्ड में हुआ कि जहाँ किसान बिलकुल बरबाद हो गये हैं। एक तरफ तो आप स्वीमिंग पूल बना रहे हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और वहाँ आस्ट्रेलिया से टाइल्स लगवाने के लिए मंगवाई जा रही है। यह विसंगति लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। आखिर जो हो गया, सो हो गया। आज प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि सारा काम रोककर बुन्देलखण्ड में मरते हुए लोगों की सहायता करें। जो मर गये हैं आज तक उन्हें अनुग्रह राशि नहीं मिली, कोई सहत राशि नहीं मिल रही है। जो मकान गिर गये हैं उसे सरकार को बनाना चाहिए। राजस्व मंत्री जी के पास राहत कोष में बहुत बड़ी राशि होती है। अगर वह उसका मुँह खोल दें। मान्यवर, परिवहन विभाग में एक हाई टेक्नालाजी लागू की जा रही है। 600 करोड़ रुपये का इसमें घोटाला है। यह तथ्य आपके सामने आने चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आपका वर्जन हो गया हो तो आपकी जो डिमाण्ड है उस पर आ जायें।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, आप चर्चा करा दें। मैं यह नहीं चाहता कि यह अभी ही कोई जवाब दे दें। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर चर्चा करा दें। अब बोरों की खरीद में जिसमें हजारों करोड़ रुपये का घोटाला किया गया, 115 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। मान्यवर, बोरे मानक से कम रेट पर खरीदे गये। जरूरत से ज्यादा बोरे खरीदे गये, सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। चावल की लेवी का आप सारे प्रदेश का आंकलन कर लें कि कितना चावल उत्पादन हुआ और कितनी लेवी की खरीद हुई है। आँखें खुलनी चाहिए। हजारों करोड़ रुपये का आर-पार हो गया। मान्यवर, इससे व्यवस्था में जो हो रहा है यह किसी पर लान्छन नहीं है। लेकिन यह सदन को देखना होगा। इस सदन की सार्थकता इसी में है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल में निर्णय दे दूँ। संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, आप सभी हालात से अवगत हैं। सभी बिन्दुओं पर इसी सत्र में बार-बार चर्चा हो चुकी है। जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं, उनको उजागर किया जा चुका है और नेता सदन इस पर बार-बार जवाब दे चुके हैं, विभागीय मंत्री द्वारा जवाब दिया जा चुका है। जहाँ तक नेता विरोधी दल का मामला है, पक्ष की तरफ से उनका कितना सम्मान किया जाता है और उनका पद सम्मान का है। जब भी वह कहना चाहते हैं तो उन्हें इस बात का हक रहता है। वह जो भी कहेंगे वह सर आँखों पर तस्लीम है। यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य किया जाय। आपका भी मन भरा था, आप कुछ कहना चाहते थे आपने कह दिया। हम भी बुराइयाँ सुनना चाहते हैं और आप भी बुराइयाँ ढूँढना चाहते हैं, ढूँढ लीजिये, हमें भी मार्गदर्शन मिलता है। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि हम मुकम्मल हैं। अगर हम यह कहेंगे तो हम फरिश्ता हो जायेंगे और बेकार हो जायेंगे और आसमान में हमें बुला लिया जायेगा। आप हमें इंसान ही रहने दीजिये। इंसान में कमियाँ और खूबियाँ होती हैं। जो हमारी खूबियाँ हैं वह पूरा प्रदेश जानता है और जो हममें कमियाँ हैं वह आप जानते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टण्डन--

(अपने स्थान से बैठे-बैठे) वही तो हम आपको बता रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आपसे हमें कुछ मिल ही रहा है तो हमें लेने में क्या इंकार हो सकता है। आपने जो कहा है वह सीख और सबक के लिए कहा है। जहाँ-जहाँ कमियाँ होंगी उन्हें पूरा किया जायेगा। यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री हुकुम सिंह जी, नेता विरोधी दल व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। इसको मैं नियम-52 में परिवर्तित करके चर्चा करा दूँगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी क्यों माहौल खराब करना चाहते हैं। अच्छा खासा माहौल हो गया है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं माहौल ठीक कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हम यह व्यवस्था चाहते हैं कि आज दो दिन के बाद यह पता लगा कि इनका क्या दर्द था और सरकार का क्या दर्द था। इस तरह के झगड़े तो मियाँ बीवी में हुआ करते हैं। मेरा एक सुझाव है कि यह मियाँ बीबी के झगड़े यह घर में सुलझा लिया करें यहाँ सदन का समय बर्बाद न करें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो न मियाँ में हैं और न बीबी में।

श्री अध्यक्ष--

अब आप लोग बैठ जायें, मैं अगली सूचना ले रहा हूँ जो कि जगदम्बिका पाल जी की है।

(श्री जगदम्बिका पाल जी द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हमने बहुत आवश्यक सूचना नियम-56 में दी थी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय इकबाल सिंह जी यह हाऊस 29 तारीख तक चलेगा, अभी बहुत समय है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, कल परसों हम नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ यह दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है मैं अपने क्षेत्र में रहूँगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय इकबाल सिंह जी आप विद्वान सदस्य हैं, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से आप पढ़कर आये हैं, आप अध्यक्ष भी रहे हैं। मैंने पाल साहब को बुला लिया है, उन्हें बोल लेने दें।

*श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-56 में एक अति महत्वपूर्ण, लोक महत्व और तात्कालिक प्रश्न को उठाने की अनुमति दी इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा है कि, इतना तात्कालिक है कि इस समय पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं संचालित हैं, जिसमें लगभग 30-35 लाख छात्र-छात्राएं प्रदेश भर में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। मान्यवर, आज जिस तरह से परीक्षाओं की पवित्रता और सुचिता पर नकल माफियाओं के द्वारा जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश, नेपाल के लिए, बिहार के लिए, उत्तरांचल के लिए, पंजाब और हरियाणा तक के राज्यों के लिए जो अपने राज्यों में परीक्षाएं नहीं पास कर सकते हैं उनके लिए नकल करके परीक्षा पास करने का यह चारागाह सा बन गया है। दूसरे प्रदेशों से परीक्षार्थी आते हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर पैसा लेकर के नकल कराकर के परीक्षाएं पास कराई जाती हैं। मान्यवर, पहले तो यह चोरी-छिपे होता था लेकिन आज यह सब खुलेआम हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के खदरा मोहल्ले में मिस्टिकल राजे इण्टर कालेज है वहां नकल कराने का दुस्साहस देखिए कि प्रधानाचार्य के कक्ष में स्पीकर लगाकर के, सारी कक्षाओं को उससे जोड़ दिया जाता है और फिर प्रधानाचार्य के कक्ष से ही सारी कक्षाओं में स्पीकर के माध्यम से सामूहिक रूप से प्रश्नों का उत्तर बताकर के सामूहिक रूप से नकल कराई जाती है। आज प्रदेश में नकल माफियाओं के हौसले इतने बुलन्द हैं कि वह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही सामूहिक रूप से नकल करा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन छात्र/छात्राओं का भविष्य क्या होगा ? जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। स्वभाविक है कि जब सामूहिक नकल होगी तो नकल करने वाले छात्र/छात्राएं, नकल करके अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो जो मेहनत करके, परिश्रम करके, ईमानदारी से परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइन्साफी होगी। मान्यवर, मिस्टर मौर्या जी ने आज जिस तरह से सेण्टर बनाने में पैसा लिया और उसके बाद एक शिकायत पर उनका स्थानान्तरण हुआ और फिर उन्होंने अपना स्थानान्तरण वहीं करा लिया, मान्यवर अब तीसरी बार उन्होंने अपना स्थानान्तरण करा लिया है, एक-एक जिले में तीन बार स्थानान्तरण हुए, यह सब क्या है ? बलिया की घटना भी आपके संज्ञान में आ रही है, नकल की जितनी घटनाएं घटित हो रही है, यह प्रदेश के लिए , सरकार के लिए और हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। मान्यवर, आज किस तरह से परीक्षाओं की पवित्रता और सुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, जहां इतनी बड़ी परीक्षा का संचालन करने वाली संस्था है, इतना बड़ा माध्यमिक शिक्षा परिषद् जिसके अन्तर्गत 35-40 लाख छात्र/छात्राएं परीक्षाएं देते हैं, उनके भविष्य का सवाल है तो मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार किस तरह से नकल विहीन परीक्षा प्रणाली को विकसित करने का काम करेगी ? मान्यवर, इससे ज्यादा तात्कालिक विषय और क्या हो सकता है, लाखों-करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा यह अविलम्बनीय प्रश्न है, इसको आप ग्राह्य कर लें और इस पर चर्चा करा लें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जगदम्बिका पाल साहब ने जो बातें कही है मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूँ। मान्यवर, परीक्षाएं लगातार चल रही हैं, इसलिए यह अविलम्बनीय हो गया और लाखों लोगों के भविष्य से यह जुड़ा है इसलिए यह लोक महत्व का हो गया है। मान्यवर, आज जिन लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, टेलीवीजन पर देखा होगा उनके मन में क्या विचार आया होगा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रिंसिपल के कक्ष में बैठकर सारे कमरों में स्पीकर लगाकर के प्रश्नों का उत्तर हल कराया जा रहा था, तो मान्यवर, लोगों का दिल दहल गया होगा, प्रदेश के उन ईमानदार छात्र/छात्राओं का जो दो वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा ? मान्यवर, प्रश्न सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रश्न इससे आगे भी गया, पहले यह कहा जाता था कि प्रश्न-पत्र आउट हो गया है और आज यह कहा जा रहा है कि उत्तर-पुस्तिका आउट हो रही है, यह बहुत ही गम्भीर और चिन्ता का विषय है। मैं यह सिर्फ आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो जो हमारी मान्यवर, नीति है उस पर विचार किया जाय। मान्यवर, मैं एक बात से सहमत हूँ कि कुछ लोगों ने एक काम किया था कि जो नकल को कांग्नीजेबिल आफेंस बनाकर लड़कियों को हथकड़ी डालकर जेल भेजने का काम किया था। वह घृणित काम किया था मैं उसकी निन्दा करता हूँ। मान्यवर, सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि अगर स्वकेन्द्र बनाये गये हैं परीक्षा के लिए तो फिर उनकी पवित्रता भी बनाये रखने की जिम्मेदारी सरकार की अवश्य है। जब यह समाचार हर जगह पर फैलेंगे तो उत्तर प्रदेश से जो छात्र आज उत्तीर्ण होंगे उनकी पूरे देश में छवि अच्छी नहीं होगी। पूरे प्रदेश की अच्छी छवि नहीं बनेगी। सरकार इस पर आज ही अपना निश्चय घोषित करे। मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूँ कि जब टंडन जी हाईस्कूल परीक्षा में बैठे थे तो उस केन्द्र पर नकल हुई थी उसके बाद से बंद हो गयी थी। मैं चाहता हूँ कि आप इसे बंद कराने के बारे में अपने निश्चय की घोषणा करें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह नकल की उत्पत्ति है यह ओरिजनल है ही नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, यह मामला सरकार के संज्ञान में आया है इसका परीक्षण कराया जा रहा है। जो भी कार्यवाही सख्त से सख्त होगी, इसमें की जायेगी। इसमें कोई समझौता नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की अग्राह्य है।

इस सूचना पर सदस्यों तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् जिसमें उन्होंने कहा है कि वे इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है, इसलिए अग्राह्य की जाती है।

*श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, महानगर सचिवालय कालोनी में जो टाइप तीन के मकान बने हुए हैं उसमें जो बीच के जो मकान हैं उसमें रहने वालों को बहुत परेशानी है उनको अपनी गाड़ी कहीं पार्क करने की सुविधा नहीं है, आये दिन वहाँ चोरी की घटनाएं होती हैं। अभी हाल ही में चोरों ने गाड़ी के आगे का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शीशा काट कर उसमें से कीमती सामान निकाल लिया जो नीचे के मकानों में वहाँ रहते हैं उन्होंने उस पर पूरा कब्जा कर लिया है और जो छत पर रहते हैं उनका छत पर कब्जा है। इसी तरह से मान्यवर, विधायकों को रहने के लिए जो मकान मिले हैं, वहाँ स्थान की कमी है और दारूलशफा में हालत यह है कि इतनी भीड़ और गाड़ियां रहती हैं कि कभी-कभी सामने जाकर सड़क पर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें विधायक का मामला कहाँ से आ गया ?

श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी इन आवासों में रहते हैं और जो विधायकगण विधायक आवासों में रहते हैं वहां पर इस तरह की असुविधायें हैं। जहां आये दिन चोरी की घटनाएं होती हैं। मान्यवर, आज कोई विधायक जीप से नहीं चलता है सब अच्छी-अच्छी और महंगी गाड़ियों से चलते हैं जिसमें एक टेपरिकार्डर ही बीस से पच्चीस हजार रु0 का लगा होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह विधायकों तथा सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। मान्यवर, जो यह गाड़िया हम लोगों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा पार्क हों कालोनियों में उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो और इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर सरकार द्वारा तत्काल समुचित व्यवस्था की जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, जहां विधायक रहते हैं वहां भी देखभाल के लिए पुलिस की व्यवस्था भी है और चौकीदार भी रहते हैं। और जहां सरकारी अधिकारी और विधायक मिलजुलकर रहते हैं वहां भी चौकीदारों की व्यवस्था है। इसके बावजूद घटनायें होती रहती हैं और हुई भी हैं। मान्यवर, परेशानियां बहुत हैं। जब मैं 1980 में विधायक बनकर आया था तब वहां खाली रिक्शा मिलता था। उस स्थान पर रिक्शे खड़े होते थे। किसी- किसी के पास ही केवल गाड़िया होती थीं। लेकिन आज तो कल्चर ही बदल गया है पूरा। जिस विधायक के पास अच्छी गाड़ी नहीं उसे दूसरे विधायक अच्छा नहीं समझते हैं। और जिसके पास बिल्कुल गाड़ी नहीं है वह समझते हैं कि यह फटीचर विधायक हैं और अब वे भी अपने अन्दर किसी कमी का एहसास करते हैं। मान्यवर, न इमारतें चौड़ी हो सकती हैं और न सड़कें इतनी चौड़ी हो सकती हैं। वहां अन्डरग्राउन्ड पार्किंग की व्यवस्था पर विचार किया गया था लेकिन उसमें भी बहुत धन की जरूरत है। मान्यवर, एक तो आज हर बच्चे को गाड़ी चाहिए और हर 15 दिन में नये माडल की गाड़ी बाजार में आ रही है। पैसे की कमी नहीं है। गाड़ियों पर लोगों का खर्च बढ़ता जा रहा है। यह खुशी की बात है। जिस दारूलसफा में रिक्शा कहीं-कहीं मिला करता था आज उसमें इतनी गाड़ियां हैं कि निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो इससे खुश भी होना चाहिए, तो मान्यवर, नियम 56 के लिए यह कितना मौजू और मुनासिब है यह भी निर्णय लेने में गौर करें।

श्री अध्यक्ष--

उदयभान करवरिया जी ने जो मामला नियम 56 में उठाया है वह नियम 56 में नहीं आता है लेकिन चोरी न हो इसकी व्यवस्था करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, इसमें यह बात भी सुन लें कि आमतौर पर देखने में यह आया है कि जितनी गाड़ियों में चोरी हुई है उसको या तो ड्राइवर ने कर लिया है या उसी मकान के लोगों ने, फिर उसकी रिपोर्ट नहीं होती है जब उसी घर का आदमी चोरी कर लेता है। तो एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है।

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, मेरी नई गाड़ी चली गयी है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

वह जो आपकी गाड़ी चली गयी है मैं आपको तरकीब बता दूँगा, आपकी एक गयी मैं दो दिलवा दूँगा, मुझसे मिल लें मैं तरकीब बता दूँगा।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

हुकुम सिंह जी नहीं चाहते हैं कि आपको दो गाड़िया मिलें।

श्री हुकुम सिंह--

एक इनको दे दीजिएगा एक आप रख लें।

श्री अध्यक्ष--

गाड़ी का बीमा हुआ होगा उसकी रपट लिखी होगी।

यह नियम 56 में नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की है।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि कानून एवं व्यवस्था से जुड़े हुए एक गम्भीर विषय की ग्राह्यता पर बोलने का आपने अवसर दिया। यह घटना दिनांक 14 मार्च की है। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ए0 के0 जैन नामक एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उनका पुत्र अनमोल जैन जो 13 वर्ष का था और कक्षा 6 का छात्र था, वह परीक्षा देकर सेन्ट जोंस स्कूल से लौट रहा था। एक दु:ख का विषय यह आता है कि जब मड़ौली पुलिस चौकी उससें करीब 200 गज की दूरी पर रह गयी थी, वह अपने पिता की गाड़ी से जो ड्राइवर चला रहा था, उस चौकी से 200 गज की दूरी पर 5-6 की संख्या में अपराधी जो पहले से घात लगाकर बैठे थे, गाड़ी को बलात रोक दिया और असलहे के बल पर ड्राइवर और बच्चे को उठा लिया और अपनी टाटा सूमो गाड़ी पर बैठा कर अज्ञात स्थान की ओर चले गये। इस घटना को देखने वाला एक प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति ने पुलिस चौकी को खबर दी और पुलिस सक्रिय हुई लेकिन दु:ख की बात यह है कि 14 तारीख की घटना है और आज तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधान सभा में यह कहा था, उन्होंने जो भावनाएं व्यक्त की थी कि प्रदेश को उत्तम प्रदेश तभी बनाया जा सकता है जब हम इसको अपराध मुक्त बना देंगे तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वाराणसी में अपराध बहुत बढ़ोत्तरी पर है और पुलिस की सक्रियता से भी उस पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं हो रहा है। एक के बाद एक दुखद घटनायें हो रही हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ए0 के0 जैन जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, शान्तिप्रिय नागरिक हैं, उनका 13 वर्षीय बच्चा, जो कक्षा-6 का छात्र है,

उसका जो दिन-दिहाड़े लगभग 3 बजे असलहे के बल पर अपहरण करके कहीं ले जाया गया है, पता नहीं वह जीवित है भी या नहीं । तीन दिन हो रहा है, आज तक उस छात्र का और न उसके ड्राइवर का पता चल पाया है। मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि इस दुखद घटना का सरकार गंभीरता से संज्ञान ले और वाराणसी में बार-बार घटित होने वाले अपराधों को रोकने के लिये पुलिस बल और जिला प्रशासन को और अधिक सक्रिय और चुस्त-दुरूस्त करे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि यह जब अपराधमुक्त प्रदेश बनेगा, तभी उत्तम प्रदेश बनेगा, इस सपने को साकार रूप मिल सके और अन्तिम शब्द मैं यह कहना चाहूँगा कि इस घटना के घटित होने से आम नागरिक तथा अभिभावकों के मन में एक भय उत्पन्न हो गया है कि मेरा बच्चा स्कूल पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा और वहाँ से लौटकर आयेगा कि नहीं आयेगा ? इससे जो आतंक और भय व्याप्त है, इस पर प्रभावी कार्यवाही करके उसको कम करने की दिशा में सरकार को सक्रिय कदम उठाना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, श्री ए0 के0 जैन का 13 वर्षीय पुत्र अगवा हुआ है, इसे किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपकी सूचना में काफी बल है और यह भी आपने स्वीकार किया है कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस सक्रिय हो गयी। आपने पुलिस की सक्रियता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। जाहिर है कि पुलिस और सरकार का जो दायित्व था, वह पुलिस ने निभाया है और आगे भी निभायेगी। जैसा कि नेता सदन ने उत्तम प्रदेश बनाने के बारे में कहा था। उत्तम प्रदेश बनाने के लिये जितने भी भरसक प्रयास हो सकते हैं, वह सारे किये जा रहे हैं। चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सामाजिक असमानता का मामला हो, इन सारी चीजों पर सरकार बहुत गंभीर है और इन प्रश्नों को हल करेगी। लेकिन एक चीज कहना है कि 13 साल का जो बच्चा है, हम तो यहाँ सदन में बैठे हैं, हम सबके बच्चे हैं, उसमें उसका जितना भी अहसास और दर्द होना चाहिए, कम से कम हमें तो है और ज्यादा से ज्यादा है। माननीय सदस्य ने कहा कि मालूम नहीं वह जिन्दा है या मर गया है। मेरे ख्याल से हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि वह मर गया है। हमें यही आशा रखनी है कि वह बच्चा जिन्दा है और जिन्दा ही सरकार उसे हासिल करेगी और उस परिवार को पहुँचायेगी। ऐसा कदाचित सोचना भी नहीं चाहिये। ऐसे शब्द मुँह से निकलना भी नहीं चाहिये कि वह दुनिया में नहीं है। हम यही दुआ करे कि वह ठीक हो। एक चीज कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिये, जो यह काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि बच्चों को अगवा करने वालों के लिये पेनेल कोड में कोई सजा है ही नहीं। वह आखिरी सजा भी सजा नहीं है। इनके लिये कोई ऐसी सजा हो, जिससे सुनने के बाद लोगों को यह लगे कि अगवा करने वालों का अंजाम इतना दर्दनाक होगा। तो इस तरह की सजा अगवा करने वालों को मिलनी चाहिए और सरकार पूरी ईमानदारी से मेहनत से उसका पता लगाने की कोशिश करेगी।

श्री अध्यक्ष --

माननीय श्याम देव राय चौधरी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री ने पूरी तरह से यह आश्वस्त किया है कि पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसलिये नियम-56 में आपकी इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अगली सूचना श्री राम प्रकाश पाण्डेय की है।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार यह कहती है कि लोगों का विकास होगा, इस प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाया जायेगा। हमारे सुल्तानपुर में मालविका स्टील फैक्ट्री 500 एकड़ जमीन में स्थापित की गयी, उस पर 6 अरब से ज्यादा खर्च भी हुआ, लेकिन यह ठीक से चल भी नहीं पाई कि बंद हो गयी। बहुत दूर-दूर से लोग इसमें काम करने आये, लेकिन उसके बाद भी उनको एक वर्ष का भी वेतन नहीं मिला। हजारों की संख्या में कर्मचारी बाहर पड़े हैं और उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। आज वह जगह जहाँ पर रेल लाइन बिछाई गयी है बिजली का सब-स्टेशन वहाँ पर खड़ा हो गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रममंत्री जी आप कृपया ध्यान दें।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

मान्यवर, वहाँ पर मालविका स्टील फैक्ट्री जो लगायी गयी थी, आज उसको कबाड़ में बेचा जा रहा है। यह भी संज्ञान में आया है कि कबाड़ को काटने वाले जो मजदूर हैं, उनको 5 हजार रुपये मिल रहे हैं। उसको इस प्रकार से बेचा जा रहा है, जैसे मानों वहाँ पर डकैती हो रही हो । जिन बैंकों से ऋण लिया गया था, जब उनके आफीसर वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर जो अराजक तत्व हैं, वह उन्हें भगा देते हैं। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कृपया इस पर चर्चा करा ली जाय। सुल्तानपुर में यह फैक्ट्री स्थापित हुई थी कि इससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और अब यह स्थिति हो गई है कि जो इसमे ट्रेंड लोग थे, वह भी भुखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा ली जाय।

श्रम मंत्री (डॉ0 वकार अहमद शाह)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बताया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अगर उनके पास ऐसी जानकारी है, तो बतायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इसका उत्तर दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, जो प्रश्न रखा गया है, वह बहुत ही गम्भीर है, किसी भी प्रकार से प्रदेश के श्रमिकों की उपेक्षा नहीं होने दी जाएगी और इसके साथ ही साथ इस बात का ख्याल भी रखा जायेगा कि उद्योग भी किसी तरह से घाटे में न आयें। सरकार इसे देखेगी और जो भी यथोचित् कार्यवाही सम्भव होगी, अवश्य की जायेगी।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, इतनी बड़ी फैक्ट्री बन्द हो गई और अब जो उसकी मशीनरी है, जो मैटीरियल है उसको भी कबाड़ में बेचा जा रहा है, माफिया लोग उसे ले जा रहे हैं, तो इसमें तो तत्काल कार्यवाही की जरूरत है कि उसे रोका जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह फैक्ट्री प्राइवेट है या निजी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैं बता रहा हूँ , इस प्रकार की जितनी मिल्स हैं, बीमार हो गई हैं, नहीं चल पायी हैं, इस प्रकार की शिकायतें एक जगह की नहीं है, बहुत सी जगहों की है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जब मिल-मालिकों पर कर्ज का बहुत ज्यादा बोझ हो गया तो वह फैक्ट्री छोड़ करके भाग गये, अपने चौकीदार भी हटा लिये, जो परिसर में मुलाजिमिन रहते थे, उन्होंने लोगों से मिल करके चोरी की। मेरे यहाँ रजा टेक्सटाइल मिल में तो यहाँ तक हुआ कि मशीनों को काटने के लिए कटर्स दहली से ट्रकों में रखकर लाये गये। उन मशीनों को काटा गया ट्रकों पर रखा गया और केवल 500 मीटर की दूरी पर थाना था, किसी को भी पता नहीं चला और आज एक भी मशीन वहाँ पर नहीं है। जो मिल की दीवारें थीं, वह भी गायब हो गई, उसके बाद अब बुनियादों में भी जो ईंटें थीं, वह भी गायब हो गईं। मान्यवर, क्योंकि प्राइवेट मिल्स से सवाल-जवाब करने का, जायदाद बचाने का दायित्व पहले उनका होता है, बाद में हमारा दायित्व आता है। हम जिस तरह से हो सकेगा, वहाँ के प्रशासन को सजग करेंगे कि वहाँ पर यह सब न हो सके, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष--

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद में इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

(श्री राम इकबाल सिंह के खड़े होने पर)

पहले अस्वीकार कर दिया गया है, अब नहीं आयेगा। आप कृपया बैठ जाएं।

(मद संख्या-10 पुकारे जाने पर मा0 खेलकूद मंत्री खड़े हुये।)

श्रीमती कृष्णा पासवान--

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। पहले मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

ओला वाली आपकी जो माँग थी उसको मैंने मान लिया है, इस पर चर्चा होगी।

श्रीमती कृष्णा पासवान--

मान्यवर, पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, संक्षेप में अपनी बात रखें। माननीय मंत्री जी आप बैठ जाएं।

श्रीमती कृष्णा पासवान--

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के हित में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद फतेहपुर के किशनपुर विधान सभा के गांव रानीपुर मखना, लाखीपुर, टेनी, पेरी, तिलोचनपुर, टेसाही, नरौली, सिठी यानी, साता, मनावाँ, सरकण्डी, कठौता, निहालपुर, तिलोचनपुर, सेकरहा, छोटी टेसाही, नखासगरामपुर अनेकों तीन दर्जन गांव की ओर दिलाना चाहती हूँ। जनपद फतेहपुर में एक किग्रा0 से लेकर पाँच किग्रा0 तक के ओले पड़े हैं और किसानों के खेत में फसल का नाम नहीं रह गया है। जंगली जीव-जन्तु भी काफी मरे हैं तथा बहुत से जीव-जन्तु घायल हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 7 नीलगाय मर

गयी हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में 3 दर्जन गांव आते हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से केवल यही निवेदन है कि जो किसान बीमा करवायें हैं उस बीमे का पैसा दिलवा दें और किसान क्रेडिट कार्ड से जो धन निकाले हैं वह माफ कर दें तथा जो भी राहत सरकार दे सकती है वह देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

आपने कल इस विषय को नियम 56 में दिया था, मैंने स्वीकार कर लिया था लेकिन आप नहीं थे।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय सदस्या ने जो बात कही है कि ओला वृष्टि से प्रदेश में कई जाने गयी हैं और कई जनपदों में फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने उतनी ही सजगता दिखाई है। यह संवेदनशील मामला है, जितनी जगह से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, प्रत्येक मृतक परिवार के लोगों को एक-एक लाख रुपये मृतक परिवार को भिजवा दिया है। अगर कहीं कोई बच रहा है और अगर किसी माननीय सदस्य की सूचना है कि किसी की मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार को राहत नहीं गयी हो तो तत्काल हमें सूचित करें, हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें राहत दिलायी जाये। जो फसलों का नुकसान हुआ है सरकार उसका आंकलन करवा रही है। दैवी आपदा में जो राहत दिया जा सकता है वह भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मानक है, उसके अनुसार अनिवार्य रूप से राहत देने का काम करेंगे। एक बात कही है कि किसान क्रेडिट कार्ड से निकाले गये धन की माफी की, तो वह सम्भव नहीं है। जो कृषक बीमा योजना है, उसे पिछले वर्ष लागू किया गया है, इस साल भी हमने अपने बजट में प्राविधान किया है और अगले साल के लिए बजट आपने पारित किया है। अगले साल भी फसल बीमा योजना चालू रहेगी। जिस किसी किसान की मृत्यु ओलावृष्टि में या अन्य किसी कारण से हो जाती है तो हम उसको एक लाख रुपये देने के लिए संकल्पबद्ध हैं हमने प्रीमियम जमा किया है अगर कोई सदस्य इस तरह की कोई सूचना देते हैं तो हम तुरन्त उसको एक लाख रुपये दिलवा देंगे।

श्री उदय भान करवरिया--

अध्यक्ष जी, जो फसलों का नुकसान हुआ है, फसल बीमा योजना से उसकी क्षतिपूर्ति करायें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मैंने कृषक बीमा योजना की बात कही है। अगर किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है या अपंग हो जाता है तो उसको एक लाख रुपये दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

करवरिया जी, फसल बीमा योजना नहीं, कृषक योजना की बात मंत्री जी ने कही है।

*श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं एक संवेदनशील प्रश्न सदन में लाकर इस पर चर्चा की मांग करता हूँ। मान्यवर, बलिया जनपद से 4-4 मंत्री हैं। वहाँ पर अर्जिनिया नाम की एक दवाई खुलेआम बिक रही है जिसका इस्तेमाल नशे के रूप में हो रहा है। इससे तात्कालिक प्राब्लम क्रियेट हो गयी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तरफ तो सरकार शराब बन्दी का बोर्ड लगा रही है और दूसरी ओर गाँव-गाँव में शराब की दुकानें खोल रही है। अर्जिनिया दवा के काम आती है। डाक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर यह दवा मरीज को दी जाती है। लेकिन आज यह धड़ल्ले से बलिया में बिक रही है। पूरा जिला प्रशासन जानता है, मंत्री जी जानते हैं लेकिन वह सदन में उठा नहीं सकते। मान्यवर, अर्जिनिया में 52 प्रतिशत अल्कोहल होता है और इसकी शीशी 8 रुपये में मिलती है जब कि शराब के पाउच में 36 प्रतिशत अल्कोहल होता है और वह 23 रुपये का मिलता है। इसलिए नशाखोर 23 रुपये का शराब का पाउच न ले के अर्जिनिया खरीद कर पीते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप उनको समझायें कि इसको न पियें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, भरत राय जी के यहाँ सबसे ज्यादा बिकती है वह हमसे कह रहे थे कि इसको मैं उठाऊं। हमारे जिले की यह गंभीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष--

बलिया के माननीय सदस्य और मंत्रीगण को पीने वालों को समझना चाहिए कि वह न पिये।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

यह निकाल दिया जायेगा। मायावती जी का नाम न लें वह सदन की सदस्य नहीं है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, बलिया जनपद में जो लोग अर्जिनिया बेच रहे हैं इससे राजस्व घट रहा है। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद किया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, राम इकबाल जी ने जो प्रश्न उठाया है उसका नियम-56 से कोई लेना देना नहीं है। अर्जिनिया एक ऐसा शब्द है जिसको प्रदेश के दूसरे हिस्सों के लोग जानते नहीं है। अर्जिनिया एक ऐसा अल्कोहलिक प्रीप्रेशन है जो दवा के नाम पर, आयुर्वेदिक डाक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर, दुकानदार ड्रग लाइसेंस लेकर बेचते हैं इसका इस्तेमाल अल्कोहलिक पेय के रूप में किया जाता है। डाक्टरों के पर्चे के आधार पर यह मिलता है। जिन दुकानों के पास आबकारी का लाइसेंस है वह इसको बेचते हैं लेकिन यह सही है कि इसका दूसरे विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अर्जिनिया का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। इसकी मान्यता तभी से मिली। यह अनुचित है। सरकार ने आबकारी विभाग को सख्त हिदायत दी है कि अगर कोई दवा के नाम पर इस तरह से इसको बेचने का काम करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। कार्यवाही हो भी रही है। श्री जियाउद्दीन रिजवी ने एक नाम लिया उनको नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन उनकी बात में सच्चाई है इस तरह से कुछ लोगों को पीड़ा हो सकती है। यह सही है कि यह नियम 56 में नहीं आती इसलिए इसे निरस्त करने की कृपा करें।

नोट:-[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री राम इकबाल सिंह और राजस्व मंत्री को सुना यह नियम 56 में नहीं आती इसलिए इसे निरस्त किया जाता है।

श्री कौशल किशोर--

मान्यवर, मेरी भी महत्वपूर्ण सूचना है मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

अब किसी को नहीं सुना जायेगा। कौशल किशोर जी आप कोई सूचना देते हैं फिर उसके विरोध में आपकी दूसरी सूचना आ जाती है। अब मैं अगली मद ले रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005

खेलकूद युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

हुकुम सिंह जी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे)।

माननीय मंत्री जी डेढ़ साल से इस विभाग के मंत्री हैं मैं यह उम्मीद करता था कि इतने समय बाद कोई कार्यक्रम लेकर आते जिससे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं का विकास होता, कोई स्टेडियम बनवाते या कोई योजना बनवाते खेलकूद का बजट भी आया लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम मंत्री जी नहीं लाए। यह विभाग इसीलिए है कि आप खेलकूद का विकास करेंगे और प्रतिभाओं को आगे बढ़ायेंगे। विद्यालयों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम चलायेंगे जिन बच्चों को आज तक अवसर नहीं मिला उनको अवसर मिलना चाहिए। आपने यह समीक्षा की कि पूरे विश्व में भारत कहाँ है और भारत में उत्तर प्रदेश कहाँ है। आप लाए क्या एक विधेयक ले आए आप लम्बे समय तक सहकारिता मंत्री रहे आप क्या सहकारिता की तरह एक इकाई स्थापित कर देंगे और उससे क्रीड़ा का विकास हो जायेगा। आपने पी0सी0एफ0 बना दिया आपने रजिस्ट्रार बना दिए उससे क्या सहकारिता का विकास हो गया सहकारिता का क्या हाल है क्या सहकारिता नाम की कोई चीज है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री शारदा नन्द अंचल)--

इस पर कोई आपत्ति है।

श्री हुकुम सिंह--

मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपमें सलाहियत न हो तो यहाँ आ जायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आप बैठिये, थोड़ा सुनिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, बोलने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह--

हमने क्या किया, बताते रहे हैं और आपको सन्तुष्ट भी करते रहें। डेढ़ साल के अन्दर आप सिर्फ यह काम करने जा रहे हैं। जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनके रजिस्ट्रीकरण की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब सिर्फ किसी स्कूल में जाकर पुरस्कार वितरण कर देना ही काफी नहीं है। आप इतने बड़े मंत्री हैं, आपको कभी यह जिज्ञासा नहीं हुई कि आखिर यह विभाग क्यों बना है, इसमें इतने अधिकारी हैं, किस तरह से काम किया जा सकता है। आपको अपने अधिकारियों के साथ यह जिज्ञासा दिखानी चाहिए थी कि किस तरह से कार्यक्रम बनाकर इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इस सदन की बात तो छोड़ दीजिये आपने कभी अपनी सरकार के सामने इस तरह का कार्यक्रम रखा कि किस तरह से प्रदेश को क्रीड़ा जगत में विकसित कर सकते हैं।

मान्यवर, आप कर क्या रहे हैं, जो आपकी पहले से सारी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं उनको दोबारा से रजिस्टर्ड करने की बात कर रहे हैं। इसके अन्दर है क्या। मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि जब पहले से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसको आप सहायता देते हों और वह सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड न हो। जब वह पहले से ही रजिस्टर्ड है तो दोबारा ऐक्ट बनाकर लाये हैं और यह ऐसा प्रतिबन्ध है कि जो वहाँ रजिस्ट्रेशन करायेंगे वह यहाँ भी करायेंगे। यह किसलिये कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से सरकारी हस्तक्षेप करने के लिये, उनके कामों में दखल अन्दाजी करने के लिये एक और अधिकारी वर्ग यहाँ पर खड़ा कर देंगे। अगर कोई अच्छी तरह से काम कर रहा है तो उसकी चेकिंग करने के लिये उसमें किसी को बैठा देंगे और कोशिश करेंगे कि हम कैसे उसको आहत कर सकें। कैसे हम उसके काम को निष्क्रिय कर सकने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। एक आवाज आई थी, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मंत्री भी हैं, कह रहे थे कि इस पर भी आपत्ति है। आपत्ति नहीं है, मैं कुछ बिन्दु रख रहा हूँ।

मान्यवर, ऐसा क्षेत्र है जहां पर काम होना चाहिए और यह हमारे लिये दुःख की बात भी है कि जब हम अपने क्षेत्र में जायें और हमारे यहाँ बच्चे हमसे कहें कि आपने हमारे लिये इस क्रीड़ा जगत के क्षेत्र में क्या किया। हम उनको बाली-बाल दे नहीं सकते, क्रिकेट दे नहीं सकते, कबड्डी का मैदान दे नहीं सकते। क्या इस तरह से ऐक्ट लाकर आप रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतिभाओं का विकास कर देंगे। हमारा प्रश्न यह है कि क्रीड़ा जगत के विकास के लिये किस तरह से कार्यक्रम हों, उनमें प्रवेश के लिये किस तरह से कार्यक्रम हों कि उस क्षेत्र में विकास हो सके। इसमें रजिस्ट्रेशन होगा तो वह सरकारी समितियों की तरह ही होगा और आप इस क्षेत्र को भी देखियेगा कि यह सहकारी समितियों की तरह ही बन जायेगा। सहकारी समितियों के चुनाव की बात कहकर आप जिस तरह से ताली पीटकर बता रहे थे कि हमने किस तरह से निष्पक्ष चुनाव करा दिये। इन संस्थाओं को जो अपने कदमों पर खड़ी थीं, जिनको कभी-कभी आप थोड़ी सी मदद दे देते रहे होंगे। जो अपने आचरण, विवेक से चल रही थी उनको कुन्द करने के लिये इस तरह का अधिनियम लाया गया है। उन संस्थाओं को जो पहले से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं आपने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि

इतने समय तक आकर रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। चौधरी साहब आपको डेढ़ साल में यह काम दिया गया। मैं आपकी पीड़ा को जानता हूँ। आप बड़े मेहनती हैं, भाषण अच्छा दे देते हैं। डेढ़ साल में कुछ रचनात्मक कार्य करते। यह खेल कूद का विभाग पता नहीं किस कारण से आपको दिया गया है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। समय की पुकार है कि कभी किसी विद्यालय का आप निरीक्षण करते जाकर कि मेरे पास इतने साधन हैं इनके अनुरूप यह कर सकते हैं। उन साधनों को लेकर चलते तो समझ में आता कि कुछ न कुछ जरूर किया गया है। यह एक ओवर लैपिंग का मामला है। स्टेडियम कहाँ बनायेंगे ग्रामीण अंचल में । इनके पास कुछ नहीं युवा कल्याण विभाग आ जायेगा। युवा कल्याण विभाग को केन्द्र सरकार से अनुदान मिलता है। ऐसे-ऐसे मेरे पास कई उदाहरण है निष्क्रियता और निकम्मेपन के कारण जो सहायता स्टेडियम को मिलनी चाहिए वह नहीं ले सके। फाइल को दबाने में जो लोग माहिर हैं फाइल दबा देते हैं। जहाँ आमदनी नहीं है वहां आगे नहीं बढ़ पाए। मैं इसलिए यह विषय लाया कि इस विषय के माध्यम से चर्चा का मौका मिले। मेरी बात को आप अन्यथा न लें आप तीन महीने का समय ले लें। इस सदन के कुछ सदस्यों की एक प्रवर समिति बना दें जिसमें भले ही आप भी सदस्य बन जाएं। आप प्रवर समिति को यह सुपुर्द कर दें इसमें विचार आ जाएंगे। आप प्रतिभाओं को विकसित करने में नाकामयाब रहे हैं यह अधिनियम लाने से काम नहीं चलेगा। आप वरिष्ठ मंत्री हैं। कहा गया आठ साल आपकी सरकार थी आपके पापों को धो रहे हैं। पाप कहने से काम नहीं चलेगा। आप पुण्य की तरफ बढ़कर दिखाते हमने यह किया तो आप कुछ रचनात्मक करके दिखाते।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)--

- लोहा लोहे को काटता है।

श्री हुकुम सिंह--

काटते रहिये, तराशते रहिए। लेकिन लोहे को इतना मतबूत बना दें ताकि नीव मजबूत बने। जैसा मैंने पहले कहा इसके लिए एक प्रवर समिति बना दी जाए उसमें इन बिन्दुओं पर विचार हो जाएगा। जहां-जहां संशोधन की आवश्यकता होगी उसको करेंगे तो यह और प्रभावी बनेगा इसलिए हम यह संशोधन लाए हैं।

श्री आर0 के चौधरी--

मान्यवर, यह विधेयक प्रदेश के खिलाड़ियों के विकास को देखते हुए लाया गया है। इससे खेल संघों को बल मिलेगा। खेल संघ में उत्तर प्रदेश निदेशालयों में एक कार्यक्रम होगा निश्चित तौर पर हुकुम सिंह जी सीनियर सदस्य हैं। इनसे काफी कुछ सीखा है। मैं सहकारिता मंत्री था तो भी आपकी निगाह में था। उस समय भी संशोधन का प्रयास किया था। आपने सीधा आरोप लगा दिया डेढ़ साल से जब से हम हैं। खेल विभाग के अन्तर्गत कोई व्यवस्था सही नहीं है। आपकी सरकार ने इसको बढ़ावा देने का काम नहीं किया। मैं बताना चाहूँगा आप देख लें उत्तर प्रदेश मे वर्तमान वर्ष में पूरे देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 खिलाड़ी चयनित किए गए जिनमें 15 खिलाड़ियों में 5 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के थे। जिनको पुरस्कार मिला।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री हुकुम सिंह--

यह तो आप हमारे कार्यकाल का बता रहे हैं अपने का बता दें।

श्री आर0 के चौधरी--

वर्तमान वर्ष में ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों के अखिल भारतीय खेल हुए। उसमें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

(मेजें थपथपाई गईं)

एक सदस्य--

रात्रिकालीन खेल में मुकाबला न करें।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

खेल में तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं कूद में भी नहीं कर सकते हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

पूर्व संसदीय कार्य मंत्री ने कहा डेढ़ साल में कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--

माहौल अच्छा है मंत्री जी को बोल लेने दें।

श्री हुकुम सिंह--

उनका भाषण पूरा नहीं हुआ है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसे सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष--

टण्डन जी ने इशारे से कहा और उधर से भी राजस्व मंत्री जी ने इशारे से कहा, उसकी गम्भीरता को समझिये और उसका कुछ आनन्द लीजिये।

श्री आर0 के 0चौधरी--

मान्यवर, हमारे प्रदेश के खिलाड़ी बुलन्दियों को छू सकें, मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में वाकई उत्तर प्रदेश के खेल विभाग में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हमने कुछ अहम् फैसले लिए हैं, खेल को एक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के तौर पर बेसिक, माध्यमिक और महाविद्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। यह पहली बार हुआ है। प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सिर्फ भाग लेने पर, टूर्नामेंट में भाग लेने पर राष्ट्रीय खेलों में 2 हजार रुपये, अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने पर 3 हजार रुपये और ओलम्पिक खेलों में भाग लेने पर 5 हजार रुपये प्रदेश के खिलाड़ियों को पेंशन देने का निणर्य किया गया है. आजीवन पेंशन योजना है। पुरस्कार की राशि लम्बे समय से जो खिलाड़ियों को मिल रही थी, कम थी. उसको बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय खेलों के एकल में स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ी को पहले 20 हजार रुपये मिलता था इसको 3 लाख रुपये किया है, राष्ट्रीय खेलों के एकल में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को पहले 12 हजार रुपये मिलते थे, इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया है और कांस्य पदक पाने पर पहले 9 हजार रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया है। इसी तरह से मान्यवर, उत्तर प्रदेश की शासकीय सेवाओं में, समूह क, ख, ग एवं घ इन चारों श्रेणियों के लिए . पदक पाने वाले अच्छे

खिलाड़ियों के बारे में हमारी सरकार विचार कर रही है और उनको हम इन सेवाओं में 2 प्रतिशत का आरक्षण देंगे। साथ ही साथ जैसा माननीय हुकुम सिंह ने इंगित किया है कि हमने योजनाएं नहीं बनाई। मान्यवर, हमने देखा है कि भारत में भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न प्रतिभाएं पाई जाती है। इनमें ऐसी प्रतिभाएं होती हैं अगर उनको उभारा जाय तो निश्चित रूप से वह आगे बढ़ सकती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में नट बिरादरी है, जन्मजात उनमें एक गुण होता है, यह जन्म से ही अच्छे जिमनास्ट होते हैं, अच्छे कलाबाज होते हैं। अहीर, गूजर, काछी और गद्दी अच्छे पहलवान होते हैं। इसी प्रकार बहेलिया, अच्छे तीरंदाज होते हैं, मल्लाह, केवट आदि जातियां अच्छी तैराक होती हैं। मान्यवर, इनमें ऐसी प्रतिभाएं छिपी रहती हैं, आपने तो कभी ख्याल किया नहीं, लम्बे समय तक अर्जुन की तलाश करते रहे लेकिन एकलव्य को देखा तक नहीं, द्रोणाचार्य द्वारा भगा भी दिया गया था लेकिन अपनी मेहनत से आगे बढ़ा। लेकिन हम विचार कर रहे हैं जैसे कई जगहों प· अश्वेत जाति के खिलाड़ियों को कुछ विशेष खेलों में उनकी प्रतिभा बढ़ाने का विशेष अवसर दिर, गया है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए खेल छात्रावास बनाये जायें जिसमें उनको सुविधा दी जाए ताकि वह अपनी प्रतिभा को और निखार सकें।

पिछड़े डेढ़ साल के कार्यकाल से हमारे उत्तर प्रदेश के खेल निदेशालय और शासन के अधिकारी लगे हुए हैं, मात्र दो-ढाई साल में खेल विभाग इतना बड़ा विभाग हो जायेगा कि हुकुम सिंह जी आपको चिन्ता नहीं होगी। हमारे खिलाड़ी बुलन्दियों को छुयेंगे और सबसे ज्यादा मेडल भारत को मिलेंगे और भारत में उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। मान्यवर, हमने एक अच्छी नीयत से कि हम उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ा सकें, उनमें एक सामन्जस्य हो सके, खिलाड़ियों, खेल संघों में खेल निदेशालय, जितना हो सके मदद कर सके इसलिए यह विधेयक लाये हैं। वर्ना लम्बे समय से ऐसा लग रहा था कि यू0 पी0 कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट के तहत सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो गया बाकी कोई चिन्ता नहीं की। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय खेल संघों को अनुदान देता है जिससे वह पूरे प्रदेश में खेल आयोजित करें। लेकिन मान्यवर, शिकायतें मिली हैं। इसलिए आखिर कोई तो कानून हो। इस कानून के जरिये जो हम बनाने जा रहे हैं उससे हमारी यह मंशा नहीं है कि हम किसी खेल संघ को बदनाम करें या पाबंदी करें बल्कि हम यह चाहते हैं कि पूरे खेल जगत, खेल, खिलाड़ी और खेल निदेशालय को एक डोर में बांधकर उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सकें, इसलिए यह बिल ला रहे हैं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हर विद्यालयों में चाहे वह बेसिक हो, माध्यमिक हो या अन्य हो में खेल अनिवार्य कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब यह खेल अनिवार्य कर रहे हैं तो क्या हमारे सभी विद्यालयों में खेल क्रीड़ा स्थल है ? मान्यवर, अनेकों विद्यालयों में खेल क्रीड़ा स्थल नहीं हैं। अगर आप खेल अनिवार्य कर रहे हैं तो मेरा प्रश्न है कि आप इसके लिए खेल प्रशिक्षकों के कितने पदों का सृजन आप कर रहे हैं ?

श्री आर0 के0 चौधरी--

मान्यवर, अभी तो फैसला लिया है। इससे कई दिक्कतें होंगी। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के पास स्टेडियम नहीं हैं, कुछ स्कूलों के पास मैदान है। लेकिन हमारी सरकार में आप आने वाले

दिनों में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण अंचल में प्रत्येक गाँव में जहाँ एक एकड़ जमीन मिलेगी उस 1 एकड़ जमीन को लेकर एक क्रीड़ा स्थल तैयार हो सकेगा और उसकी बाउन्ड्री की जायेगी और ब्लाक स्तर पर जहाँ 5 एकड़ जमीन उपलब्ध हो सकेगी तो एक स्टेडियम बनायेंगे। तो जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं वह स्टेडियम भी जायेंगे और मैदान में भी खेलेंगे। और मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा पोषित ऐसी भी योजनाएं हैं जिसमें माननीय सदस्यों को हमने चिट्ठी भेजी और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो मान्यता प्राप्त कालेज हैं अगर उनके पास मैदान है और धन नहीं है तो ऐसे प्रत्येक कालेज को डेढ़ लाख रुपये मैदान को मेंटेन करने के लिए दिला सकते हैं। कुछ दिक्कत तो होगी लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है। जब तक हम खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम अच्छे खिलाड़ियों की पूरी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। आप जो बता रहे हैं उसका भी ध्यान है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधन को देखते हुए हम प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में दिक्कत न हो।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह बात सही है कि उन्होंने खेल को अनिवार्य करके क्रान्तिकारी कदम उठाया है लेकिन न तो खेल के मैदान हैं, न स्टेडियम हैं, न खेल को सिखाने वाले शिक्षक हैं। आखिर ऐसा निर्णय लेने से पहले इस सबके लिए सन्तुष्ट हो जाना चाहिए था, आपको इसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए थी। और मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो एकलव्य का जिक्र किया, मैं सोच रहा हूँ कि अगर यह विधयेक पहले पास हो गया होता और माननीय आर0 के0 चौधरी जी खेल मंत्री होते तो भी एक एकलव्य पैदा नहीं होता। जरा व्यवस्था की तरफ भी तो सोचिये। कानून और ऐक्ट पास करने से व्यवस्था नहीं बनती । आप इस पर गम्भीरता से सोचें, आलोचना के रूप में न लें। यह सोचना चाहिए कि हमारे पास संसाधन क्या हैं ? हम प्राथमिकता के किस क्रम में खड़े हुए हैं, पहले नम्बर पर हैं, दूसरे नम्बर पर हैं, चौथे नम्बर पर हैं, आठवें नम्बर पर हैं या दसवें नम्बर पर हैं और संसाधन मिल रहे हैं कि नहीं। आपने यह भी कहा कि एक डेढ़ लाख अनुदान देंगे। तो क्या जितने भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें मैदान है और वह मांगना चाहते हैं तो सबके लिए इसमें प्राविधान किया है। इसलिए मैं इस पर बल देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि थोड़ा सा बंधन में आप बंधें। एक आध बात को मानने का साहस आपको करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न रख रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीडा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-38 तक, अनुसूची 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश राज्य में क्रीड़ा संघों के रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन का उपबंध करने और क्रीड़ा संघों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य की छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।)

(2) यह 11 अक्टूबर, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

परिभाषायें

(क) "तदर्थ कार्यकारिणी समिति" का तात्पर्य किसी ऐसे कार्यपालक निकाय से है जिसे रजिस्ट्रार द्वारा क्रीड़ा संघ के कार्यकलापों का प्रबंध धारा 24 और 26 के अधीन अस्थायी रूप से न्यस्त किया गया हो ;

(ख) "संबद्धता" का तात्पर्य इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए सम्बन्ध स्थापित करने से है ;

(ग) "वार्षिक आम बैठक" का तात्पर्य किसी क्रीड़ा संघ के साधारण निकाय की वार्षिक बैठक से है ;

(घ) "संबद्धता प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संबद्धता मंजूर करते समय उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ या किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ द्वारा जारी किये गये दस्तावेज से है और इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ द्वारा जारी किया गया सम्बद्धता पत्र भी होगा ;

(ङ) "जिला" का तात्पर्य राज्य के किसी राजस्व जिले से है;

(च) "जिल स्तरीय क्रीड़ा संघ" का तात्पर्य ऐसी क्रीड़ा इकाई से है जो किसी विशिष्ट खेल या क्रीड़ा में किसी जिले का प्रतिनिधित्व करती है और संबंधित जिला खेल कार्यालय, राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ और जिला ओलम्पिक संघ से सम्यक् रूप से संबद्ध है और रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकृत है ;

(छ) "जिला खेल परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य खेल निदेशालय के नियंत्रण के अधीन किसी जिले में क्रियाशील किसी परिषद् से है;

(ज) "निर्वाचन" का तात्पर्य किसी क्रीड़ा संघ के किसी कार्यपालक निकाय के निर्वाचन से है;

(झ) "कार्यपालक निकाय" का तात्पर्य सम्यक् रूप से निर्वाचित व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किसी क्रीड़ा संघ के कार्यकलापों का प्रबन्ध और नियन्त्रण करता है, चाहे निकाय किसी भी नाम से जाना जाये ;

(ञ) "असाधारण आम बैठक" का तात्पर्य किसी क्रीड़ा संघ के साधारण निकाय की वार्षिक आम बैठक से भिन्न किसी विशेष बैठक से है ;

(ट) "साधारण निकाय" का तात्पर्य किसी क्रीड़ा संघ के समस्त मतदान करने वाले और मतदान न करने वाले सदस्यों के निकाय से है ;

(ठ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(ड) "प्रेक्षक" का तात्पर्य रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश राज्य खेल निदेशालय, किसी जिला खेल कार्यालय या किसी क्रीड़ा संघ द्वारा किसी क्रीड़ा संघ के निर्वाचनों और किन्हीं अन्य कार्यवाहियों को मानीटर करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(ढ) "पदाधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय में अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करता हो ;

(ण) "प्राथमिक क्रीड़ा निकाय" का तात्पर्य किसी जिले में क्रियाशील ऐसी किसी क्रीड़ा इकाई से है जो न तो राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ हो और न ही जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ हो और जो परगना या तहसील या नगर या गांव स्तर पर कार्य कर रही हो और जो व्यक्तियों द्वारा गठित हो और जिला स्तरीय खेल संघ से संबद्ध हो ;

(त) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 3 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार से है और इसके अन्तर्गत रजिस्ट्रार की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करते समय रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति भी है ;

(थ) "विनियम" का तात्पर्य क्रीड़ा-प्रतियोगिताओं, कोचिंग, प्रशिक्षण, अम्पायर क्लीनिक का संचालन करने के विषय या उपविधियों के अधीन न आने वाले किसी अन्य विषय में किसी क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों से है ;

(द) "विशेष संकल्प" का तात्पर्य साधारण निकाय की किसी बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित ऐसे संकल्प से है जिसका कार्यवृत्त अभिलिखित किया जाता है और पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित और प्रेक्षक, यदि कोई हो, के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए कुल मतदाताओं के कम से कम आधे से गणपूर्ति होगी :

(ध) "क्रीड़ा संघ" का तात्पर्य राज्य में क्रीड़ाओं और खेलों को बढ़ावा देने के लिए गठित राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ, जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ या प्राथमिक क्रीड़ा निकाय से है ;

(न) "राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ" का तात्पर्य राज्य में विशिष्ट खेल या क्रीड़ा के लिए जिला स्तरीय क्रीड़ा संघों के किसी निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय से है जो उत्तर प्रदेश राज्य खेल निदेशालय से सम्यक् रूप से संबद्ध और उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ से संबद्ध हो और रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकृत हो ;

(प) "उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ" का तात्पर्य राष्ट्रीय क्रीड़ाओं में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनों के लिए गठित संघ से है जो भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय से सम्यक् रूप से संबद्ध हो;

(फ) "उत्तर प्रदेश राज्य खेल निदेशालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय से है।

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण और संविधान

अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

3--किसी प्राथमिक क्रीड़ा निकाय से भिन्न इस अधिनियम के अधीन परिभाषित प्रत्येक क्रीड़ा संघ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत होंगे।

रजिस्ट्रार

4--(1) राज्य की सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य खेल निदेशालय की सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(2) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी वह अधिरोपित करना उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का निष्पादन करने की शक्ति किसी भी अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी।

(3) रजिस्ट्रार किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी वह अधिरोपित करना उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या किसी शक्ति को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति की श्रेणी से निम्न पंक्ति का नहीं होगा।

क्रीड़ा संघों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

5--(1) अनुसूची 'ख' सूचीबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ और खेल या क्रीड़ा के लिए कोई अन्य भावी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ, जो वर्तमान में अनुसूची 'ख' के अन्तर्गत नहीं है और उससे संबद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ, संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे जिसमें क्रीड़ा संघ का नाम, पता, प्रतिनिधित्व का क्षेत्र, खेल या क्रीड़ा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो को अधिकथित किया जायेगा और उसके कार्यपालक निकाय का पूरा ब्यौरा दिया जायगा और साथ में अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट दस्तावेज लगाये जायेंगे।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए दो सौ पचास रुपये की रजिस्ट्रीकरण फीस या ऐसी अन्य फीस प्रभार्य होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

क्रीड़ा संघों का रजिस्ट्रीकरण

6--(1) रजिस्ट्रार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि प्रस्तावित क्रीड़ा संघ इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है, आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर क्रीड़ा परिषद् को उसकी उपविधियों सहित रजिस्ट्रीकृत करेगा और अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से उसका प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उपधारा (1) की अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई है तो वह आवेदक को पन्द्रह दिन का नोटिस देने और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करेगा।

क्रीड़ा संघों संविधान विरचना

7--इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक क्रीड़ा संघ अपने संविधान की विरचना करेगा जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होगा:--

(क) भाग 'क'–ज्ञापन जिसमें उसके लक्ष्य और उद्देश्य और कार्यक्षेत्र अंतर्विष्ट होगा।

(ख) भाग 'ख'–उपविधियां

उपविधियां

8--(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक क्रीड़ा संघ, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है, अपनी उपविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध करेगा :--

(क) नियतकालिक निर्वाचनों में क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित की जायगी :

(ख) कार्यपालक निकाय का निर्वाचन प्रत्येक चार वर्ष में कम से कम एक बार कराया जायगा ;

(ग) अपने राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ के उन विनिश्चयों या निदेशों का पालन करने के लिए (केवल जिला स्तरीय क्रीड़ा संघों पर लागू होगा)

(घ) खेलों और समाज के प्रत्येक वर्ग के खिलाड़ियों को भेदभाव के बिना प्रोत्साहित करने के लिए ;

(2) प्रत्येक क्रीड़ा संघ अपनी उपविधियों में निर्वाचनों के लिए ऐसी प्रक्रिया सम्मिलित करेगा जिसमें अन्य उपबंधों के साथ-साथ निम्नलिखित समाविष्ट होंगे--

(क) स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी का उपबंध ;

(ख) निर्वाचनों की नोटिस जारी होने के पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन ;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष के संपरीक्षित लेखाओं और विधिमान्य मतदाता सूची सहित संघ के सचिव के नाम से और मुद्रा के अधीन निर्वाचन के लिए जारी न्यूनतम इक्कीस दिन की नोटिस ;

(घ) कम से कम तीन दिन पूर्व नाम निर्देशन प्राप्त करने का उपबंध

(ङ) गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन करवाने का उपबंध।

(3) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपविधियों में प्रत्येक संशोधन विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जायेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

(4) यदि रजिस्ट्रार की यह राय हो कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो वह प्रस्तावित संशोधन क्रीड़ा संघ को कारणों सहित उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। तत्पश्चात् क्रीड़ा संघ प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करेगा और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लाये जाने और की गई आपत्तियों की पूर्ति करने के पश्चात् रजिस्ट्रार को नये प्रस्तावित संशोधन पुनः प्रस्तुत कर सकेगा। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधन को या तो अनुमोदित करेगा या अननुमोदित करेगा और अपने आदेश से संबंधित क्रीड़ा संघ को कारणों सहित संसूचित करेगा।

9--(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ संबंधित राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ का सदस्य होगा। क्रीड़ा संघ सदस्यता

(2) प्रत्येक प्राथमिक क्रीड़ा निकाय संबंधित जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ का सदस्य होगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सदस्यता में कोई परिवर्धन, लोप या परिवर्तन केवल क्रीड़ा संघ के साधारण निकाय की बैठक में किया जा सकेगा।

10-(1) कोई राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ न्यूनतम छः जिला स्तरीय क्रीड़ा संघों से गठित किया जायेगा। किसी क्रीड़ा संघ का गठन करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं

(2) कोई जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ न्यूनतम तीन प्राथमिक क्रीड़ा निकायों से गठित किया जायेगा।

(3) कोई प्राथमिक क्रीड़ा निकाय न्यूनतम सात व्यक्तियों से गठित किया जायेगा।

11--किसी क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय में पदधारियों को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम पांच और अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे। कार्यपालक निकाय की संरचना

12--(1) इस अधिनियम के अन्य किसी उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ को उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा संबद्धता दी जायेगी, और उसे भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा संचालित ओलम्पिक खेलों या राष्ट्र मण्डलीय खेलों में सहभागिता के लिये मान्यता प्राप्त खेलों या क्रीड़ाओं के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राज्य स्तरीय खेल संघ के रूप में माना जायेगा। उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ और जिला ओलम्पिक संघ

(2) जिला ओलम्पिक संघ इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत जिला स्तरीय क्रीड़ा संघों को संबद्ध करेंगे।

(3) उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ या उसकी कोई संबद्ध निकाय क्रीड़ा से संबंधित कोई अन्य कार्य कर सकेगी जिसे सरकार या उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय उसे सौंपे।

(4) उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ या उसका कोई घटक जिला ओलम्पिक संघ उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत क्रीड़ा संघों को ऐसे किसी संघ द्वारा किये गये आवेदन के तीस दिन के भीतर-भीतर संबद्धता पत्र जारी करेगा।

अध्याय 3

निर्वाचन

13--(1) किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय का निर्वाचन उत्तर प्रदेश राज्य खेल निदेशालय के किसी प्रेक्षक की उपस्थिति में संचालित किया जायेगा। किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय का निर्वाचन उसके राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ के प्रेक्षक की, और जिला खेल कार्यालय के प्रेक्षक की उपस्थिति में संचालित किये जायेंगे। निर्वाचन

(2) किसी क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय के निर्वाचन की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित सदस्यों के नाम और पते देते हुए प्रेक्षक (प्रेक्षकों) द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जारी करेगा। ऐसे प्रमाण-पत्र के जारी होने पर, निर्वाचित कार्यपालक निकाय क्रीड़ा संघ का प्रभार संभालेगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रमाण-पत्र की प्रतियां रजिस्ट्रार और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय को भेजेगा।

मतदान का अधिकार

14--(1) किसी प्राथमिक क्रीड़ा निकाय के प्रत्येक सदस्य को अपने कार्यपालक निकाय के निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध प्राथमिक क्रीड़ा निकाय को, जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय के निर्वाचन के लिए, उस प्राथमिक क्रीड़ा निकाय की ओर से एक मत देने का अधिकार होगा।

(3) प्रत्येक सम्बद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ को किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय के निर्वाचन के लिए उस जिला स्तरी क्रीड़ा निकाय की ओर से संघ के अध्यक्ष एवं सचिव को एक मत देने का अधिकार होगा।

(4) किसी भी व्यष्टि सदस्य को जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ या राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

निर्वाचन लड़ने की पात्रता

15--(1) समस्त व्यष्टि सदस्य प्राथमिक क्रीड़ा निकाय का निर्वाचन लड़ने के पात्र होंगे।

(2) समस्त सम्बद्ध प्राथमिक निकायों के पदाधिकारी, किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ का निर्वाचन लड़ने के पात्र होंगे।

(3) समस्त सम्बद्ध जिला स्तरीय संघों के पदाधिकारी, राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ का निर्वाचन लड़ने के पात्र होंगे।

(4) निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के पास इस अधिनियम की अनुसूची 'ग' में विहित अर्हताएं होनी चाहिए।

अध्याय 4

विवादों का निपटारा

सुलह और माध्यस्थम

16--(1) यदि किसी क्रीड़ा संघ के गठन, प्रबन्ध, क्रियाकलाप, निर्वाचन या सम्बद्धता के दावे से संबंधित कोई विवाद उद्भूत होता है उसका निपटारा सुलह और माध्यस्थम के माध्यम से किया जायेगा।

(2) समय-समय पर यथासंशोधित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 26, सन् 1996), उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सुलह और माध्यस्थम कार्यवाहियों पर लागू होगा।

अध्याय 5

लेखा संपरीक्षा और निरीक्षण

17--प्रत्येक क्रीड़ा संघ अपने लेखे को अद्यतन रखेगा। लेखा

18--प्रत्येक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ अपने लेखा को चार्टर्ड एकाउन्टेंट से संपरीक्षित करायेगा और अपने सम्बद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करेगा। संपरीक्षा

19--संपरीक्षित लेखा विवरण, प्राथमिक क्रीड़ा निकाय द्वारा अपने जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ को, जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ द्वारा अपने राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ को, और राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ द्वारा उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर भेजा जायेगा। विवरणी

20--(1) रजिस्ट्रार या उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय क्रीड़ा संघ का, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लिए अपेक्षित कोई भी अभिलेख मंगा सकेगा। अभिलेख मंगाने और निरीक्षण की शक्ति

(2) राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ सम्बद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ का इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लिए अपेक्षित कोई भी अभिलेख मंगा सकेगा।

अध्याय 6

जांच और निरर्हताएं

21--(1) कोई राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ, सम्यक् सुनवाई के पश्चात् किसी भी ऐसे जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ को असंबद्ध कर सकेगा जिसने इस अधिनियम के अध्याय 8 में उल्लिखित किन्हीं भी बाध्यताओं को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित कर सकेगा, जो तत्पश्चात् धारा 24 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा। असंबद्धता

(2) खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश सम्यक् सुनवाई करने के पश्चात् किसी भी ऐसे राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ को असंबद्ध कर सकेगा जिसने इस अधिनियम के अध्याय 8 में उल्लिखित किन्हीं भी बाध्यताओं को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित कर सकेगा, जो तत्पश्चात् धारा 24 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

22--(1) कोई क्रीड़ा संघ निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर कार्रवाही के लिए दायी होगा :-- निरर्हता के आधार

(क) यदि क्रीड़ा संघ लेखा रखने और धारा 19 के अधीन उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है या निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है ;

(ख) यदि क्रीड़ा संघ अपनी उन विधियों के अनुसार या यथास्थिति, अध्याय 7 के उपबंधों द्वारा निर्देश होने पर निर्वाचन कराने में विफल रहता है ;

(ग) यदि क्रीड़ा संघ अध्याय 8 के अधीन अपनी बाध्यताओं को निभाने में विफल रहता है ;

(घ) यदि क्रीड़ा संघ या उसका कोई पदाधिकारी या कोई सदस्य अपने वैयक्तिक अभिलाभ के लिए निधियों का दुर्विनियोजन करता है या किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुचित फायदा पहुँचाने के लिए क्रीड़ा संघ के कार्यकलापों का कुप्रबंध करता है ;

(ङ) यदि क्रीड़ा संघ धारा 21 के अधीन असंबद्ध कर दिया जाता है।

(2) कोई राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रार को यह सिफारिश कर सकेगा कि उससे संबद्ध किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ को निरर्हित किया जायेगा यदि वह--

(क) टूर्नामेंट करवाने के मामले में राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ के निर्देशों का पालन नहीं करता है और अपने विनियमों की अवज्ञा करता है ;

(ख) संबद्धता फीस का संदाय नहीं करता है ;

(ग) अपनी रजिस्ट्रीकृत उपविधियों के उपबंधों का अन्यथा उल्लंघन करता है।

जांच

23--(1) रजिस्ट्रार--

(क) किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ के अनुरोध पर ; या

(ख) किसी क्रीड़ा संघ के कुल सदस्यों के दसवें भाग से अन्यून के अनुरोध पर ; या

(ग) स्वप्रेरण से,

कोई जांच या तो स्वयं कर सकेगा या अपने द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से करवा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, जांच के प्रयोजन के लिए, संबंधित क्रीड़ा संघ के अभिलेखों का निरीक्षण करने, जांच के प्रयोजन के लिए कोई भी दस्तावेज पेश करने का निर्देश देने और उसकी प्रतिलिपि करने की सभी शक्तियां होंगी।

निरर्हतायें

24--(1) जांच करने के पश्चात् रजिस्ट्रार प्रभावित क्रीड़ा संघ को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्--

(क) कोई तदर्थ कार्यकारिणी समिति नियुक्त कर सकेगा और तीन मास के भीतर-भीतर कार्यपालक निकाय के नये निर्वाचन करवा सकेगा ;

(ख) निधियों के दुर्विनियोजन के मामले में विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(2) किसी क्रीड़ा संघ के किसी भी विद्यमान पदाधिकारी को, जो उपधारा (1) के अधीन निरर्हित है, किसी भी क्रीड़ा संघ का निर्वाचन लड़ने के लिए ऐसी निरर्हता के दिनांक से छह वर्ष की कालावधि के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

राज्य और जिलों का प्रतिनिधित्व करने या नाम का उपयोग करने का प्रतिषेध

25--(1) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या तो व्यक्तिशः या सामूहिक रूप से, किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ द्वारा प्राधिकृत हुये बिना किसी भी खेल या क्रीड़ा में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) कोई भी क्रीड़ा संघ अपने नाम के भाग रूप में शब्द "उत्तर प्रदेश" का उपयोग करने या किसी जिले के नाम का उपयोग करने या ऐसे किसी क्रीड़ा क्रियाकलाप का जिम्मा लेने का हकदार नहीं होगा जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित किसी भी राष्ट्रीय परिसंघ, बोर्ड या संघ की किसी संबद्ध इकाई के रूप में या किसी भी प्रकार की किसी भी अन्य रीति से उत्तर प्रदेश राज्य या किसी जिले का प्रतिनिधित्व करने के रूप में परिणामित हो, जब तक कि ऐसा क्रीड़ा संघ इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ या किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो।

(3) जो कोई उपधारा (1) और (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह दोषसिद्ध हो जाने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) कोई भी न्यायालय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किये गये परिवाद के सिवाय इस धारा के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(5) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध कारणों से इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रशमन कर सकेगा। इस धारा के अधीन किसी भी अपराध के प्रशमन पर ऐसे अपराध के बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जायेगी।

अध्याय 7

संक्रमण

मान्यता

26--(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य या जिला स्तर पर खेल या क्रीड़ा क्रियाकलापों का जिम्मा लेने वाला कोई संघ, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रार को आवेदन किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने और मान्यताप्राप्त करने का विकल्प देने और उसका प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिन के भीतर-भीतर अपनी उप विधियों को उन्हें रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप करने के लिए संशोधित करेगा और इस अधिनियम की अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि ऐसा कोई आवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भ के तीस दिन के भीतर नहीं किया जाता है या यदि उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली क्रीड़ा संघ की उप विधियां इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं की जाती है तो क्रीड़ा संघ के कार्यपालक निकाय को रजिस्ट्रार द्वारा अतिष्ठित कर दिया जायेगा और क्रीड़ा संघ के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए तदर्थ कार्यकारिणी समिति नियुक्त कर दी जायेगी। ऐसी कोई तदर्थ कार्यकारिणी समिति असाधारण आम बैठक बुलायेगी और अनुमोदित उपविधियों को प्रभार ग्रहण करने के तीस दिन के भीतर संशोधित और अनुमोदित करवायेगी, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी और तत्पश्चात् नये निर्वाचन कराये जाने के लिए अग्रसर होगी।

(3) उपविधियों में संशोधन के पश्चात् नये निर्वाचन ऐसे संशोधन से तीस दिन के भीतर-भीतर ऐसे मामलों में किये जायेंगे जिनमें,--

(क) ऐसा कोई संशोधन पूर्ववर्ती निर्वाचित कार्यपालक निकाय को अतिष्ठित करने के पश्चात् किया गया है ;

(ख) पूर्ववर्ती निर्वाचित कार्यपालक निकाय ऐसे किसी निर्वाचकगण द्वारा निर्वाचित किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन उपबंधित सदस्यों से भिन्न सदस्य समाविष्ट थे ;

परन्तु निर्वाचकगण और निर्वाचन लड़ने के लिए व्यक्तियों की पात्रता उपधारा (4) के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(4) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विभिन्न राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ और जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ के कार्यकारी निकायों के पदाधिकारी उपधारा (3) के अधीन कोई भी नये निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रीति से अवधारित किये जायेंगे :--

(क) अधिनियम की अनुसूची "ख" में सूचीबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघों के लिए राज्य खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघों द्वारा फाइल की गयी विवरणियों और राज्य खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पास उपलब्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को ऐसी विवरणियों पर आधारित अभिलेख के आधार पर,

(ख) जिला स्तरीय क्रीड़ा संघों के लिए, प्राथमिक तौर पर राज्य खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश से संबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघों द्वारा फाइल की गयी विवरणियों के आधार पर और यदि ऐसी विवरणियां उपलब्ध नहीं हो तो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को जिला खेल कार्यालय के पास उपलब्ध सम्बद्धताअभिलेख के आधार पर।

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति

27--(1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात को होने पर भी, ऐसे सभी क्रीड़ा संघों का रजिस्ट्रीकरण जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और मान्यता का विकल्प दिया है ऐसे विकल्प की तारीख से अस्तित्व में नहीं रह जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी क्रीड़ा संघ का रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो जाने पर भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उद्भूत सभी दावे या उपगत दायित्व या प्रारम्भ कार्यवाहियों, ऐसे दावाकृत की भुगती जायेगी या यथास्थिति जारी रहेंगी मानों रजिस्ट्रीकरण का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी क्रीड़ा संघ के रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर क्रीड़ा संघ की संपत्ति, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय में निहित रहना जारी रहेगी जिनमें संपत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व निहित थी।

अध्याय 8

क्रीड़ा संघ के अधिकार और बाध्यताएं

भाग लेने का अधिकार

28--प्रत्येक क्रीड़ा संघ को सम्बन्धक क्रीड़ा संघ की उपविधियों और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे क्रीड़ा संघ द्वारा जिससे वह सम्बद्ध है संचालित क्रीड़ा क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार होगा।

राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघों की बाध्यताएं

29--उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ से भिन्न प्रत्येक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ--

(क) प्रतिवर्ष वरिष्ठों और कनिष्ठों प्रत्येक के लिए कम से कम एक-एक अन्तर जिला राज्य चैम्पियनशिप करायेगा ;

(ख) अपने खिलाड़ियों और टीमों को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए भेजेगा ;

(ग) या तो स्वयं या राज्य खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए पूरे वर्ष प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का इंतजाम करेगा।

(घ) ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, पदक और ऐसी अन्य सुविधाएं देने का इंतजाम करेगा जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें।

जिला स्तरीय क्रीड़ा संघों की बाध्यताएं

30--किसी जिला स्तरीय ओलम्पिक संघ से भिन्न प्रत्येक जिला स्तरीय क्रीड़ा संघ--

(1) प्रतिवर्ष वरिष्ठों और कनिष्ठों प्रत्येक के लिए कम से कम एक-एक जिला स्तरीय चैम्पियनशिप करायेगा।

(2) अपने खिलाड़ियों और टीमों को राज्य स्तर पर भाग लेने के लिए भेजेगा।

(3) या तो स्वयं या राज्य खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग उपलब्ध कराने का इन्तजाम करेगा।

(4) ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य ऐसी सुविधाएं देने का इन्तजाम करेगा जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

31--राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

कठिनाइयों का निराकरण

32--यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त की गयी शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण

33--इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए या की गयी किसी कार्यवाही के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई दावा अभियोजित या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

34--अनुसूची "क", अनुसूची "ख", अनुसूची "घ" के अधीन दी गयी सूची में कोई परिवर्धन या परिवर्तन और लोप निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा शासित होगा :-- अनुसूची क, ख, और घ में संशोधन

(1) राज्य खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश सम्यक् विचारोपरान्त रजिस्ट्रार को लिखित सूचना भेज सकेगा।

(2) लिखित सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार उस प्रस्तावित परिवर्धन, परिवर्तन या लोप का नोटिस प्रकाशित करेगा।

(3) ऐसे नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन की समाप्ति पर उस प्रस्तावित संशोधन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा और यदि राज्य सरकार उसे उचित समझे तो गजट में अधिसूचना द्वारा संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन जारी की गयी सभी अधिसूचनाएं उनके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेंगी।

35--(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किये गये आदेश से व्यथित कोई क्रीड़ा संघ या व्यक्ति ऐसा आदेश किये जाने के तीस दिन के भीतर शासन के सचिव, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। अपील

(2) ऐसी अपील में शासन के सचिव, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसके आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

36--इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन किसी क्रीड़ा संघ द्वारा की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित सभी विधिपूर्ण कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन किसी क्रीड़ा संघ के रूप में उसके रजिस्ट्रीकृत होने के आधार पर की हुई समझी जायेंगी। व्यावृत्ति में

37--सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम सं0 21 सन् 1860) की विद्यमान धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-- 1860 के अधिनियम संख्या 21 में धारा 18-क का अंत स्थापन

"18. क--(1) रजिस्ट्रार--

(क) धारा 3 के अधीन किसी सोसाइटी, या

(ख) धारा 12 क के अधीन किये गये नाम परिवर्तन--का रजिस्ट्रीकरण, करने से इन्कार करेगा यदि सोसाइटी के मुख्य क्रियाकलापों में क्रीड़ा सम्मिलित है और अभिव्यक्ति उत्तर प्रदेश और किसी जिले का नाम सोसाइटी के प्रस्तावित नाम के भाग रूप में सम्मिलित हो। कतिपय सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से इन्कार या रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

(2) यदि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा संघ (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के नाम में अभिव्यक्ति उत्तर प्रदेश उसके नाम के भाग रूप में या राज्य के किसी जिले का नाम उसके भाग रूप में है तो ऐसी सोसाइटी ऐसे प्रारम्भ से तीस दिन के भीतर सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत नाम से उत्तर प्रदेश या यथास्थिति, उस जिले का नाम हटाने के लिए अपने नाम में संशोधन करेगी।

(3) यदि कोई भी सोसाइटी उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण इस प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने सोसाइटी को विघटित करने का संकल्प किया है और इस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।"

निरसन और अपवाद

38--(1) उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2004

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची "क"

(धारा 5, 26 और 34 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

1–सदस्यों की मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित सूची।

2–कार्यपालक निकाय के निर्वाचित सदस्यों की सूची।

3–संबद्धता प्रमाण-पत्र।

4–इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बनाया गया ज्ञापन और उप विधियां (दो प्रतियों में)

5–अंतिम आम बैठक का कार्यवृत्त।

6–किसी विद्यमान संघ के मामले में, उपविधियां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप करने का वचन।

7–अद्यतन संपरीक्षित लेखा।

अनुसूची "ख"

(धारा 5, 26 और 34 देखिए)

इस अधिनियम के प्रारम्भ पर रजिस्ट्रीकरण के पात्र राज्य स्तरीय क्रीड़ा संघ--

1–उ0 प्र0 तीरंदाजी संघ।

2–उ0 प्र0 एथलेटिक्स संघ।

3–उ0 प्र0 बैडमिन्टन संघ।

4–उ0 प्र0 बॉस्केटबॉल संघ।

5–उ0 प्र0 मुक्केबाजी संघ।

6–उ0 प्र0 शतरंज संघ।

7–उ0 प्र0 क्रिकेट संघ।

8–उ0 प्र0 साइक्लिंग संघ।

9–उ0 प्र0 फुटबाल संघ।

10–उ0 प्र0 गोल्फ संघ।

11–उ0 प्र0 जिमनास्टिक संघ।

12–उ0 प्र0 हैण्डबाल संघ।

13–उ0 प्र0 हॉकी संघ।

14–उ0 प्र0 कबड्डी संघ।

15–उ0 प्र0 खो-खो संघ।

16–उ0 प्र0 नेट बॉल संघ।

17–उ0 प्र0 पावर लिफ्टिंग संघ।

18–उ0 प्र0 राइफल शूटिंग संघ।

19–उ0 प्र0 तैराकी संघ।

20–उ0 प्र0 टेबल टेनिस संघ।

21–उ0 प्र0 ताईक्वान्डो संघ।

22–उ0 प्र0 टेनिस संघ।

23–उ0 प्र0 बालीबाल संघ।

24–उ0 प्र0 भारोत्तोलन संघ।

25–उ0 प्र0 कुश्ती (फ्री स्टाईल) संघ।

26–उ0 प्र0 कुश्ती (भारतीय पद्धति) संघ।

27–उ0 प्र0 महिला क्रिकेट संघ।

28–उ0 प्र0 महिला हाकी संघ।

29–उ0 प्र0 शूटिंग बाल संघ।

30–उ0 प्र0 जूडो संघ।

31–उ0 प्र0 फेंसिंग संघ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

32–उ0 प्र0 वोशू संघ।

33–उ0 प्र0 ताइक्वाण्डो संघ।

34–उ0 प्र0 आत्या पात्या संघ।

35–उ0 प्र0 केयाकिंग एण्ड कैनोइंग संघ।

अनुसूची "ग"

(धारा 15 देखिए)

निर्वाचन लड़ने और पदाधिकारी का पद धारण करने के लिए अर्हताएं

1–यह भारत का नागरिक होगा/होगी।

2–वह उस संबंधित क्रीड़ा संघ के कार्यकरण के क्षेत्र के भीतर नीचे सूचीबद्ध अर्हताओं में से किसी एक का धारक होना/होनी चाहिए :--

क–उसका वहां जन्म हुआ है,

ख–सामान्यतया वहाँ का निवासी है,

ग–वहाँ कार्य कर रहा है,

घ–वहाँ उसके स्वामित्व में सम्पत्ति है।

3–उसे किसी दण्डिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं किया गया है।

4–उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

अनुसूची "घ"

(धारा 34 देखिए)

क्रीड़ा संघ द्वारा रखा जाने वाला आवश्यक अभिलेख

1–सदस्यों का रजिस्टर।

2–कार्यपालक निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका।

3–साधारण निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका।

4–लेखाओं का रजिस्टर।

5–क्रियाकलापों, स्पर्धाओं और उपलब्धियों का अभिलेख।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-38 तक, अनुसूची 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री आर0 के0 चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

हुकुम सिंह जी, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, मैं उन्हीं तीन बिन्दुओं पर अपना संशोधन रखूँगा जिसमें आप संशोधन लेकर आये हैं। एक तो आपका सुझाव यह है कि संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय। दूसरा माल का मूल्य का है, तीसरा यह है, स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ाया है, प्रदेश के बाहर जाने वाली सूचना को स्पष्ट करने के रूप में है, यह अनावश्यक है। आप देखें--(क) खण्ड (ग) में, उपखण्ड (छ) में यह है कि संसद या विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन चाहे किसी भी नाम का अधिकारी जाय, मेरे ख्याल में पूरे देश में कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो संसद के कानून से या विधान मण्डल के कानून से नियुक्त न हुआ हो। चाहे वह इन्कम टैक्स का अधिकारी हो, पुलिस का कांस्टेबिल हो, पुलिस कमिश्नर हो या राजस्व का अधिकारी हो, यह सारे लोगों को आपने कवर कर लिया है। यह अनावश्यक है इसको जोड़कर हस्तक्षेप करने का अधिकार उन लोगों को दे दिया है जिनका संबंध इस बात से नहीं है। दूसरी बात माल का मूल्य परिभाषित किया है, यह पहले से परिभाषित था। हां इसमें और ज्यादा व्याख्या करके आपने छूट दे दी, उन अधिकारियों को जो अभी तक बीजक देकर के माल के मूल्य की बात करते थे, ऐसा हो जाने के बाद वह इसके आधार पर व्यापारियों का जरूर शोषण करेंगे। तीसरी बात, इसमें आवश्यकता इस बात की है कि हम एकरूपता लायें। प्रवेश कर में आपने संशोधन किया है अगर आप विधेयक के रूप में लाते तो कुछ बात होती, आप सहारनपुर के रहने वाले हैं अपको जानकारी होगी कि कितना बड़ा हिस्सा आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बल्कि लखनऊ तक के हिस्से के लोग तमाम चीजें दिल्ली से लेकर क्यों आते हैं, हरियाणा से लेकर क्यों आते हैं ? यह सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मेरा तो यह कहना है कि अगर आप इसमें एकरूपता नहीं लायेंगे तो प्रदेश को राजस्व की हानि होगी और हानि हो रही है। अगर हम बिल्डिंग यहां बना रहे हैं और उसके मैटेरियल दिल्ली से मंगा रहे हैं तो हम सेलटैक्स की चोरी कर रहे हैं, यह गलत है इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे आपके अधिकारी यह तर्क देंगे कि हमारा राजस्व कम हो जाएँगा, क्योंकि अगर यह चोरी बंद हो जाएगी तो अधिकारियों की जेबें गर्म होनी बन्द हो जाएगी, इसलिए वह ऐसा कभी नही चाहेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

असल में मूल समस्या यही है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसी मूल समस्या से ही सम्बन्धित मैंने यह प्रश्न रखा है। केवल डीजल से ही करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान आपका हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में अगर एक समान्तर व्यवस्था जारी हो जाएगी तो क्या भ्रष्टाचार हो जाएगा ? होता क्या है कि हमारे जितने वार्डर हैं, जितने पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उनके द्वारा सिफारिश यह की जाती है कि हमारी पोस्टिंग फला-फला जगह पर कर दें, और पोस्टिंग होने के साल-दो साल बाद ही वह इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनका मकान भी बन जाएगा, लड़का-लड़की की शादी भी हो जायगी। मान्यवर, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप इस समस्या के ऊपर विचार करें और इस स्थिति पर कण्ट्रोल करें। इसमें सुधार सिर्फ कानून बना देने से नहीं होगा, इसलिए मेरा आशय यह था कि मूल समस्या पर विचार करने का अवसर मिल जाए अगर प्रवर समिति होगी तो वह सारे बिन्दु उसके सामने आ जायेंगे, और सारे बिन्दुओं पर उसमें विचार हो जाएगा, उसके बाद शायद इस प्रदेश का आप भला कर सकेंगे। शायद पांच सौ करोड़ का राजस्व ला सकें और शायद शोषण और उत्पीड़न से व्यापारियों को बचा सकें, शायद व्यापार कर के माध्यम से, प्रवेश शुल्क के माध्यम से, प्रवेश कर के माध्यम से, जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है उसको समाप्त कर सकें, इसलिए हमने संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक जो इस समय लाया गया है यह वास्तव में सरकार की उस मन्शा के अनुरूप है कि हम व्यापार कर अधिकारियों और व्यापारियों के ऊपर शिकंजा कस सकें। इन्स्पेक्टर राज के रूप में जो वह व्यापारियों का उत्पीड़न करते थे और ज्यादा प्रभावी रूप से उन पर रोक लगाने का काम कर सकें। मैं नहीं समझता कि इस पर किसी तरह की प्रवर समिति की या आलोचना की जरूरत विपक्ष की तरफ से होगी। माननीय सदस्य हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, इनके द्वारा तीन चीजों पर जो संशोधन लाया गया है, स्थानीय निकायों के क्षेत्रों को परिभाषित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अलग-अलग स्थानीय निकायों का गठन किया जाने लगा, इन पर प्रवेश कर लगे या न लगे इस बात को देखते हुए यह जरूरत महसूस की गई। मान्यवर, इसमें स्थानीय निकाय के बारे में उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा-2 की उप धारा-1 के खण्ड-ग में स्थानीय क्षेत्र परिभाषित किया गया है। इसके अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत एवं छावनी एवं औद्योगिक विकास क्षेत्र के प्रादेशिक क्षेत्र रखे गये हैं। जब कोई नया स्थानीय क्षेत्र सृजित होता है तो समय से जानकारी न होने से अधिनियम में तद्नुसार समय पर संशोधन/व्यवस्था न होने पर नवसृजित स्थानीय क्षेत्र में कर देयता का विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ऐसे विवाद की संभावना को समाप्त करने की दृष्टि से स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा में संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा सृजित अन्य प्राधिकारी के प्रादेशिक क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है।

मान्यवर, जिससे इस बात का संशय उसमें किसी तरह का न हो और किसी व्यापारी का उस रूप में उत्पीड़न न हो। मान्यवर, माल के मूल्य के निर्धारण में कर अधिकारियों की स्वेच्छा थी। व्यापारी अपने माल के मूल्य का आगणन बीजक के आधार पर करता था जबकि प्रवेश कर में

जिस स्थानीय क्षेत्र में वह माल प्रवेश कर रहा है क्रय मूल्य बीजक के अलावा उस पर जो खर्च करता है उसके सामान में उसको लाने में उस खर्च को उसमें समाहित कर दिया जाए। इसको इसमें सुस्पष्ट करने की आवश्यकता थी। इसी कारण स्थानीय क्षेत्र के बाहर से किसी माल के लाये जाने पर संबंधित क्षेत्र में माल प्रवेश के समय तक के खर्चे भी जोड़े जाने चाहिए उक्त आशय को इसमें स्पष्ट किया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बाहर को भी इसमें स्पष्ट करना आवश्यक था क्योंकि भारत सीमा क्षेत्र और उसके बाहर को स्पष्ट नहीं किया गया था। इसमें भारी मात्रा में विवाद हुआ करते थे और तमाम व्यापारी संगठन इसके बारे में शिकायत करते थे और हम भी चाहते थे कि व्यापारियों का उत्पीड़न न हो इसलिए यह सुस्पष्ट करना आवश्यक था। मान्यवर, प्रवेश कर राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत है और इसमें नियमित आय के माध्यम से जनहित की योजनाएं चलाई जाती है और पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 419 करोड़ रुपये प्रवेश कर के द्वारा संकलित करने का काम मौजूदा शासन ने किया है। [illegible] कर, तमाम कर आपत्तियों को हटाकर व्यापारियों के हित में काम किया गया है ताकि [illegible] न हो सके इस दृष्टिकोण से इस विधेयक को लाने की कोशिश की गई है। मान्यवर, इसे प्रवर समिति को भेजे जाने की कोई जरूरत नहीं है यह मेरा अनुरोध है मान्यवर, जहां तक यूनीफार्म फ्लोर टैक्स की बात है जो अलग-अलग दर में प्रदेशों में है मान्यवर, उसके लिए पूरे देश में एक इम्पावर्ड कमेटी गठित हुई है जो यूनीफार्म फ्लोर रेट बनाने के लिए प्रयासरत है और उसी कोशिश में मान्यवर, तमाम प्रदेश लगे हुए हैं और अधिकतर वस्तुओं के संबंध में यूनीफार्म फ्लोर रेट पर आम सहमति बनी हुई है। कुछ चीजों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है वह हमारे संज्ञान में है। उन्होंने बार्डर क्षेत्र के प्रदेशों में जो हमारे प्रदेश की सीमाओं से लगे हुए हैं वहाँ डीजल और कुछ अन्य वस्तुओं की ओर इशारा किया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पर जो व्यापार कर लगता है उससे ज्यादा दर पर अन्य दूसरे प्रदेशों में लग रहा है। मान्यवर, जो प्रदेशों में कर की दरें विद्यमान हैं उसके लिए इम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है उसमें यूनीफार्म फ्लोर रेट के आधार पर उस असमानता को दूर किया गया है और इसके माध्यम से आगे आने वाले दिनों में हम कठिनाइयों को दूर करने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं गुजारिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर के संबंध में जो यह संशोधन विधेयक पर जो आपके द्वारा आपत्ति की गई है जो उसे कृपया वापस करने का कष्ट करेंगे और इस विधेयक को पास करने का कष्ट करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरी आपत्ति सही है और यह मानसिक और शारीरिक दबाव में आकर मंत्री जी इसे रख रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं भी केन्द्र सरकार की उस कमेटी की मीटिंग में शरीक हुआ हूं उसमें यह बात थी कि फ्लोर रेट पर दरें आनी चाहिए जिससे दिक्कतें कम होंगी और असमानता खत्म हो। मान्यवर, हमारा जो प्रयास है कि सारे प्रदेशों में वस्तुओं का यूनीफार्म फ्लोर रेट एक जैसा हो जाए और हमने उस असमानता को बहुत हद तक खत्म किया है। आपने डीजल के रेट की बात कही आपने दिल्ली और हरियाणा प्रदेशों का जिक्र किया। इसके माध्यम से वह घाटा कम से कम होगा यह कोशिश की है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अच्छा होता कि इसमें कमेटी बन जाती और उसमें गंभीरता से चिंतन हो जाता इसलिए मैं इस संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन 2000 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में उपधारा (1) में, --

(क) खण्ड (ग) में, उपखण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(सात) संसद या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय ;"

(ख) विद्यमान खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ङ) "माल का मूल्य" का तात्पर्य मूल क्रय बीजक या बिल से यथा अभिनिश्चित किसी माल के मूल्य से है और उसके अन्तर्गत पैकिंग सामग्री का मूल्य, पैकिंग और प्रेषण प्रभार, बीमा प्रभार, उत्पाद-शुल्क, प्रतिशुल्क, सीमा-शुल्क और तत्समान अन्य शुल्क के रूप में धनराशियां, किसी फीस या कर प्रभार, परिवहन प्रभार, माल भाड़ा प्रभार और किसी अन्य प्रभार की धनराशियां भी हैं जो ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में क्रय या परिवहन से सम्बन्धित हों जिसमें माल का उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये लाया या प्राप्त किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई माल--

(एक) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसका मूल्य अभिनिश्चय न हो; या

(दो) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य सत्यापनीय न हो ; या

(तीन) क्रय किया गया हो और क्रय-मूल्य या परिवहन प्रभारों और अन्य प्रभारों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज विश्वास योग्य न हो ; या

(चार) क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित या प्राप्त किया गया हो ;

वहाँ "माल का मूल्य" का तात्पर्य ऐसे मूल्य या कीमत से होगा जिस पर उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें माल उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये लाये या प्राप्त किये जा रहे हों, खुले बाजार में थोक कीमत पर विक्रय किये जाते हों या विक्रय किये जाने योग्य हों।

स्पष्टीकरण :--इस खण्ड के अधीन किसी माल के थोक कीमत को अभिनिश्चित किये जाने के प्रयोजन के लिये थोक कीमत के अन्तर्गत क्रेता द्वारा उत्पाद-शुल्क या किसी अन्य शुल्क के रूप में भुगतान की गयी या देय कोई धनराशि भी होगी किन्तु उसके अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के पश्चात् माल के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के निमित्त ली गई कोई धनराशि या उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल के विक्रय के सम्बन्ध में देय फीस या कर की, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन देय कर भी है कोई धनराशि नहीं होगी।"

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 के बाद में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण :--शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र या स्थान के सम्बन्ध में पद "उत्तर प्रदेश से बाहर" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर स्थित किसी स्थान से होगा, चाहे वह भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हो या उसके भीतर।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

हुकुम सिंह जी, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

मान्यवर, इसको मैंने इसलिए रखा, वैसे यह सरकार व्यापारियों का सम्मेलन करती है और अपने आपको व्यापारियों से संबंधित मानने वाले मंत्री अभिनन्दन कराते हैं, और बड़ी-बड़ी माला पहनते हैं, घोषणाएं करते हैं। कहते हैं कि इस प्रदेश में व्यापारियों का इतना बड़ा काम कर दिया और वैट लगाने का न लगाने का एक नाटक भी करते हैं कि नहीं लगने देंगे और दूसरी बार घूमकर एक बात आई, सेवाकर का मामला आया और अब विकास कर आ गया, कोई तरीका है, आपके पास कोई सोच है, कौन सा विकास करायेंगे इससे सड़कों का विकास करायेंगे और कौन सड़कों का विकास करायेंगे ? माननीय मंत्री जी किसी रोज मेरा आग्रह मान लें और अपने लोक निर्माण मंत्री को साथ ले लें और सहारनपुर से मुजफ्फरनगर तक यात्रा कर लें। यह राजमार्ग है ओडीआर नहीं है जिले का मार्ग नहीं है और उस राजमार्ग का 2002 में टेण्डर हुआ था और आज 2005 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहूंगा कि किसी रोज उधर आयेंगी तो मैं आपको विकास दिखाऊंगा, किस तरह से चलना पड़ता है। बीच में एक मंत्री और पड़ते हैं वह भी सौभाग्य से बैठे हुए हैं वह परिवहन का विकास करवा रहे हैं। कोई रोडवेज की बस बचेगी नहीं बिना गड्ढे में गिरे हुए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां) (बैठे हुए)--

गड्ढा मुक्त सड़क।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)--

वह विरासत में मिली हैं।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी (बैठे हुए)--

हेमामालिनी के गाल जैसी सड़क।

श्री अध्यक्ष--

आपस में बात न करें।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होगा कि किसी का नाम न लिया जाय। माननीय वाजपेयी जी, जिसका नाम ले रहे हैं हेमा मालिनी जी का, वह इन्हीं की सांसद हैं राज्यसभा में। और मान्यवर, अपने सांसद के गाल की तुलना सड़क से करेंगे। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि सड़क पर क्या-क्या होता है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं अपने विषय की गम्भीरता पर दोबारा आते हुए कहना चाहता हूं। मान्यवर, कुछ सदस्य तो ऐसे हैं कि उनका ध्यान तो सदन में रहें या बाहर रहें वही रहता है जहां रहना चाहिए वह कभी वापस आते ही नहीं।

तो मान्यवर, इसका नाम आपने विकास कर दिया है जो लगाया हो कहीं तो उदाहरण दे दें कि यह विकास करा दिया। ईमानदारी से जो करदाता है वह पैसा देने में हुज्जत नहीं करता है। असलियत यह रहती है कि जो पैसा दे रहे हैं वह हमारे सामने हैं कि नहीं। मान्यवर, जब दिल्ली से अमृतसर जायें, तो 5 जगह टोल टैक्स देना पड़ता है और खुशी से देते हैं कोई चोरी करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनको सुविधायें भी मिल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का तो आपने सर्वनाश कर दिया, डेढ़, पौने दो साल में ऐसा कर दिया कि आगे आने वाली सरकार को 4-5 साल लगेंगे, इसे लाइन पर लाने में। आपने विकास कर और लगा दिया, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं, आप बहुत अत्याचार कर रहे हैं। मैं क्षेत्र का, गाँव का, जिलों का नाम लेकर उत्तेजना पैदा करने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन क्या इसी को विकास कहते हैं, रेगिस्तान में जाकर नखलिस्तान पैदा कर दिया जाय, तब तो ठीक है। लेकिन आपने तो नखलिस्तान को रेगिस्तान में पलट दिया और ऊपर से विकास कर लगा दिया। आपने कर के साथ विकास जोड़ दिया तो क्या इसी से विकास हो जायेगा भले ही धरातल पर न हुआ हो। आज होना यह चाहिये कि आप इस पर विचार करें। आज कितने ऐसे व्यापारी हैं जिनसे आप टैक्स ले रहे हैं। उसके बाद हम फिर आग्रह करना चाहेगें कि कहीं न कहीं चूक हुई है।

आपकी खासतौर से यह सोच है कि 50 लाख रुपये तक वालों को आपने छूट दे दी है तो 50 लाख तक की छूट देकर आप उत्तर प्रदेश में व्यवसाय को, व्यापार को बढ़ाने की तरफ चल रहे हैं या उसको आतंकित करने का काम कर रहे हैं। आपने वैट के मामले में कहा कि जब तक व्यापारी खुश नहीं होगा, तब तक हम इसे नहीं करेंगे। इसका भी तो विरोध हो रहा है। आपके दल से संबंधित एक, जिन्हें आपने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, उन्होंने खड़े होकर इसके लिये विरोध

किया कि नहीं, यह पता लगा लेते। आपको यह एक वर्ग तो मिला लेकिन क्या आपने कभी यह कहा कि हम मजदूर से पूछकर यह करेंगे, किसान से पूछकर यह करेंगे और किसान ठीक समझेंगे तो करेंगे। केवल एक वर्ग की बात आपने कही कि हम वैट नहीं लगायेंगे, पहले इसमें व्यापारियों की सहमति ले लें। आज विकास कर को लेकर भी पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी आन्दोलित है। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिये हम चाहते हैं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और इस पर विचार हो जाय। मैं यह भी देख रहा हूँ कि कितनी सही बात कह लीजिये, मानी नहीं जायेगी। जब सही बात को सुनने की आदत नहीं रही तो उस पर अमल तो बाद में होगा, पहले सही बात सुनने की आदत तो हो जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां (बैठे हुये)--

सुनने के लिये सदन भी होना चाहिये।

श्री हुकुम सिंह--

सदन तो है, पहले भी चलता था, पहले अमल भी होता था। अब फर्क इतना हो गया कि अमल होना अब बिल्कुल बंद हो गया है। हमारे कुछ साथी उधर ही रह गये हैं, इधर तो आये नहीं। अगर वह इधर आकर बैठते तो उनके सुझाव से यह सदन ज्यादा लाभन्वित होता। उनको मौका नहीं मिला। केवल कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है। कुर्सी ज्यादा पसन्द आ गयी। हम तो इधर आ गये, आपके आने में क्या दिक्कत थी, यहाँ का स्वाद तो चखकर देखते। हम तो लोकतांत्रिक हैं, हमें क्या कठिनाई है। आप तो दिल्ली का रास्ता देख लेगें, यह बेचारे, संजय जी को तो जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिये मैं चाह रहा हूं कि व्यापारी हित में, इस समाज के हित में आप इसे प्रवर समिति को सौंप दें, वहाँ सारी बातों पर विचार हो जाय और विचार होने के बाद दुबारा यह विधेयक आप लायें।

श्री संजय गर्ग--

माननीय अध्यक्ष जी, मौजूदा संशोधन विधेयक पर इससे पूर्व भी सदन में चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य ने जिन चिन्ताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया है, उनको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने केवल विपक्ष की भूमिका ही अदा की है और यह उनका फर्ज भी था। व्यापार कर के रूप में जो भी काम किये गये हैं, वह व्यापारियों की सहमति से ही किये गये हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए किये गये हैं। जिन बातों पर आपने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है शासन ने उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही काम किया है। जैसे नये विकास कर की देयता निम्न स्थिति में और निम्न वस्तुओं पर नहीं होगी 50 लाख रुपये वार्षिक से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों को इससे मुक्त रखा गया है, धारा-4 के अन्तर्गत उल्लिखित/अधिसूचित वस्तुएं जैसे दूध, नमक, समाचार पत्र, कृषि यंत्र, किताबें, खादी ग्रामोद्योग उत्पाद, गुड़ सिवईयाँ, पापड़ आदि, व्यापारियों की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री एवं निर्यात की गई वस्तुओं को इससे मुक्त रखा गया है, जिससे प्रदेश के व्यापारी पर कोई अन्तर न पड़े।

उन तमाम वस्तुओं को भी इस विकास कर से मुक्त रखा गया है, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत विशेष महत्व की घोषित वस्तुए हैं जैसे अनाज, कोयला, कपास, सूती धागे, चमड़ा एवं खाद, लोहा एवं इस्पात, तिलहन, दालें आदि। उन चीजों को भी इस

विकास कर से मुक्त रखा गया है जिन वस्तुओं पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगती है जैसे कपड़ा, चीनी, तम्बाकू उत्पाद। जिन वस्तुओं पर कर की दर दो प्रतिशत अथवा उससे कम है, उन वस्तुओं को भी विकास कर से मुक्त रखा गया है जैसे बुलियन, खेल से सम्बन्धित सामान आदि। उद्योगों में प्रयोग होने वाले मान्यताप्राप्त इकाईयों के द्वारा क्रय किये गये कच्चे माल, पैकिंग मैटीरियल आदि तथा निर्माता निर्यातकों द्वारा क्रय किये गये कच्चे माल एवं पैकिंग मैटीरियल को भी विकास करों से मुक्त रखा गया है।

जिन वस्तुओं पर समाधान योजना लागू है उन पर इस कर की देयता के सम्बन्ध में भी समाधान की सुविधा अनुमन्य होगी, ऐसा प्राविधान इस विधेयक के अन्तर्गत किया गया है। ऐसी इकाइयाँ जिन्हें व्यापार कर से छूट/रियायत प्राप्त है इस कर की गणना भी उनके अनुतोष में की जाएगी, ऐसा प्राविधान है। जिन वस्तुओं पर व्यापार कर में पूरी सीमा तक छूट है उन पर यह कर भी नहीं लगाया जाएगा। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम मौजूदा वर्ष को विकास पर्व के रूप में मनायेंगे, उस बात को ध्यान में रखते हुए दबे-कुचले लोगों को उठाने के लिए, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की नीयत से व्यापारियों को विश्वास में लेकर यह बात रखी गयी है, जिससे मंहगाई पर भी असर न पड़े। विकास की बात करते हुए आपने कई सड़कों का उल्लेख किया है, आप स्वयं भी इन सड़कों पर आठ-नौ सालों से चल रहे थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सड़कों की हालत क्या थी ? निश्चित रूप से विकास के माध्यम से अपने बजट भाषण में नेता सदन ने जितनी मजबूती से प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कही और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उल्लेख किया है, वह विकास कर के माध्यम से पूरा हो सकता है। हम कटिबद्ध हैं उत्तर प्रदेश के दबे-कुचले लोगों के उत्थान की योजनाओं को लागू करने के लिए और इसे हमने करके भी दिखाया है। उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन के जरिये सवा सौ पुलों का निर्माण कराया गया है, इतने रिकार्ड पुलों का निर्माण एक वर्ष में कभी नहीं कराया गया। तमाम योजनाओं को विकास पर्व के वर्ष के रूप में हम पूरा करने जा रहे हैं। जो योजनाएं पूर्ववर्ती शासन के समय में लागू की गई थीं, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी थीं, उन अधूरी योजनाओं को भी हम पूरा करना चाहते हैं, ऐसा हमारा आशय है।

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 250 करोड़ रुपये, 16 नये आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना हेतु 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है। यह पहली बार हुआ है कि अधिवक्ता चैम्बर, पुस्तकालय भवन, बार काउंसिल भवन के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के 5 लाख रिक्शा चालकों के लिए बीमा योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन राशि 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया, विकलांग पेंशन को 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की स्मृति में रामपुर में उद्यान का विकास प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में शताब्दी अस्पताल की स्थापना हेतु इस वर्ष 40 करोड़ की बजट की व्यवस्था कर तमाम-तर लोगों को सहूलियत प्रदान करने की कोशिश करने का काम किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकों के अभाव को दूर करने हेतु 1281 चिन्हित पदों पर संविदा पर नियुक्तियाँ करने का निर्णय लिया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों में 700 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु 22.90 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2004-2005 से कन्या विद्याधन योजना प्रारम्भ की गयी है इसमें पिछले वर्ष 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु इस वर्ष यह राशि बढ़ाकर 300 करोड़ रुपया कर दी गयी है। सड़क और सेतु परियोजनाओं हेतु वर्ष 2004-2005 की तुलना में 900 करोड़ रुपये मौजूदा सरकार ने इस बजट में अधिक व्यवस्था करने का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदेश की जनता को सस्ती, पर्याप्त, दक्ष एवं समन्वित सड़क परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। यू0पी0एस0आर0टी0सी0 द्वारा 1150 नई बसें खरीदें जाने का निर्णय लिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु 72 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2004-2005 के 6 लाख के भौतिक लक्ष्य को दुगना करते हुए वर्ष 2005-2006 में 12 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है। शौचालयों के निर्माण के लिए 129 करोड़ रुपये की व्यवस्था, प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाने के लिए है। असमानता दूर करने के लिए लोक हित और जनहित में उन तमाम योजनाओं को लागू करने को सरकार वचनबद्ध थी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मद्देनजर यह टैक्स लगाने का काम किया गया है। हमने कोई नया कर नहीं लगाया है, इससे पूर्व इस मुल्क के 15 प्रदेशों में अलग-अलग नामों से यह टैक्स लागू है। कहीं पर रि-सेल टैक्स, कहीं पर सरचार्ज, कहीं पर डेवलेपमेण्ट चार्ज, कहीं पर एडीशनल टैक्स तथा कहीं पर टर्न-ओवर टैक्स का नाम दिया गया है। यह टैक्स 15 प्रदेशों में लागू है।

उत्तर प्रदेश तो व्यापारियों के सहयोग से इसे आसान तरीके से लगा रही है। पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, गोवा और पांडिचेरी में यह टैक्स पहले से ही लगा है। हमने मात्र 1 प्रतिशत सहयोग लेने की अपील की है। यह सरकार व्यापारियों की हितैषी सरकार है। हमारा मानना है और हम समाजवादी लोग हैं, किसान जब खुशहाल होगा तभी व्यापारी खुशहाल होगा इसलिए मैं नहीं समझता कि किसान को चिंता करनी चाहिए। आजादी के बाद पहली बार गन्ना किसानों को सही मूल्य मिला है और खुले तौर पर उनकी कीमत से ज्यादा मिल रहा है। लगभग 30 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा दाम इस सरकार ने देने का काम किया है जिससे समाज से असमानता दूर हो, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। इस संकल्प के साथ इस विकास कर को लाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य का जो इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव है, उसको वापस ले करके इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग करने का काम करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का भाषण धारा प्रवाह था, इसमें कोई सन्देह नहीं और जितने आँकड़े सांख्यकी में हैं उनका संकलन भी ठीक था। अभी दो दिन पहले ही मिली है तो आपने उसका सारा का सारा उद्धरण दिया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। वह किताब भी सामने होनी चाहिए थी।

मान्यवर, अगर बहुत ज्यादा चिन्ता है तो तीन जिलों को छोड़कर किसी जिले को जाकर देख लें। जिलों में स्कूलों में भवन नहीं हैं, अस्पतालों में डाक्टर और दवाएं नहीं हैं और आप विकास की बात करते हैं। मैंने उदाहरण के लिए एक सड़क का नाम लिया है उस सड़क के लिए हमने 108 करोड़ रुपये का प्राविधान कराया था। उसमें वह सड़क शामिल है। प्राविधान आपने नहीं किया 2002 से पहले प्राविधान हो चुका है। नाबार्ड से भी पैसा आ गया है क्या कारण है कि वह सड़क नहीं बन रही है। आप अपना रास्ता बदल कर जरा उस सड़क से जाकर देखें सबेरे से शाम हो जायेगी तब पहुंच पायेंगे। आप लोगों के रहते उस क्षेत्र की दुर्दशा हुई । आप किसानों की हित की बात करते हैं, आपके पड़ोस में 135 रुपये मिल रहा है। देवबंदी मंत्री जी बैठे हैं पता लगा लें कि क्या स्थिति है। माननीय संजय जी मेरे पास भी आंकड़े हैं लेकिन मैं उनको यहाँ पढ़ा कर सदन का समय नहीं नष्ट करना चाहता। मेरा मामूली किस्म का संशोधन प्रस्ताव था ताकि इस विधेयक पर विचार कर लें और विचार करने के बाद कोई चीज आये। आप बिना विचार किये किताब पढ़ देंगे, बोल देंगे और अपने घर चले जायेंगे, इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी और अपनी बात के साथ-साथ हमारे विधेयक का समर्थन किया है। बिना वित्तीय संसाधनों को बढ़ाये विकास नहीं किया जा सकता है। सत्ता किसी की भी हो, शासन किसी का भी हो, विकास के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश में जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वह प्रदेश की 16 करोड़ आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तमाम सदस्य अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं की बात करते हैं परन्तु विकास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शासन ने ईमानदारी के साथ इन प्रस्तावों को रखा है। कर्नाटक टैक्स रिफार्म कमीशन ने 1998-99 में जो रिपोर्ट दी है उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में 1998-99 में 4457.68 लाख रुपये का टैक्शेसन है। मान्यवर, 100, 111 करोड़ 70 लाख रुपये की कुल खपत के मुकाबले टैक्स केवल 4.4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। जबकि आन्ध्र प्रदेश में यह 10.91, गुजरात में 12.37, हरियाणा में 9.12, कर्नाटक में 11.85, केरल में 10.91 और तमिलनाडु में 12.77 प्रतिशत है। इस तरह से देखा जाए तो तमाम प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 4.4 प्रतिशत टैक्स है और [illegible] हम 8 हजार करोड़ रुपये जमा कर रहे हैं। हम वित्तीय संसाधनों को संजोकर [illegible] करके वित्तीय संसाधन बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि यह [illegible] लगा रहे हैं और जो प्रस्ताव इस संबंध में लाये हैं उसको समर्थन दें और प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री नवाब सिंह नागर--

अध्यक्ष महोदय, यह जो शुल्क लगाया गया है और जो प्रस्ताव आया है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वह उत्तर प्रदेश से पौने दो रुपये कम हैं इसलिए तमाम खरीददार पेट्रोल और डीजल की वहां से कर ली जाती है जिससे हमारे टैक्स का नुकसान होता है। यह जो टैक्स लगाया गया है इससे उद्योग और व्यापारियों, दोनों को चोट करने की साजिश है इससे उद्योग बन्द हो जायेंगे और व्यापार प्रभावित होंगे। यह सरकार उद्योगों और व्यापारियों को बरबाद करना चाहती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले जो टर्न ओवर टैक्स लगाया गया था जिसका प्रदेश में बहुत बड़ा विरोध हुआ था इसके कारण उसको वापस लेना पड़ा लेकिन अब उसको हटाने के बजाय एक नए नाम से वह टैक्स लगा दिया आप इससे व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं।

श्री संजय गर्ग--

माननीय सदस्य जो यह कहा कि केवल नाम बदल दिया गया यह सही नहीं है। टर्न ओवर टैक्स मल्टी प्वाइंट टैक्स था जबकि यह विकास कर सिंगल प्वाइंट टैक्स है इससे केवल 18 हजार व्यापारी प्रभावित होंगे जबकि टर्न ओवर टैक्स से इससे कहीं बड़ी संख्या में व्यापारी प्रभावित हो रहे थे। कोई नए व्यापारी इसकी परिधि में नहीं आएंगे इसके अलावा जो आम जनता के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसमें छूट दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए निश्चित रूप से यह कदम सहायक होगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ढ) में शब्द, अंक और अक्षर "अतिरिक्त कर और धारा 7-घ के अधीन स्वीकार की गई समाधान धनराशि" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "अतिरिक्त कर और धारा 7-घ के अधीन स्वीकार की गई समाधान धनराशि और राज्य विकास कर" रख दिये जायेंगे।

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3-क या 3-घ" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3-क धारा 3-घ या धारा 3-ज" रख दिये जायेंगे। धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3-छ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :— नयी धारा 3-ज का बढ़ाया जाना

"3-ज (1) ऐसे व्यापारियों पर, जिनका कुल व्यापारवर्त, जैसा कि धारा-3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, 50 लाख रुपये से अधिक हो, उनके कर योग्य व्यापारवर्त पर एक प्रतिशत से अनधिक दर से जैसा राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे, राज्य विकास कर लगाया जायेगा। राज्य विकास कर इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर के अतिरिक्त वसूल किया जायेगा। यह कर राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन जारी विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् उद्ग्रहणीय नहीं होगा : राज्य विकास कर

(2) धारा 7-घ के अधीन समाधानयोग्य माल के सम्बन्ध में कर के समाधान की सुविधा राज्य विकास कर के सम्बन्ध में भी उपलब्ध होगी ;

(3) राज्य विकास कर का समायोजन धारा 4-क के अधीन जारी पात्रता प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट मौद्रिक सीमा में किया जायेगा।

(4) निम्नलिखित पर राज्य विकास कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा—

(क) समाचार पत्रों पर और ऐसे मालों या व्यापारियों पर जिन्हें धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट या विज्ञापित किया गया हो ;

(ख) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन घोषित माल ;

(ग) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिये दायी माल ;

(घ) ऐसे माल, जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।"

5—मूल अधिनियम की धारा 4-क की उपधारा (1) में शब्द "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "इस अधिनियम की धारा 3-ज के उपबन्धों के सिवाय किन्हीं अन्य उपबन्धों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी" रख दिये जायेंगे। धारा 4-क का संशोधन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धारा 4-कक का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 4-कक में शब्द "इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "इस अधिनियम की धारा 3-ज के उपबन्धों के सिवाय किन्हीं अन्य उपबन्धों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

श्री हुकुम सिंह जी, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आप थक गए होंगे आप ही बार-बार कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, इसमें सुझाव के माध्यम से आपका ध्यान चाहता हूं। नाम निर्देश करने की बात इसमें है अच्छा होगा कि उस पंक्ति को देखें सदस्यों के विशेष ज्ञान अनुभव का लाभ अगर इसको न लिखते तो कोई अंश बढ़ा न होता। किसका नाम निर्देश करेंगे अनुभव की बात है इसमें यह प्रावधान किया है कि पूर्व सभासद होंगे, पूर्व पार्षद होंगे, जिनका अनुभव रहा हो, पूर्व मेयर हों, चेयरमैन रह चुके हों जिनका अनुभव हो आपने ज्ञान की कोई परिभाषा लिखी है जिसके अन्तर्गत कोई विशेष डिप्लोमा हो, डिग्री हो उनको मौका देंगे।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, नाम निर्दिष्ट उनका करेंगे जिनको यहां इस सदन में और दूसरे सदन में एडजस्ट नहीं कर पाये, जो रह गये उन बेचारों को कुछ न कुछ देना है। औरों ने भी यह किया और आप भी वही करने जा रहे हैं। लेकिन कहिये तो सही।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

आपने ही शुरूआत की थी राजनैतिक बेरोजगारी दूर करने की। हम उतना दूर नहीं कर पाये जितना आपने किया था।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय नेता जी जो कह रहे हैं, वही मैं कह रहा था केवल कहने के स्टाइल में और शैली में अंतर है। बेकार राजनीतिज्ञों को काम देने का काम बनाया है। आप इसको इस तरह से साफ-साफ क्यों नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके अनुभव और जानकारी का फायदा आप उठायेंगे। मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। जितने भी हमारे निकाय हैं आखिर उनका वर्क कल्चर क्यों नहीं विकसित हो पा रहा है, क्या कारण है ? बाहर हम देखते हैं कि मेयर के रूप में कितना सम्मान है ? पार्षद के रूप में कितना सम्मान मिलता है ? चाहे नगरपालिका और नगर पंचायत हो आखिर उनकी वर्क कल्चर क्यों नहीं विकसित हो पा रही है ? हमारी राज्य सरकार और विधान मण्डल के रूप में क्या सहयोग हो सकता है, कैसे उनको सहयोग दिया जा सकता है, कैसे उनको मार्ग दर्शन दिया जा सकता है ? कैसे उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में हम कहां बात करते हैं, वो ही कहा करते हैं ? सिर्फ इतना रह गया है, क्षमा करेंगे मेरे सभी सहयोगी कि जब से हमने विकास पर ज्यादा बल दे दिया हम अपना काम छोड़ बैठे। वे भी छोड़ बैठे। 50-60 मीटर खड़ंजा हमको मिल जाय और अपने कार्य-कर्ता से काम करा लें। इस मानसिकता ने इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। इस मानसिकता को रोकने के लिये सही-सही दिशा निर्देश यहां से जारी हो सकते हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह जो बीमारी आई है निकायों में, उनको दूर करने के लिये सोचना चाहिए। बीमारी क्या है इसको विस्तार से मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि जानकारी आपको भी है। अंत में यह कहते हुए कि कल किसी बात को लेकर नगर विकास मंत्री कह रहे थे गौर साहब के बारे में कुछ नाम लेकर कि आपको गुस्सा क्यों आता है। पता नहीं पिक्चर थी कि क्या। एल्बर्ट पिन्टो को गुस्सा क्यों आता है। मान्यवर, आप तो बहुत सुशोभित पद पर बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपको बड़ा गुस्सा आता है। बाजे दफे तो अगर सदन नहीं होगा कहीं और गुस्सा कर आयेंगे जाकर।

(डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा बैठे-बैठे यह कहने पर कि गाजियाबाद हो या लखनऊ हो)

मैं गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा। एक कार्यक्रम में एक सभासद ने इनको एक कागज पकड़ा दिया कि मेरे क्षेत्र में सीवर लाइन खराब पड़ी है डेढ़ दो साल से 10-20 हजार रुपये दे दीजिए। इतना तो आपसे कहेंगे ही। उनकी पीड़ा भी समझिये जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिनके लिये जिम्मेदार हैं उनकी बात कैसे नहीं उठायेंगे ? मैं आपको नसीहत देने वाला नहीं हूं। छात्र संगठन से आप आये हैं इसलिये इतना तो चाहेंगे कि जब तक वहां बैठे क्रोध पर नियंत्रण कर लें। यहां पर इतना अनुरोध है आपसे कि नगर निकाय जैसे अपने दायित्वों को निबाहें इस बारे में अगर आपको कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो अवश्य करें। केवल नाम निर्दिष्ट कर देंगे तो क्या उससे सारे के सारे नगर निकाय सशक्त हो जायेंगे ? इससे ऐसा नहीं होने वाला है। झगड़े इस बात के लिये होते हैं कि टैक्स की कमेटी का चेयरमेन कौन बनेगा ? इसके फसाद कोर्ट तक जाते

है। इसके बारे में प्रक्रिया यहां से स्पष्ट हो जाय कि किस बनायेंगे। अनुभव की बात आपने कही है, अनुभव को वहां देख सकें। कैसे-कैसे पद को हथियाकर कब्जा कर सकते हैं, कैसी बातें हो सकती है। आपकी चिन्ता निहित है। मैं बताना चाहूंगा आप जब मुख्यमंत्री जी थे पहले तो आयोग कमीशन बना जिसमें विधान सभा के पूर्व सचिव को अध्यक्ष बनाया गया .....

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

श्री हुकुम सिंह--

चेन्नई में 125 करोड़ का राजस्व टैक्स में मिलता है। 52 करोड़ का राजस्व उत्तर प्रदेश में मिलता है। चिन्ता करनी चाहिए। कैसे-कैसे विकास प्राधिकरण कालोनियां बनाता है। दस-दस साल लोगों के ट्रांसफर नहीं होते हैं। कर लगा नहीं पाते तो राजस्व बढ़ नहीं पाता है। यदि ऐसे बिन्दुओं पर नहीं कहेंगे तो किस पर कहेंगे। हमने अवगत कराया, कोशिश की, जो काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा कराया जाए। हमने धन दिलाया है सकारात्मक रूप से धन दिलाया है अगर सही संशोधन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए, प्रवर समिति का सुझाव इसलिए है वहां बैठकर तमाम बिन्दुओं पर विचार कर सकें अगर संशोधन मान लेंगे तो आपकी ही वाह-वाह होनी है। प्रशंसा आपकी होनी है। इसलिए इस संशोधन को लाए हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

हुकुम सिंह जी ने कहा है, मामूली से संशोधन का वाकया है, शब्द का संशोधन है। बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। संशोधन इसलिए है कि यह बेहतरी चाहते हैं। बेहतरी के तरीके से एक दूसरे से इत्तेफाक हो सकते हैं। किस तरह से बेहतरी के तरीके को अख्तियार करते हुए, हमारी सरकार नगरपालिकाओं के निजाम को अच्छी तरह चलाए। मात्र संशोधन रवायत के लिए नहीं किया गया है। आपने कहा मामूली से शब्द का संशोधन है वह खास वजह से लाया गया है, आपकी नुक्ता-ए-निगाह है। सलाहियतों का सही इस्तेमाल हो। सही लोग आए। आपने कहा अलबर्ट पिन्टो को गुस्सा क्यों आता है तो यह बहुत पुराना अफसाना है। सदियों तक इसको याद किया जाता रहेगा इस जुमले को इस अफसाने के साथ। जो लोग साहित्य पढ़ते हैं, वह जानते होंगे। साहित्य पढ़ने का वक्त मुझे जरा कम मिल पाता है, आपको ज्यादा मिल जाता है। आज मैं जहां हूं वहां कभी आप होते थे। जरा वह दिन याद करें-

मेरी जरा सी बात का इतना बुरा हुआ।
कुछ आपको भी याद है अपना किया हुआ ।।

याद है कुछ। मैं किस बात पर गुस्सा करता हूं जो बात बहुत बुरी होती है। मुझे बहुत बुरी लगती है। जो बात अच्छी होती है मैं किसी का कहा नहीं मानता हूं। कुछ बातों की वजहात हो सकती हैं। वाजपेयी जी ने गाजियाबाद का जिक्र किया। गाजियाबाद में मेरी तबियत इतनी खराब थी कि मैं बोल नहीं सकता था। मैंने कुछ नहीं कहा खामोशी से चला आया। नेता सदन यहां बैठे हैं। नेता सदन ने निर्णय लिया है यह किसी एक व्यक्ति के सम्मान की बात नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था के सम्मान का निर्णय है। आज हम सत्ता में हैं कल आप थे। यह हालात क्यों बने, क्यों पहचान इतनी कम हो गई ? प्रोटोकाल का एहतराम कम हो गया ? यह एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष या चार वर्ष में कम नहीं हुआ है। इसके लिए लम्बा अरसा लगा है तो इसे किसी न किसी को तो ठीक करना ही होगा। साथियों का अपमान हो, हमारी सरकार है इस पर टिप्पणी होगी। नेता सदन यहां बैठे हैं हमारी सरकार ने जब कार्यभार संभाला पहले दिन से ही नेता सदन की यह नीति रही है कि कोई प्रश्न का

जवाब अगर गलत आता है तो यहां जवाब के लिए संरक्षण नहीं देंगे, और इसी तरह सुधार होगा क्योंकि खुद हम आपके कटाक्ष को बुरा नहीं मानते। आज भी नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिए, मैंने इसी सदन में कहा था कि हमें आपसे मार्गदर्शन मिलता है। जाहिर है कि हम फरिश्ता नहीं हैं, हमारे अन्दर खूबियाँ भी हैं और कमियां भी हैं, आप हमारी कमियों को इंगित करेंगे तो हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। हम तो इस बात के लिए नेता सदन को मुबारकबाद देते हैं कि बावजूद इसके कि उनके ही अधिकारी वहां थे फिर भी इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया गया कि जमाना क्या कहेगा, प्रोटोकाल का कैसे एहतराम हो। यह ठेका नहीं है कि हम हमेशा सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, आने वाला कल एहसास होना चाहिए। सरकार, सरकार है और कारिन्दे, कारिन्दे हैं। आपने लखनऊ के फंक्शन की बात कही, मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए आया कि मुझे सदन में आना था। 15 मिनट के लिए ही मैंने कहा था लेकिन वहाँ पर सवा घण्टे हो गया। मैं बोला, मेरे बाद एक अधिकारी बोले और उनके बाद एक पार्षद बोले तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि वहां भी प्रोटोकाल नहीं था और यहां भी प्रोटोकाल नहीं है। मैंने यह क्यों कहा, इसमें आपको गुस्सा नजर आता है लेकिन मुझे व्यवस्था की कमी नजर आती है।

जिस संस्था में हम गये थे, वह बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी शैक्षिक संस्था चला रहे हैं, जहाँ शिक्षा की नदी बह रही हो वहीं यह तरीका अख्तियार हो कि मंत्री पहले बोलेगा, अधिकारी उसके बाद और पार्षद सबसे बाद में, तो मुझे तो उन्हें कुछ सिखाना भी था। आने वाला कल तो आपका है, क्योंकि मेयर साहब आपके हैं, मैं तो आपकी हर चीज को अपनाता हूँ, आपकी खूबियों को और जो मुझसे नहीं होता वह नेता जी अपना लेते हैं। आपके मेयर साहब हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, जो स्कूल आपको वर्षों बुलाता रहा, किन्हीं कारणों से मुझे बुला लिया लेकिन आने वाले दिनों में उनकी मनोकामना तो यही है कि आप ही मुखिया हों और आपको ही बुलायें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह बुरा दिन न आये जब आपको वहाँ जाना पड़े और आपके मंत्री जी के साथ वैसा ही हो कि उनके बोलने के बाद पार्षद बोलें। इसलिए मैं चाहूँगा कि हुकुम सिंह जी आप अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, यह जो लोकशाही की स्थापना हुई, उस समय भी आप मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है कि काउन्सिल में मैंने इसी बिन्दु के ऊपर कहा था कि मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए तब आपके जो शब्द थे अगर मुझे इतने दिन की पुरानी बात सही याद है कि मेम्बर चुने हुए लोगों के मैनडेट को इससे बदल देंगे, यदि उनको अधिकार नहीं देंगे। अगर मान लीजिए चुनकर मेम्बर आए उनमें 4 कमी होंगी, बहुमत नहीं है तो मालूम हुआ कि चार मेम्बर इसमें से नामित कर दिया और यह फैसला चार लोगों ने पलट दिया।

मान्यवर, तो यह थोड़े से लोगों के हाथ में न हो, एक सम्मान के रूप में न हो। सुझाव के लिए आयें, यह जो वरिष्ठ नागरिकों के नाम पर यह कहा गया कि 4 लोग ऐसे नामित होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। वह सुझाव देंगे, भाग लेंगे लेकिन मत नहीं दे सकते। आपने पूरे के पूरे निकाय के नेचर को बदल देने का प्रयास किया। थोड़ा सोच लें। इस सदन में एक मेम्बर नामित होता है। अगर कल 10 मेम्बर नामित होने लगें और दसों को वोट का अधिकार हो तो जहां 1-2 के बहुमत से सदन चलता है तो वहाँ 10 नामित आदमी जिसकी तरफ होंगे उसका पक्ष बदल जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस मैंडेट को एडमिनिस्ट्रेशन मैंडेट में बदल नहीं सकते।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौलिक सिद्धान्त की बात यह है और परम्परा भी है कि सरकार अगर संतुष्ट हो भी जाये कि यह बात सही कही जा रही है, चूंकि हमने यह विधेयक पेश किया है इसलिए हम यह स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई गलत बात है तो आलोचना करनी होगी लेकिन जो सुझाव की बात होती है और अगर कोई स्थिति ऐसी हो रही है कि वास्तव में सारे नेचर को, भावनाओं को बदला जा रहा है और उस 74वें संविधान संशोधन जिसमें एक संवैधानिक इकाई बनायी गयी थी उसके महत्व को समाप्त किया जा रहा है। यह इसका महत्वपूर्ण पहलू है इसको आपको मानना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप नामित करें। वैसे यह भी अच्छी परम्परा नहीं है कि कोई कभी आये और पहले को हटाकर दूसरे को नामित कर दें। आखिर यह उनके अधिकार हैं। उन्हें कुछ कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना होता है, कुछ लोगों को रोजगार देना होता है, दे दें। लेकिन अगर उन्हें यह भी कर दिया जाये कि वह पूरी व्यवस्था को बदल दें तो यह उस संविधान संशोधन की मूल भावना के विपरीत होगा जो जब आप खुद मुख्यमंत्री थे तो बनाया गया था।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, नगर निगम या नगर पालिका में नामित होने वाले या जो नामित हुए हैं उनकी मिसाल विधान सभा या लोक सभा के सदस्यों से नहीं की जानी चाहिए। वह अलग हैं। यहां कानून बनते हैं, वहां नहीं बनते हैं, यहां पर बजट पास होता है और इससे वहां का काम चलता है। वह न जमीन हैं न आसमान हैं। उसकी मिसाल यहां नहीं है लेकिन जो लोग नामित किये जाते हैं वह वही किये जाते हैं जो समाज के अच्छे लोग हों, जो अलग-अलग क्षेत्र में सलाहियत के लोग हों। इसलिए यह लोग नामित किये जाते हैं। श्री लालजी टण्डन जी वाकिफ हैं कि यह मांग बहुत लम्बे समय से चल रही थी कि जब आप लोगों को नामित करते हैं तो यह अपना समय देते हैं, समाज के लिए काम करते हैं तो जैसे वह डाक्टर हों तो उनकी प्रेक्टिस पर, क्लीनिक पर असर पड़ता है, व्यापारी हैं तो व्यापार पर असर पड़ता है। इसलिए जो प्रोफेशनल हैं, अच्छे लोग हैं उनको ही नामित किया जाता है। एक तरफ इसलिए नामित करते हैं कि हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, और वह समाज के लिए काम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वह सदन में जायें और तमाशाई बैठे रहें। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम उन्हें नामित करके उनकी काबिलियत का फायदा उठायें और साथ ही उन्हें मत का अधिकार देकर सही फैसलों में शामिल भी करें। इसलिए यह फैसला लिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा-6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (1) में प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और उन्हें नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।"

नई धारा 25-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

महापौर, उप महापौर या पार्षद होने या बने रहने के लिए विधायकों पर रोक

"25-क इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी --

(क) कोई व्यक्ति महापौर, उप महापौर या पार्षद निर्वाचित किये जाने और होने के लिए अनर्ह हो जाएगा, यदि वह संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो,

(ख) यदि कोई व्यक्ति महापौर, उपमहापौर या पार्षद निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाय, तो वह अपने निर्वाचन या अपने नाम-निर्देशन की घोषणा के भारत या उत्तर प्रदेश के गजट में प्रथम बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक को और ऐसी अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर, ऐसे लिखित नोटिस द्वारा, जिस पर उसके हस्ताक्षर हों, और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उस सम्बन्ध में सरकार अधिकृत करे, दिया गया हो, यह सूचित करेगा कि वह किस पद पर कार्य करना चाहता है और उसका इस प्रकार सूचित किया गया वरण अंतिम होगा और उक्त सूचना न देने पर और उक्त अवधि बीत जाने पर वह महापौर, उप महापौर या पार्षद के पद पर न रह जायेगा और तदुपरान्त महापौर, उप महापौर या पार्षद के, जैसी भी स्थिति हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी।"

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और उन्हें नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महिला सशक्तीकरण हेतु समयबद्ध प्रभावी कार्यक्रम बनाया जाय" विषयक डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)—

मान्यवर, इनको महिला से क्या मतलब ?

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

नरेश जी बिना महिला के समाज का सृजन होता है क्या ? आप बिना महिला के सदन में आ गये ? आज अगर मां की कोख नहीं होती तो आप सदन में नहीं आ पाते ? मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 'इस सदन का निश्चित मत है कि महिला सशक्तीकरण हेतु समयबद्ध प्रभावी कार्यक्रम बनाया जाय।'

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता श्री वसीम अहमद पीठासीन हुए)

मान्यवर, महिला सशक्तीकरण आज की महती आवश्यकता है इस दृष्टि से मैंने इस विषय को सदन में चर्चा करने के लिए उठाया है। पहली बार 1917 में सरोजनी नायडू ने इस देश की धरती पर महिला सशक्तीकरण की बात कही थी। पहली बार जनप्रतिनिधि के रूप में 1926 में

महिला विधायक डा0 एम0 मुथुलक्ष्मी निर्वाचित हुई थी। सामाजिक न्याय की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो बिना महिला के विचार करना सामाजिक न्याय की परिभाषा को मूर्त रूप नहीं दे सकते। मान्यवर, 8 मार्च, को इसी माह महिला सशक्तीकरण दिवस के रूप में मनाया गया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस देश में नारी की पूजा, नारी की देवी के रूप में मान्यता, उसको शक्ति के प्रतीक के रूप में मान्यता उसकी सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में मान्यता है उस देश में इतना पराभव आया है कि आज नारी समाज में बराबरी और सहभागिता के रूप में नहीं हो पायी है इसलिए यह चिन्ता का विषय है। आज महिला सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह हमें शक्ति देती है। महिला अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार उसको साकार करने की स्थिति में आती है तो महिला सशक्तीकरण कह सकते हैं। मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1992 से 97 तक चली थी, उसमें तीस प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही गयी थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास का तीन प्रतिशत धन महिलाओं के ऊपर खर्च करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। आज हमको चिन्ता करनी है महिलाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी रोजगार की। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरे पक्ष पर भी चिन्ता करनी पड़ेगी कि आजकल महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है उसके ऊपर भी हमको चिन्ता करनी पड़ेगी। इस चिन्ता के क्रम में अगर हम विकास की दृष्टि से विचार करें तो शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की चिन्ता हमको विशेषतौर पर करनी पड़ेगी। हम अगर यह बात कहें कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं विकास की दृष्टि से हमकदम नहीं बन पा रही है तो यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। गांवों के खेतों और खलिहानों में काम करने वाली ये महिलाएं विकास की दृष्टि से बहुत पीछे हैं, इन महिलाओं की दुर्दशा अपने आप में स्पष्ट है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अशिक्षित यह इतनी पीछे हैं कि वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं दिखा पा रही है। चिलचिलाती धूप में गर्मियों में खेतों में काम करने वाली, मजदूरी करने वाली इन महिलाओं की तरफ अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर क्या करेंगे ? हमको संकल्प करना है कि आगामी पीढ़ी शिक्षित हो, उसको वैसे जीवन यापन न करना पड़े जैसा की उसकी मां ने किया है। हमें इनके विकास के बारे में सोचना होगा। हमें यह बात भी देखनी पड़ेगी कि जो भी सुविधायें इन्हें सरकार के द्वारा दी जा रही है उन सुविधाओं को बीच में काम करने वाले दलाल खाये जा रहे हैं, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवहारिक योजना बननी चाहिए। हमारे देश में महिला प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, भूत काल में गार्गी, अपाला हों या आज की तिथि में किरण बेदी, पहली महिला लेफ्टीनेन्ट जनरल पुनीता अरोड़ा, प्रथम महिला डी0 जी0 उत्तरांचल, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला इसके उदाहरण हैं। मान्यवर देश की मुख्य धारा में महिलाएं आना चाहती हैं, लेकिन पुरुष प्रधान समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, महिला सशक्तीकरण के रूप में फाइलों में जो करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं वह निरर्थक हो रहा है। ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास के लिये अधिक धन आवंटन होना चाहिए। इस क्षेत्र में एन0 जी0 ओ0 भी धन का आहरण करा रहे हैं। मान्यवर, आज 21 वीं सदी में महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, यह अन्यायपूर्ण है। महिलाएं शिक्षित हों, उनकी शिक्षा रोजगार परक व स्वावलम्बी बनाने वाली हो, इसकी चिन्ता हम सबको

करनी चाहिए। योजना आयोग ने तो बहुत पहले इनकी सक्रिय हिस्सेदारी की सिफारिश की थी। सलाहकारी समूह 17 सदस्यीय महिलाओं की गठित हुई। योजना आयोग की सदस्या सईदा हमीद तो इस क्षेत्र में विशेष तौर पर सक्रिय रही। सरकार ने अपना बजट पेश करते हुए कहा कि हम जेण्डर का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, जेण्डर विकास प्राथमिकता के तहत योजना प्रक्रिया में हर विभाग को महिलाओं के प्रति जवाबदेह बनाया जायेगा, लेकिन इस जेण्डर की व्यवस्था तो योजना आयोग भारत सरकार ने बहुत पहले से लागू की थी। जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में आठ प्रतिशत से अधिक महिलाएं कभी सदन की सदस्या नहीं रहीं। मान्यवर, 1952 में 14 महिलाएं निर्वाचित होकर के आईं, 1957 में 27 महिलाएं, 1962 में 35, 1967 में 30, 1971 में 21, 1977 में 520 में 29, 1980 में 28, एक वर्ष 1984 का ऐसा है जिसमें 42 महिलायें निर्वाचित होकर सदन में आईं, 1991 में 39, 1996 में 39 और 1998 में 43 महिलाएं निर्वाचित होकर के आईं। मान्यवर, पंचायत स्थानीय निकाय के चुनाव में महिला आरक्षण से [illegible] बाध्यकारी प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

मान्यवर, इस देश की आधी आबादी को मजबूत बनाये बिना विकास की कल्पना अधूरी है। आज हम इनको कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने का अधिकार नहीं दे पा रहे है। संसद और विधान सभा में 33 प्रतिशत का आरक्षण देने सम्बन्धी विधेयक कहीं न कहीं हमारी ही कमियों के कारण अधूरा पड़ा है। इस तरह से मान्यवर, नारी शक्ति मजबूत बनाये बिना विकास की कल्पना करना, अधूरी कल्पना होगी। मान्यवर, शाहबानों प्रकरण ने तमाम महिला आन्दोलनों को जन्म दिया, इस शक्ति के उदय के बाद संसद के भीतर और बाहर महिलाओं की सुनिश्चित सहभागिता की भावना जागृत हुई और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की सोच डेवलप हुई। मान्यवर, अब 5 महिला मुख्य मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष लोक सभा महिला है, मान्यवर, जो घोषणा-पत्र में महिलाओं को स्थान देने की बात है, इसमें दलगत नीति में महिलाओं को स्थान पुरुष प्रधान संगठन होने के कारण नहीं है। मान्यवर, आप देखें जब किसी परिवार में राजनीतिक विरासत की बात नेतृत्व के अन्तर्गत आती है तो उसमें नेतृत्व की विरासत पुत्रों को सौंपने का काम किया जाता है और कमान पुत्रों को सौंप दी जाती है शायद एक-दो उदाहरण ही ऐसे मिलेंगे जिसमें किसी राजनीतिक नेतृत्व के व्यक्ति ने अपने नेतृत्व की राजनीतिक विरासत अपनी पुत्री को सौंपी हो। ज्यादातर ने पुत्रों को सौंपी है। मान्यवर, अगर आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश की है कि महिला आरक्षण विधेयक लागू हो और यह जो घरेलू उत्पीड़न विधेयक है, अन्य कानून जो दहेज और विवाह से सम्बन्धित हैं वह भी सुधार की प्रतीक्षा में हैं। इनके लिए भी आयोग ने अपनी सिफारिशें की है।

मान्यवर, जहाँ महिलाओं के क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए चिन्ता व्यक्त की जाती है वहीं जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है उसमें आदिवासी सदस्य का पद आज भी खाली है तो उसके अभाव में उस आयोग की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है यह उचित होता कि वह पद वहाँ भर जाता। मान्यवर, इसी तरह से आयोग में 5160 मामले पंजीकृत हैं जिसमें से अधिकांश मामले यू0 पी0 और दिल्ली के हैं। लेकिन मान्यवर, उसमें कोई प्रभावी भूमिका आयोग की सामने नहीं आ पाई है यह चिन्ता का विषय है। आज यह सब मानते हैं कि महिला सशक्तीकरण आवश्यक है। मान्यवर, आप देखें रवीन्द्र सरोवर कांड सी0 टी0 फोर्ट परिसर कांड, स्विस राजनयिक बलात्कार, शान्ती मुकुन्द अस्पताल में नर्स बलात्कार, बुद्ध जयन्ती पार्क बलात्कार

कांड यह सब एक कलंक के रूप में है। मान्यवर, मलीमथ समिति की रिपोर्ट अभी भी विचार की प्रतीक्षा में है। मान्यवर, 498 ए0 के दुरुपयोग के मामले संज्ञान में आये हैं जिसको उदार बनाने की कोशिश की गई है। मान्यवर, आज लगता है कि महिला आरक्षण विधेयक पास कराने की क्षमता किसी में नहीं है। मान्यवर, आज भी अधिकांश महिलाओं को घर के अन्दर रह कर भी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। हमारे समाज की सोच ऐसी है कि जन्म से ही महिलाएं भेद-भाव की शिकार हैं। मान्यवर, महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में अगर हम देखें तो योजनाओं में कुछ कमी जरुर हैं और स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आये हैं। महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से पीछे हैं मान्यवर, आज 80 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि भारतीय दफ्तरों में उनका यौन उत्पीड़न होता है। मान्यवर, भारत में अधिकार सम्पन्न न्यायपालिका, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे आयोग महिलाओं के अधिकारों के हनन को रोकने में प्रयासरत हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं इस दृष्टि से मैं कुछ कानूनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, लगभग समूचे विश्व में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि आबादी की समस्या से निपटने के लिए महिला सशक्तीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, जनसंख्या की वृद्धि के कारण विकास के संसाधनों को चट जाने की जो स्थिति बन रही है उसमें हमें महिलाओं को सशक्त करना बहुत आवश्यक होगा क्योंकि परिवार की वृद्धि करने में महिलाओं की बराबर की साझेदारी है। शिक्षा के कारण महिलाएं कुछ क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ी हैं आप केरल गुजरात और महाराष्ट्र की स्थिति देख लें जहाँ महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत अधिक है, साक्षरता अधिक है और जहाँ परिवार के आकार के बारे में निर्णय लेने की महिलाओं की पुरुषों के बराबर की भागीदारी है और जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश है। मान्यवर, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कानून हैं जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं, इनमें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1954, विशेष विवाह अधिनियम, 1954,हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और हिन्दू दत्तक और भरणपोषण अधिनियम, 1956, बाल-विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1976, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 और बागान श्रम अधिनियम-1951, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, ठेका श्रम (विनियोजन और उत्सादन) अधिनियम, 1976, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1972, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1986। इसके अलावा आपराधिक कानूनों के संशोधन, कुटुंब (परिवार) अदालतें, और स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिवेदन) अधिनियम, 1986, सती (निवारक) आयोग अधिनियम, 1987, जन्म-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियम और दुरुपयोग निवारक) अधिनियम, 1994।

मान्यवर, इन कानूनों में आवश्यक संशोधन पर विचार कर लें तो मैं निश्चित मत का हूं कि महिलाओं को सशक्त करने को गति मिलेगी। अगर समाज को पुष्टि देना चाहते है, समाज को ताकत देना चाहते हैं और समाज को मजबूत करके राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर [illegible] करने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं सबसे पहले [illegible] में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मैसाच्युसट्स राज्य में

वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ वहीं से शुरुआत हुई थी और भारत में 1993 में महिलाओं की सेना के साथ-साथ नौ सेना और वायु सेना में नियुक्तियां की गयी। महिलाओं की संसद में प्रवेश की चर्चा हम कर चुके हैं। सरकारी क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत है 4.1 और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का स्थान 16वां है महिलाओं को संवायोजित करने के क्षेत्र में, और प्रतिशत 5.8 है जबकि भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान 23वां है और प्रतिशत है 4.1। राजनीतिक विकास के कार्यक्रम साक्षरता की बात करें तो राजनीतिक जागरुकता, राजनीति में भागीदारी, राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना और नेतृत्व प्राप्त कर निर्णयों को प्रभावित करना और दिशा देना।

इस कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता होगी तो निश्चित तौर पर हम इस समाज का जो कर्तव्य है उसका पालन कर पायेंगे। महिलाओं को जो कारण राजनीति से दूर कर रहे हैं वह हैं राजनीतिक जागरुकता का अभाव, अशिक्षा, संकोच, पारिवारिक निर्धनता, नैतिकता का दोहरा मानदण्ड, आर्थिक पराधीनता, असुरक्षा, बालक-बालिका में भेद-भाव, खर्चीली चुनाव प्रणाली आदि हैं। साक्षरता की दर से जो असमानता है यदि उसको 1991 की जनगणना के आधार पर देखें शहरी पुरुष 81.09 प्रतिशत, शहरी महिलाएं 64.05 प्रतिशत, ग्रामीण पुरुष 57.87, ग्रामीण महिलाएं 30.62, शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति पुरुष और महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत क्रमश: 49.91 तथा 23.76 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के पुरुष 40.65 प्रतिशत तथा महिलाएं मात्र 18.19 प्रतिशत शिक्षित हैं जोकि शहरी महिलाओं के साक्षरता प्रतिशत से लगभग 25 प्रतिशत है जो चिन्तनीय है। महिला शिक्षा और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम विचार करें तो हमारे सार्थक प्रयासों की कमी है, ग्रामीण महिलाओं की उपेक्षा है। महिला शिक्षा में घरेलू कामकाज एक बाधा है। महिला शिक्षा के विषय में कुछ गलत धारणाएं बनी हुई हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि महिला शिक्षा के अभाव में ग्रामीण विकास का प्रयास करना और बात करना निरर्थक है। भारतीय महिलाओं को कानूनी संरक्षण में बताना चाहता हूं कि शादी और कानून विशेष विवाह कानून, बाल विवाह अधिनियम, दूसरा विवाह कानूनी जुर्म, विवाह का निर्णय और संरक्षण, दहेज सम्बन्धी अपराध, बलात्कार सम्बन्धी कानून, बंधुवा मजदूरी कानून, बाल मजदूरी कानून, पत्नी का भरण-पोषण का आधार, विधवा के गुजारे का अधिकार, सम्पति में औरतों का कानूनी अधिकार, समान वेतन कानून 1976, कामकाजी महिलाओं के लिए कानून, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन कानून, प्रसूति की सुविधाएं, जायदाद में औरतों का अधिकार, गोद लेने सम्बन्धी कानून, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष कानून, सी0 आर0 पी0 सी0 और पुलिस ऐक्ट से संरक्षण, अनैतिक देह व्यापार का निवारण, कानून का व्यवहारिक रूप एवं प्रभावी तरीके से उसे लागू करने से महिला सशक्तीकरण को बल मिलेगा। मैं और अधिक समय न लेते हुये केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अगर जिस देश में वैदिक काल से महिलाओं को मां, देवी और शक्ति के रूप में माना गया हो,उस देश में जो पराभव इस समय हो राह है, इस दृष्टि से इस देश में, जनप्रतिनिधि के नाते इस क्षेत्र में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिये, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। अगर हमने इस भूमिका पर विचार किया तो निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त करेंगे तो परिवार सशक्त होगा और जब परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा और जब समाज सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा और जब प्रदेश सशक्त होगा तो हमारा यह भारत और पूरा राष्ट्र सशक्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: पूरे सदन से अपील करता हूं कि समाज में महिलाओं की भूमिका पर

हमारा क्या अधिकार है, इस पर विचार करते हुये हम महिला सशक्तीकरण का अनुश्रवण स्वयं अपने-अपने क्षेत्र में करें और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का ठीक से पालन हो जाय, इसको देखें, यदि हमने अपने इतने दायित्व का निर्वहन किया तो निश्चित तौर पर देश और समाज के प्रति हम अपनी सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा–

मान्यवर, महिला सशक्तीकरण के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है। माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया है, मैं उसी पर अपनी बात रखना चाहता हूं। महिला सशक्तीकरण इस शताब्दी का सबसे बड़ा वैचारिक मुद्दा है। लेकिन इतने प्रचार-प्रसार के बाद भी क्या महिलाओं को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों पर समानता से भागीदारी करने का अधिकार प्राप्त है ? यह चिन्ता का विषय है। इसका सीधा परिणाम है कि परिवार में महिलाओं की बात हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की बात हो या परिवार के बजट में उसकी बात हो, हर जगह महिलाओं के हित की अनदेखी होती है। वह अपने अधिकारों से वंचित है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। हमारे भारत की तमाम महिलायें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुकी हैं। फिर भी हमारे देश के अन्दर महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी का प्रतिशत बहुत कम है। क्या महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन के लिये कागजी कानून बनाकर हम महिला सशक्तीकरण के विषय में सोच सकते हैं, मैं तो नहीं समझता क्योंकि वैसे भी अनेकों मौकों पर इस विषय में बहस हो चुकी है। विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट पड़ी धूल चाट रही है और उसका आज तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। यह जरूर कहा गया कि बेटियों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिये, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल हिन्दू बेटियों को क्यों मिलना चाहिये, मुस्लिम बेटियों ने क्या गुनाह किया है, पारसी बेटियों और ईसाई बेटियों को भी तो मिलना चाहिये। अगर हम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को उठाकर देखें तो इसमें महिलाओं के प्रति कल्याणकारी रुख रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तीकरण की बात भी कही गयी थी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे लाभ उन तक पहुंचाने की अवधारणा थी। उसके बाद 10वीं योजना में महिला सशक्तीकरण की नीति स्पष्ट रूप से घोषित की गयी। बापू ने 1925 में कहा था कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का हिस्सा होना चाहिये। इन्हें पंचायतों में, नगरपालिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की बात उन्होंने 1925 में ही कह दी थी। आज जो परिस्थितियाँ हैं, उनमें राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। महिलायें कानून द्वारा विधान सभा और संसद में पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, यह बहुत लम्बी बहस का मुद्दा है।

महिला विधेयक का सदन के अन्दर और संसद में क्या हश्र हुआ, वह हम देख चुके हैं, अब इस पर गंभीर होकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। कानून चाहे जो भी हो, महिलाओं को बराबरी का हक देने में हमें गंभीर होना होगा। इस विषय पर यह सरकार कितना गंभीर है, यह दिख रहा है कि इस वर्तमान सरकार में महिलाओं का हित रखने के लिये कोई भी महिला मंत्री नहीं है, महिलाओं का रुख रखने के लिये इस मंत्रिमंडल में कोई महिला सदस्य नहीं है। जनवरी, 2005 में राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए कहा गया

था कि अलग से कोई नीति नहीं है, इसके लिए चिन्ता व्यक्त की गई है, क्योंकि बिना महिलाओं के विकास के प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की अधिकांश संख्या अभी भी निरक्षर, गरीब और शक्तिहीन है, जिसके कारण इनके उत्थान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, यह बातें रिपोर्ट में कही गई थी। अगर महिलाओं पर हुए इस क्राइम पर नजर डालें तो वर्ष 2004 के आंकड़े बताते हैं कि दहेज के 627 प्रकरण, बलात्कार के 471 प्रकरण तथा अन्य कई प्रकरणों में कुल मिलाकर 5203 महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार हुए। इनमें से बहुत सी रिपोर्ट ऐसी भी होंगी, जो थाने तक पहुँची भी नहीं और दर्ज भी नहीं हुई होंगी। यदि रिपोर्टों के लिखने पर नजर डालें तो पूरे प्रदेश में मात्र 11 महिला थाने हैं और अधिकांश थानों में महिला डेस्क की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इन थानों में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, थाने में वह उन्हें दर्ज करा सकें, इसके लिए थाने में महिला डेस्क की अलग से व्यवस्था की जाए। यदि राज्य महिला पुलिस पर नजर डालें तो राज्य महिला पुलिस में केवल पाँच प्रतिशत महिला कर्मी हैं। अभी बीस हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की जो बात कही गयी थी, उसमें भी महिलाओं का प्रतिशत निश्चित है, जबकि मानकों के अनुरूप महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 20 प्रतिशत होनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ अभी यह कहा गया कि निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि जो 125 रुपए थी उसे बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई है।

मान्यवर, आज के महंगाई के युग में 150 रुपए में किसी भी निराश्रित महिला का एक महीने का खर्च नहीं चल सकता है, इससे उनका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी है कि जब कोई महिला मरेगी तभी यह दूसरे को पेंशन स्वीकृत की जाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि विधवा पेंशन की संख्या को बढ़ाया जाए और उनकी धनराशि को भी बढ़ाया जाए। महिला सशक्तीकरण के लिए गम्भीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। एक सर्वे में कहा गया है कि केवल गांव की सत्ता सौंप देने भर से महिला पंचायत प्रतिनिधियों का काम नहीं चलेगा। महिलाओं को जब सत्ता मिल जाती है, उन्हें अधिकार मिल जाते हैं, तो उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप होने लगते हैं। आज इस हस्तक्षेप को रोकने की नितान्त आवश्यकता है। ग्राम पंचायत सचिवों में शत-प्रतिशत पुरुष वर्ग ही हैं, जिससे महिलाएं अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन नहीं कर पाती हैं। आज ग्राम पंचायत सचिवों में भी एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। महिला प्रतिनिधियों से दबाव बनाकर रजिस्टर पर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं। जो महिलाएं प्रधान होती हैं, उनके परिवार के ही अनावश्यक हस्तक्षेप होने लगते हैं, जैसे एक परम्परा है कि यदि महिला प्रधान है तो उसके पति को प्रधानपति कहते हैं, जो प्रधानपति प्रथा है, इसे कैसे रोका जाए इस पर भी विचार करना होगा। आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी ने नीतिगत बात पर उदासीनता से कहा था कि महिलाओं को शिक्षित करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। मेरा आग्रह है कि सभी महिलाओं को, सभी बालकों को, चाहे वह हिन्दू हों या मुस्लिम हों, ईसाई हों या पारसी हों, सभी को शिक्षित करने के लिए सरकार की एक समान नीति होनी चाहिए और इसके लिए प्रभावी कार्यक्रम होना चाहिए। केवल कह देने से कि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने की कोई नीति नहीं है, काम चलने वाला नहीं है। आज महिला स्वास्थ्य के लिए भी कार्यक्रम बनाने होंगे महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए भी एक कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि कुपोषण से अनेकों

बीमारियां और प्रसव को दौरान मृत्यु होती है। अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि महिलायें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों, यह सुनिश्चित करना होगा। माननीय श्रम मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है कि विभिन्न उद्यमियों द्वारा महिला श्रमिकों को भुगतान में भेद-भाव किया जाता है। महिला को कम और पुरुष को अधिक धनराशि का भुगतान किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि महिला श्रमिकों को उनकी मेहनत के अनुरूप पुरुषों के बराबर भुगतान हो। जो हम मानव दिवस सृजित करते हैं उसमें महिलाओं का अलग से ध्यान रखना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि यह सब आंकड़ों में न हो। आंकड़ों की बाजीगरी और आंकड़े प्रस्तुत कर देने से हम कहीं नहीं पहुंचने जा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि माननीय सदस्य बैठ करके चिन्ता करें और सरकार गम्भीरता से सोचें और एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय जो कि व्यवहारिक हो और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसी के साथ आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री मुंशी लाल गौतम--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 'महिला सशक्तीकरण हेतु समयबद्ध प्रभावी कार्यक्रम बनाया जाय' पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज के समय में दहेज का बोलबाला है और पूरे प्रदेश में दहेज हत्यायें चल रही हैं। इसमें कहीं पुरुष दोषी है तो कहीं महिलायें दोषी हैं। मैं दहेज हत्याओं के कुछ आँकड़े दे रहा हूं, वर्ष 2002 में 1676, 2003 में 1176 तथा वर्ष 2004 में 1507 दहेज हत्यायें हुई हैं। बलात्कार की घटनाओं में वर्ष 2002 में 1227, 2003 में 750 और वर्ष 2004 में 1161 घटनायें हुई हैं। इस प्रकार से अगर आप देखें तो औसतन 3 बलात्कार की घटनायें प्रतिदिन होती हैं। इसी तरह से अगर अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ घटित घटनाओं को देखें तो वर्ष 2002 में 309, 2003 में 209 और वर्ष 2004 में 251 घटनायें बलात्कार की घटित हुई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 973 घटनायें अनुसूचित जाति के साथ ऐसी घटित हुई हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई हैं। आज भी छिपी हुई हजारों घटनायें शेष रह गयी हैं जिनकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हुई है। आज दहेज की घटनायें चरम सीमा पर घट रही हैं। जब कोई विवेचना अधिकारी इसकी विवेचना के लिए जाता है तो दूसरे पक्ष से लड़की की ददिया सास जिसकी उम्र 80 वर्ष, सास की उम्र 60 वर्ष है तथा जेठानी जो अलग या कहीं ड्यूटी पर है तथा ननद भी कहीं दूर है लेकिन बेटी वाला उन सबके नाम रिपोर्ट में लिखवा देता है और विवेचना अधिकारी भी विवेचना करते वक्त कहता है कि उसे मानवाधिकार आयोग तथा महिला आयोग का डर है इसलिए विवेचना में उनके नाम नहीं निकाल सकता हूं। इसलिए हजारों निर्दोष महिलायें बेवजह आज जेल में यातनायें झेल रही हैं। अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आगे भी वह यातनायें झेलने को विवश होंगी और दहेज अधिनियम का दुरुपयोग होगा। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो कामकाजी महिलायें हैं उनमें और पुरुषों में भेद-भाव किया जाता है, एच0 आर0 ए0 व एल0 टी0 सी0 में पुरुषों को वरीयता दी जाती है तथा महिला वहाँ भी वंचित रह जाती है। मैं 26 जनवरी, 2005 को अपने विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कालेज, शिकारपुर में बतौर मुख्य अतिथि गया था तो वहाँ बहिनें नारा लगा रही थीं कि "देश की रक्षा हम करेंगे, कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे" मैंने अपने भाषण में पूछा कि बहिनों, आप अपनी

रक्षा कैसे करोगी, आपकी रक्षा कौन करेगा, अध्यापिकाओं और प्रधानाचार्या की रक्षा कौन करेगा ? तो वह निरुत्तर हो गयीं। मैंने देखा है कि बहू अपने बड़े सम्बन्धी के साथ घूंघट करके जाती है। गांव में देखने को मिला है और होता यही है कि वह काफी पीछे रह जाती है कि वह घूंघट करके जा रही होती है, वह पीछे-पीछे चलती रहती है तथा रास्ता भटक जाती है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)–

और वह किसी दूसरे के साथ चली जाती है।

श्री मुंशीलाल गौतम–

मान्यवर, घूंघट प्रथा का विरोध कौन लोग करते हैं मान्यवर, घूंघट प्रथा को महिलाएं ही बढ़ावा देती हैं वह की सास, उसकी जेठानी, उसकी चचिया सास, उसकी ननद या महिला पदों पर बुकों करती है तो अपने ही सम्बन्धी से करती है और किसी से नहीं करती। पर्दा की व्यवस्था खत्म करना चाहिए और बहू को या बिटिया को ससुर को पिता जी कहकर क्या खाना है क्या आज बनाना है आप अपनी च्वाइस की सब्जी बता दें इस तरह का आदर सम्मान अपने बड़ों का करना चाहिए। घूंघट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मान्यवर, एक पढ़ी लिखी सभ्य सुशील घर की लड़की जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर की बात है अपने ससुराल में बहू बनकर जाती है तो उसका चाल-ढाल अजब तरह के होता है जब उसी आंगन में होती है जब तक उसके फेरे नहीं पड़ते हैं तो वह धमकते चलती है। खिलखिलाकर हंसती है जोर से बोलती है। जब उसके फेरे पड़ते हैं तो वह धीरे-धीरे चलती है, धीरे-धीरे बोलती है, 4-6 सहेलियों के साथ चलती है। हर बिटिया को यह समझना चाहिए कि मुझे किसी न किसी घर की बहू बनना है तो सास भी बनना है। ऐसा तो नहीं कि पुत्र मुख्य मंत्री की तरह सभी हो जायं जो किसी की मां-बहू न बनें। जब एक लड़की बहू के रूप में जाती है तो उसकी सास भी थी, दादिया सास भी थी।

कुछ समय पश्चात् उसकी दादिया सास खत्म हो जाती है तो उसके सांतरे का सामान उठाकर उसकी सास लेकर चलती है तो बेटी कहती है कि माता जी ठहरो। अभी बूढ़ी माँ का कुछ और भी बाकी है। दो-ढाई फीट का खटोला, फटी पुरानी धोतियों का बिछैया, सिलवर की थाली, सिलवर का लोटा, सिलवर का कटोरा और नारियल की हुक्की आदि को लेकर आती है और कहती है कि यह भी बूढ़ी माँ का है इसे भी साथ रख दो। सास कहती है कि मेरी सास की सास इसी खटोले पर सोती आई है। इन्हीं बरतनों में खाती आई है। इन्हीं कपड़ों को ओढ़ती आई है। इसी हुक्का को पीती आई है। क्या तू मुझे जमीन पर सुलाएगी कपड़े ओढ़ने को नहीं देगी किन बरतनों में खिलाएगी, क्या हुक्का नहीं पीने देगी, तो वह पढ़ी-लिखी बिटिया कहती है कि नहीं माताजी मेरे पापा ने जो बड़ गद्दा रजाई दी है तथा जो बरतन दिए हैं वह मैं आपको दूंगी और अबकी बार पीतल की हुक्कियां अपने पापा से मंगवा लूंगी। क्योंकि आगे चलकर मुझे भी सास बनना है मेरे भी कायदा कीमत एस हों। माननीय अधिष्ठाता महोदय इन शब्दों के साथ में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी ने जो महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है। उसका समर्थन करता हूं और इस पर बल देता हूं।

डा0 पी0 के 0 राय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। यह विषय ऐसा है जो राजनीति से ऊपर उठकर है।

अधिष्ठाता महोदय आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की हालत हमारे मुल्क में विशेषकर उत्तर प्रदेश में क्या है। दुनियां की 16 प्रतिशत आबादी हमारे मुल्क की है। जितनी मातृत्व मृत्यु दुनियां में होती है उसकी 20 प्रतिशत मातृत्व मृत्यु केवल हमारे हिन्दुस्तान में है यह आंकड़े बताते हैं कि हमारे मुल्क में महिलाओं की क्या स्थिति है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में जहां पर हिन्दुस्तान की जनसंख्या का प्रतिशत 17 है हिन्दुस्तान का आंकड़ा मातृत्व मृत्यु दर का 404 है उसके विपरीत उत्तर प्रदेश का 707 प्रति लाख है। गर्भधारण का प्रतिशत हमारे यहां अन्य राज्यों से ज्यादा है। जब तक महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत नहीं बनाया जायगा तब तक महिला सशक्तीकरण की बात करना बेमानी साबित होगा। जहां पर, जिन प्रदेशों में साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है वहां पर महिलाओं को इस बात का अधिकार है कि अनावश्यक रूप से उनको कई बच्चे पैदा करने पर मजबूर नहीं किया जाता है। चूंकि वहां महिलायें साक्षर हैं इसलिये महिलायें आर्थिक रूप से मजबूत हैं और वह कोई फैसला लेने के लिये दूसरे पर निर्भर नहीं है। जब तक महिलाओं को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है तब तक महिला सशक्तीकरण की बात नहीं सोची जा सकती। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, ग्राम पंचायत में आरक्षण, क्षेत्र पंचायतों में आरक्षण, जिला पंचायतों में आरक्षण मिला है लेकिन आज हालत यह है कि प्रधान महिला का पति, प्रधान कहलाता है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष महिला का पति प्रमुख कहलाता है और इसी तरह से जिलाध्यक्ष महिला का पति ही जिलाध्यक्ष कहलाता है। निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं न कहीं यह कारण है कि उनकी साक्षरता कम है इसलिये अधिकार पाकर भी वह अधिकारों को न समझ पाने की वजह से पुरुष प्रधान समाज में जो उनको अधिकार मिलना चाहिये वह नहीं प्राप्त कर पाती हैं। केवल कानून बना देने से महिलाओं को अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। माननीय लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी ने चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने सुना दिया लेकिन सुनने के वक्त वह हमको छोड़कर चले गये। (श्री बाजपेयी के आने पर)

डा0 लक्ष्मी कांत बाजपेयी--

मान्यवर, मैं सदन को छोड़कर नहीं गया था, मैं कार्य मंत्रणा समिति में गया था।

डा0 पी0 के0 राय--

वैसे आप कभी-कभी हम जैसे नये सदस्यों की बात भी सुन लिया कीजिये। मैं यह कह रहा था कि महिलाओं को अनेक जगहों पर हिस्सेदारी दी गयी है और यह सरकार जो माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है उस सरकार ने जेंडर बजेटिंग का प्राविधान महिला सशक्तिकरण के लिए किया है। इससे इस सरकार की महिलाओं के प्रति सोच परिलक्षित होती है, प्रदर्शित होती है कि महिलाओं के बारे में यह सरकार संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के स्थिरीकरण की बात हो रही है और महिला सशक्तीकरण की बात हो रही है। मैटरनल चाइल्ड हेल्प का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरफ ध्यान न देने से देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। बिहार जिसका उदाहरण पिछड़े प्रदेशों में दिया जाता है वह भी हमसे आगे है। हमारे यहां मातृत्व मृत्यु दर 707 है और बिहार की 451 प्रति लाख है। बिहार के मुकाबले हमारे यहां की मैटरनल मारटेलिटी की रेट ज्यादा है इसलिये मैं सदन में बैठे हुये दोनों सदन के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। कवल यह न सोचें

कि पुलिस की भर्ती में किसको कितने प्रतिशत स्थान दिये गये और किसी महिला को मंत्री बनाया गया है या नहीं। इन बातों से ऊपर उठकर हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत खराब हो रही है इसके लिये चाहे हम बायीं तरफ बैठे हुये लोग हों या दायीं तरफ बैठे हुये लोग हों सभी लोग जिम्मेदार हैं। इसके ऊपर चिन्तन और मन्थन करने और इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है जिससे उत्तर प्रदेश जो देश का हृदय प्रदेश है, इस क्षेत्र में भी आगे आ सके और इस देश के अन्य प्रदेशों जैसे आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं उनकी तुलना में बराबरी में खड़ा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ साथी डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने महिला सशक्तीकरण हेतु समयबद्ध प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने के लिये एक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। हमें खुशी है कि इस सदन में इतने गम्भीर विषय पर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा संकल्प पेश किया गया है जिसमें डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, मुंशी लाल गौतम और डॉ0 पी0 के0 राय साहब ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से अनन्तकाल से हमारे देश में महिलाओं की पूजा होती रही है और उन्हें सम्मानजनक दर्जा हमारे इतिहास, संस्कृति और सभ्यता में दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदि काल से लेकर आज तक हमारा इतिहास इस बात के लिये गौरवान्वित है कि जितना सम्मान नारी को भारत में दिया गया है उतना किसी अन्य देश में नहीं दिया गया।

मान्यवर, स्त्री के बारे में, महिला एक ईश्वरीय संरचना है। उसको कम्प्लीट क्रिएशन आफ गॉड भी माना गया है। यह माना गया है कि वह अपने आप में सम्पूर्ण होती है। मान्यवर, जो संरचना करने वाला होता है वह अपने आप में श्रेष्ठ होता है। महिलाओं की तुलना मातृभूमि से की जाती है। भूमि को मातृभूमि कहा जाता है। यह एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मान्यवर, जो लोग संरचना करते हैं, क्रिएशन करते हैं उन्हें ही इतिहास में याद किया जाता है। हमारे देश में प्रदेश में निश्चित रूप से महिलाओं के साथ इस बात की चिन्ता की जा रही है इसके लिये मैं माननीय सदन और माननीय सदन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं और वे वास्तव में इसके लिये बधाई के पात्र हैं। यह बात सही है कि आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो 1991 में 13.91 करोड़ थी, वह 16.61 करोड़ हो गई है। जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होना और फिर जहां 1991 में महिलाओं की संख्या प्रति हजार में 876 थी वह 2002 में 898 हो गई है। 22 अंकों की बढ़ोत्तरी हुई है। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जहां वृद्धि हुई है वहां प्रतापगढ़ में गिरावट आई है, अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसमें दो राय नहीं है कि 1991 में जहां समाज ने प्रगति की है साक्षरता का विकास हुआ है। 1991 में 24.37 प्रतिशत और 2001 में 42.98 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह निश्चित रूप से मानना होगा कि आज साक्षरता में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उस कसौटी पर खरी नहीं हुई। इसके लिये कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी है और जो लोग हमसे पहले भी इसके लिये उन पर दोषारोपण किया जा सकता है। हम लोग इसके लिये चिन्तनशील हैं और इसके लिये प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार महिलाओं को साक्षर बनाने के लिये विशेष प्रयास कर रही है और विभिन्न स्तर पर बार-बार प्रयास किये गये हैं। जहां तक साक्षरता की बात है, मैं यह कहना चाहता हूं कि .....

(डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी के बैठे-बैठे यह कहने--महिलाओं को छोड़कर उधर भाग गये थे)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

उसके बारे में भी बताऊँगा अगर आप लोग सुनना चाहते हैं। आप लोग कितना आदर करते हैं। साक्षरता में जहां राष्ट्र स्तर पर 15.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है निश्चित रूप से इस प्रदेश में यह वृद्धि 18.61 फीसदी हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोग यह भी मानते हैं कि सम्पूर्ण समग्र विकास के लिए आधारभूत सामाजिक परिवेश के प्रति किसकी जिम्मेदारी है। यह जनकल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय मुख्य मंत्री जी मुलायम सिंह यादव के दिशा निर्देश में इसके लिए विशेष प्रयास किया गया है। और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए तमाम महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की गई हैं। अभी तक के शासन काल में जो निराश्रित महिलाओं को 125 रुपये पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 150 रुपये करने का काम किया है। 5.16 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिलती थी लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में 5.16 लाख से बढ़ाकर 6.16 लाख इसको कर दिया गया है। एक लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इसमें आप इंगित नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। निराश्रित महिलाओं के लिए ऐसी स्थिति न रहे कि वह दो जून की रोटी से वंचित रहे इसके लिए हमारी सरकार ने यह किया है। मान्यवर, पति के मरने के बाद उड़ीसा, बंगाल आदि जगहों पर, भक्ति भावना के लिए निराश्रित महिलायें वृन्दावन आदि जगहों पर चली जाती थीं। हमारी सरकार ने इस तरह की निराश्रित महिलाओं के लिए तीन महिला आश्रम बनवाने का निर्णय लिया है। जो महिला आश्रम पहले दो थे उसको बढ़ाकर पांच कर दिया गया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, इसी तरह से पति के मृत्योपरान्त पुनर्विवाह जो करते हैं उस दम्पत्ति को 11 हजार रुपये की सहायता देने का काम किया है। हमारी सरकार द्वारा यह प्राविधान किया गया है। इसी तरह से दहेज उत्पीड़न सम्बन्धी कानून बना है। इसमें विधिक प्रभावी कार्यवाही करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2500 रुपये की धनराशि एक मुश्त देने का प्राविधान किया है। इसके अलावा वाद जब तक न्यायालय में विचाराधीन रहेगा 125 रुपये प्रतिमाह उस दहेज उत्पीड़ित महिला को दिए जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

एक घंटे का समय चर्चा के लिए था मंत्री जी को जवाब देना है। चार बजे समय समाप्त हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मैं दस मिनट लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

चार बजने में सात मिनट बाकी है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

निराश्रित महिलाओं की पुत्री के विवाह के लिए 10 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 2004-2005 में नियमावली में संशोधन करके

अगर दहेज उत्पीड़न का मामला है। इसी संदर्भ में प्रकाश में आता है तो उस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही की जायेगी। 25 दिसम्बर को दहेज विरोधी दिवस मनाया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री राजेंद्र सिंह राणा–

हमारी सरकार न 55 संवासनियों को

श्री अधिष्ठाता–

खत्म करें।

श्री राजेंद्र सिंह राणा–

मैं संक्षिप्त कर देता हूं। मान्यवर, शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। किसी केन्द्र पर अगर मुख्य सेविका का पद रिक्त हो जाता है तो उस केन्द्र की सहायिका को उस केन्द्र पर नियुक्त किया जाएगा अगर वह हाई स्कूल पास होगी और पचास साल से उम्र कम होगी और दस वर्ष की सेवा होगी तो उसे मुख्य सेविका पर नियुक्त कर लिया जाएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

समितियों का गठन किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह की सरकार, हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे के बारे में अभी तक पूर्व की सरकारों ने कोई निर्णय नहीं लिया। इस सरकार ने, कल्याणकारी सरकार ने निर्णय लिए हैं। महिलाओं को पट्टे देने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। अभी तक पति के नाम पर रजिस्ट्रेशन होते थे। स्कूलों में भी पिता का नाम होता था आज माताओं के नाम भी अंकित किए जाने लगे हैं इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए पुन: मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण संकल्प की चर्चा में हमारे अनेक विद्वान साथियों ने बहुत विद्वतापूर्ण विचार रखे और महिला सशक्तीकरण हेतु जो संकल्प माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी लेकर आए हैं, उस संकल्प के लिए इसका जो औचित्य है, इस बारे में मैं अपने विचार बाद में रखूंगा लेकिन महिला सशक्तीकरण की अगर सचमुच किसी काल खण्ड में आवश्यकता थी तो आज उसकी सबसे ज्यादा आवश्ययकता है, क्योंकि हम आजादी के 58 साल के बाद ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहां हम आत्मावलोकन की स्थिति में हैं कि विभिन्न मोर्चों पर अगर हम कामयाब नहीं हो सकें हैं, चाहे परिवार कल्याण के मामले में हो, चाहे साक्षरता के मामले में हो या आर्थिक विकास के मामले में हो, क्या इसका एक बड़ा कारण यह नहीं है कि महिलाओं को, उनकी इस शक्ति को जो मातृ शक्ति है, ठीक चैनल पर, ठीक दिशा में ले जाकर उचित स्थान पर हम नही रख सके जिसके कारण हम उस उद्देश्य से वंचित हैं। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और अन्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथियों ने भी कहा, यदि सिर्फ महिलाओं की साक्षरता पर ध्यान दिया गया होता, कन्याओं की शिक्षा पर गम्भीरता से ध्यान दिया होता और उनकी बेहतरी की बात सोची होती तो बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो इन्हीं संसाधनों में से स्वयं सुदृढ़ हो सकती थी। मैं आज आंकड़े नहीं देना चाहता लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय शोध हुए हैं कि सिर्फ साक्षरता का प्रतिशत, शिक्षा तो बड़ी बात हो गयी, साक्षरता से मतलब यानि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी तो परिवार कल्याण के अन्य कार्यक्रमों की उपलब्धि में 45 फीसदी की वृद्धि हो अपने आप गयी। अगर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर इन सारी चीजों पर विचार करें तो उसमें अपने आप अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हो गयी, सिर्फ महिलाओं को शिक्षित कर देने से।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, 2 मिनट का समय बचा है आप चाहें तो समय बढ़वा लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 10 मिनट का समय बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, 10 मिनट का समय और बढ़ाते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह संकल्प इसलिए नहीं है कि यह सरकार पर कोई आक्षेप है और मैं किसी दूसरी सरकार का जिक्र करूं लेकिन इसको हम राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं बना सकें और इसीलिए यह स्थितियां पैदा हुईं। अभी माननीय राणा साहब कुछ आँकड़े पढ़ रहे थे, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता। यह अवश्य है कि हमने कुछ उपलब्धियाँ हासिल की हैं और हमने गम्भीरता से इस दिशा में सोचने का काम किया है लेकिन यह सारे प्रयास बहुत छोटे प्रयास हैं। मेरा कहना है कि महिला सशक्तीकरण के लिए गम्भीरता से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और इसको प्राथमिकता पर लेकर चलना होगा। यह सही है कि जेण्डर बजटिंग की बात अनेक प्रान्तों में चलती रही है लेकिन मुझे खुशी है कि अपने बजट में हमने जेण्डर बजटिंग को स्थान देने का काम किया है। इस देश में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले बजट में ऐसी व्यवस्था करने का काम किया है। भारत सरकार ने भी हमारे बाद इस परम्परा को एडाप्ट किया है। इसके अन्तर्गत 33 फीसदी प्रत्येक विभाग के बजट में महिलाओं के लिए प्राविधान करना ही पड़ेगा, इस तरह की हमने व्यवस्था की है।

मान्यवर, हमें दुख इस बात का है कि अभी तक हमारे पास महिला सशक्तीकरण के लिए कोई नीति प्रदेश में नहीं है। हमारी सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और शीघ्र ही इसको प्रख्यापित करेंगे यह सूचना मैं इस सदन को देना चाहता हूं। जल्दी से जल्दी, कदाचित अगली बार जब हम बैठेंगे तो महिला नीति के बारे म हमारे पास कम्प्लीट प्लान हो ऐसा हमारा प्रयास है। श्रीमन्, कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत इस सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली कन्याओं चाहे वह किसी भी जाति-धर्म की हों जो उपेक्षित समझी जाती थीं।

मान्यवर, कुछ एक लोगों को छोड़ दें तो मान्यवर, हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर कन्या के जन्म पर मातम मनाए जाते हैं, वहीं बेटे के जन्म पर थाली पीटी जाती है। कई जगह माता को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है, आग में जलकर आत्महत्या कर लेती हैं। इन

नालायक बेटों को जलाने की व्यवस्था नहीं है। चूंकि नारी कमजोर है इसलिए सशक्तीकरण की आवश्यकता है। वह इतनी सशक्त हो कि ठीक रहते हुए भी उसे जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इस बात को अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं कन्या विद्या धन का जिक्र कर रहा था। मान्यवर, कन्या विद्या धन योजनान्तर्गत 200 करोड़ रूपये का बजट में प्राविधान किया गया। जो वित्त विभाग के अधिकारी थे उन्हें लगा कि इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने अपने संकल्प को आगे रखते हुए वित्तीय वर्ष 2005-06 में इसमें वृद्धि करके 300 करोड़ रुपये कर दिया और जो बेटियां छूट गयी हैं उन सबको हम इसका लाभ देंगे। और बिना जाति, धर्म के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए यह कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कन्या और पुत्र इन दोनों को जनसंख्या का जो घटता हुआ अनुपात है वह हमें कहां ले जाएगा। एक ओर स्थिति यह है कि लड़की के पैदा होने पर मातम मनाये जाते हैं दूसरी ओर स्थिति यह है कि उसकी संख्या घटती जा रही है। समाज का संचालन कैसे चलेगा। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी मेरठ में आंकड़ों की स्थिति में सुधार होता तो प्रदेश की स्थिति शायद इतनी बदतर नहीं होती। मान्यवर, आजमगढ़ में अनुपात 1007 के स्थान पर 1026, वहीं मेरठ में आज भी 1000 के स्थान पर 871 है। क्या सामाजिक संरचना को इस तरह से चलाएंगे, तो क्या अटल जी की तरह लोगों को रखेंगे या पांचाली बनाएंगे। यह बात तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं, आप अन्यथा न लें। मान्यवर आज उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर यह अनुपात प्रतिकूल दिशा में है। और मान्यवर, यही नहीं जो देश कभी तरक्की में आगे थे इस वजह से उसकी भी तरक्की पूरी तरह से रुक गयी है। जो वह 10 साल पहले थी वह आज वहां नहीं है।

माननीय राणा जी कह रहे थे दो तीन बिन्दुओं पर,एक तो उनकी शिक्षा पर, दूसरा उनकी आर्थिक स्थिति पर और तीसरा उनकी सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अगर तीन बिन्दुओं पर आपने ध्यान नहीं दिया है तो यह चौथा बिन्दु महिला सशक्तीकरण, उपाय नहीं होगा। मान्यवर, इन तीनों बिन्दुओं पर हमारी सरकार ने काम किया है। मैं सरकार की ओर से बात रख रहा हूं। जहां तक निराश्रित महिलाओं की बात है वृन्दावन में तीन आश्रम उनके चला करते थे, हमने दो और नये आश्रम इसी वर्ष स्थापित करने का निर्णय लिया है और स्थापित करने जा रहे हैं। जो निराश्रित स्त्रियां हैं, जो विधवा हो जाती थीं, मान्यवर विधवा कहते ही ऐसा आभास होता था कि उनके सामाजिक सम्मान में आंच आती थी, तो हमने इस शब्द को हटाकर निराश्रित महिला कर दिया,उनकी पेंशन जो पहले 125.00 रुपये थी वह बढ़ाकर 150.00 रुपया करने का काम किया है। जो अभी तक लक्ष्य था उसमें हमने एक लाख की वृद्धि की है। और जो 150.00 रुपया किया है उसके लिए इसी वित्तीय वर्ष में प्राविधान कर दिया है। श्रीमन् जहां 81 करोड़ रुपये की राशि दी जाती थी वहीं उसे हमने 118.90 करोड़ अर्थात लगभग 119 करोड़ का प्राविधान किया है। शिक्षा की बात मैंने बता दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा शुल्क माफ कर दिया है, स्नातक स्तर पर भी शिक्षण शुल्क माफ कर दिया गया है।

मान्यवर, हमने बिन्दु पर विचार करने का काम नहीं किया है बल्कि पूरी तरह से लागू करने का काम किया है। महिला कल्याण विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं। पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने का काम किया है। अगर 35 साल की कम उम्र की निराश्रित महिलाएं, जिनके पति की मृत्यु हो गयी है, और वह पुनर्विवाह करती है तो उसे 11,000.00 रुपया सहायता दी जाती है।

उन्हें विभिन्न योजनाओं में रोजगार देने का काम भी किया जा रहा है। दहेज उत्पीड़न पर भी हमने काम किया है और इसको गम्भीरता से ले रहे हैं। आंगन बाड़ी में जो महिलाएं काम करती थी उन्हें जो राशि मिलती थी तो कार्यकत्री को प्रतिमाह सौ रुपया और सहायक को पचास, तो सहायक को सौ रुपया और कार्यकत्री को दो सौ रुपये देने का काम हमारी सरकार ने किया है और इस हेतु प्राविधान भी कर दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, दो मिनट रह गये हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। आप समय पाँच मिनट और बढ़ा दें। तो मानयवर, मैं यह बताना चाह रहा था कि एक प्रख्यात फिल्मकार विमल राय ने अपने बेटे और बेटी को समान शिक्षा दी। लेकिन बेटी ने कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। भाई रात के बारह बजे लौटता है और मैं रात में नौ बजे आती हूं तो आप मुझे टोकते हैं तो उन्होंने कहा कि यह बात ठीक है। मान्यवर, 10 मिनट का समय और बढ़ा दें।

कार्य सूची की मद संख्या 18 पर चर्चा का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि मद संख्या 18 पर चर्चा का समय 4:10 से बढ़ाकर 4:20 तक कर दिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महिला सशक्तीकरण हेतु समयबद्ध प्रभावी कार्यक्रम बनाये जायं" विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

तो उन्होंने कहा कि यह बराबरी नहीं है, एक तरह की शिक्षा है, एक तरह का खान-पान है, बहुत सी चीजें एक तरह की हैं लेकिन कुछ चीजों में प्रकृति ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच भिन्नता बनाई है। जब उनकी बेटी ने उनसे कहा कि जब मैं रात को नौ बजे घर आती हूं तो मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन भाई से कुछ नहीं कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि एक हादसा जो तुम्हारे साथ हो सकता है वह तुम्हारे भाई के साथ नहीं हो सकता है। तो श्रीमन् कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि प्रकृति ने उसे ऐसी स्थिति में रखा है, कि उसके कार्य स्थल पर या आते-जाते कहीं पर किसी वक्त उसके साथ वह हादसा घट सकता है। मान्यवर, हमने उस परिस्थिति के लिए भी प्रबन्ध किया है कि उसके कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न न हो, इसके लिए हमने कार्य समितियों का गठन किया है। पहली बार जो महिला आयोग बना है तो उसकी अध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है तथा सदस्यों को उपमंत्री का दर्जा दिया गया है।

मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री हूं और राजस्व विभाग में पहली बार जब हम कुछ संशोधन पिछले वर्ष में लेकर के आये तो अनौपचारिक रूप से विरोध के बावजूद भी, आप लोगों का सहयोग मिला था, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। विरासत के मामले में हमने बेटी को एकदम तो बराबरी का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन ठीक दूसरी श्रेणी में हमने उसे रखने का काम किया है। सातवीं श्रेणी से उठाकर दूसरी श्रेणी में रखने का काम किया है और माँ-बाप को एक श्रेणी में रखने का काम किया है। विद्यालय में बालक के नाम के साथ उसके पिता का नाम दर्ज होता था अभी तक, अब हमने उसके पिता के साथ-साथ उसकी माता का भी नाम दर्ज करने की व्यवस्था की है। इसी तरह से बी0 टी0 सी0 में प्रशिक्षण के लिए जितनी सीटें होंगी उसमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का काम हमने किया है और यह सिर्फ कल्पना नहीं है। प्रदेश में 426 असेवित विकास खण्ड थे, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। उनके कल्याण के प्रति समय-बद्ध कार्यक्रमों के प्रति हम सचेत हैं। राज्य सरकार की महिला नीति को ठोस कार्यवाही में बदलने के लिए हम कई बातों को उसमें ला रहे हैं। इस नीति में जहां आवश्यकता होगी वहां संशोधन भी करना पड़ेगा तो करेंगे और इसमें ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जो महिलाओं के अनुकूल हों और प्रतिकूल परिस्थितियों को हटाने का काम करेंगे। इस तरह से मान्यवर, हमने अनेक कार्य किए हैं इस दिशा में और हमारी उपलब्धियां ऐसी हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि इन सारे बिन्दुओं पर हमने न सिर्फ गम्भीरता से विचार किया है, न सिर्फ योजनाएं बनाई हैं, बल्कि उन्हें लागू करने का भी काम किया है। तो मान्यवर, वह हमारी नीति है, मान्यवर, डा0 राम मनोहर लोहिया ने द्रौपदी को आदर्श नारी मानने की बात कही थी क्योंकि उसमें अपने अधिकारों के प्रति खड़े होने की शक्ति थी और अन्याय का प्रतिकार करने का साहस था। हम चाहते हैं कि महिलायें इतनी सशक्त हों कि अन्याय का प्रतिकार कर सकें और इस बारे में हमारी अच्छी सोच है। मान्यवर, जो कहीं-कहीं लैंगिक असमानता है उसको समाप्त कर हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का काम करना चाहते हैं। मान्यवर, आप तो इसमें समयबद्ध कार्यक्रम की बात लेकर आये हैं लेकिन हमारी सरकार तो प्रगतिशील है और उसने इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मैं सबसे पहले उन सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है मान्यवर, जो शासन ने महिला नीति बनाने की घोषणा इस सदन में की है वह स्वागत योग्य है लेकिन मैं चाहूंगा कि उस महिला नीति को लागू करने के संदर्भ में यदि प्रत्येक स्तर के जनप्रतिनिधियों की भूमिका का उसमें समावेश कर दें तो अच्छा होगा चाहे वह लोक सभा, राज्य सभा के सदस्य हों, चाहे विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य हों और चाहे स्थानीय निकायों के सदस्य हों, जिला पंचायत के सदस्य हों। मान्यवर, दूसरा सुझाव यह है कि मेरठ के संदर्भ में बात कही गई, मान्यवर, जो कथित रूप से आज विकसित क्षेत्र है चाहे वह मेरठ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मान्यवर, वहां अल्ट्रासाउण्ड के माध्यम से लैंगिक परीक्षण करके और यदि गर्भ में कन्या है तो उसका निस्तारण करने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है इस पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मान्यवर, जनसंख्या के स्थिरीकरण की दृष्टि से हम पूरे प्रदेश की योजना बना सकते हैं। लेकिन हमें उन क्षेत्रों विशेष का उसमें विशेष ध्यान रखना होगा जहां जनसंख्या स्थिरीकरण के मामले में हमें वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है वह चाहे कोई गांव हो, कोई

मोहल्ला हो, कोई वार्ड हो, वहां हमें आक्रामक रूप से काम करना होगा ताकि हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकें। मान्यवर, उसी प्रकार जिन क्षेत्रों में 1000 पुरुषों के मुकाबले 871 महिलाएं हैं जब कि राष्ट्रीय औसत 916 का है तो उन जगहों पर जहां पर यह औसत 871 का है और जहां अल्ट्रासाउण्ड के माध्यम से लैंगिक परीक्षण करने के लिए जो संस्थाएं सक्रिय हैं उन पर हमें अंकुश लगाना होगा। मान्यवर, इसमें अन्ततः जनप्रतिनिधियों की भूमिका आक्रामक एवं महत्वपूर्ण होनी चाहिये।

मान्यवर, महिला सशक्तीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में एक समिति का गठन किया जाए जिसमें उस क्षेत्र की महिला डिग्री कालेज और महिला इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या उसमें सम्मिलित रहें ताकि यह जानकारी होती रहे कि क्या-क्या आवश्यकताएं हैं इस क्षेत्र में सुधार के लिए और उसकी लगातार समीक्षा होती रहे तो अच्छा काम होगा। मान्यवर, एक तकलीफ जरूर मुझे है कि इस सदन में मौजूद हमारी महिला सदस्यों की इस बिन्दु पर सहभागिता नहीं आई है।

मान्यवर, जो महिला नीति को सदन में लाने की और प्रदेश में लागू करने की बात कही गई है मैं उसका स्वागत करता हूं और अग्रिम आभार व्यक्त करता हूं और यह कहता हूं कि महिला सशक्तीकरण के मामले में शासन अपनी प्रभावी भूमिका अदा करते समय जनप्रतिनिधियों की भूमिका को भी ध्यान में रखते हुए अपनी नीति तैयार करेगा।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, आपकी सारी बातों को शामिल कर लिया है, इसलिये संकल्प वापिस ले लें।

डा0 लक्ष्मी कात बाजपेयी--

मान्यवर, मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महिला सशक्तीकरण हेतु समयबद्ध प्रभावी कार्यक्रम बनाया जाय ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलन के इतिहास में "चौकीदार चपाती आन्दोलन" के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किये जाने विषयक श्री श्यामलाल रावत द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी का इसमें स्थगन का अनुरोध आया हुआ है। इसे स्थगित किया जाता है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता--

एक सूचना देनी है।

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 मार्च, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 16 मार्च से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं--

1--(क) दिनांक 17 मार्च, 2005 के उपवेशन नियम 56, 300 तथा 311 की सूचनाएं न ली जायें।

(ख) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचार एवं पारण हेतु लिया जाय (आधा घण्टा)

2--शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रखा जाय।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री श्याम लाल रावत–

मान्यवर, मद संख्या 19 पर मेरा प्रस्ताव है, माननीय मंत्री जी ने इसको स्थगित करने का अनुरोध किया है तो यह किस तारीख तक के लिए स्थगित किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है इसलिए इसकी तारीख बाद में तय होगी।

प्रदेश में लघु, सीमान्त किसानों को कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाले लघु ऋण, खाद एवं बीज की सुविधा समितियों के बन्द हो जाने के कारण न मिलने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

श्री जगदीश नारायण राय जी नहीं हैं इसलिए यह निरस्त की जाती है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 16 मार्च, 2005 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्रीमती अरूण कुमारी की उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स को ड्यूटी भत्ता बढ़ाये जाने एवं उनकी अधिवर्षता आयु साठ वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री छोटे लाल वर्मा की राजकीय इण्टर कालेजों में कक्षा-9, 10 एवं 6, 7, 8 की नीति के तहत असेवित कन्या इन्टर कालेजों में कक्षा 9, 10 एवं 6,7,8 की कक्षाओं में भी नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना नियम 56 में प्राप्त श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' की वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों के किसानों को उनके फसल की क्षतिपूर्ति एवं मृतक परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की जनपद झांसी में ओलावृष्टि से

प्रभावित किसान नन्द सिंह चौहान की मृत्यु क उपरान्त उनक परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवी सूचना श्री राम करन आर्य की जनपद बस्ती के पलही गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को स्वास्थ्य विभाग द्वारा हैण्डओवर किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठीं सूचना श्री कल्यान सिंह दोहरे की जनपद कन्नौज के जलालाबाद फीडर की विद्युत तार लाइन को एल्यूमिनियम का किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की उत्तर प्रदेश पैक्स सेवा कैडर के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान एवं द्वितीय श्रेणी में प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना डा0 यशवन्त सिंह की जनपद अम्बेदकर नगर के टाण्डा तापीय विद्युत परियोजना के अन्तर्गत अधिगृहीत किसानों की भूमि का मुआवजा दिये जाने एवं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी में रखे जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री मोहन देव शंखवार की जनपद फिरोजाबाद स्थित एन0 एच0-2 में बाईपास के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद मऊ में डूडा द्वारा कराये गये सड़क निर्माण कार्य में बिना एग्रीमेंट किये धन का भुगतान किये जाने में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, ग्यारहवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत के पूरनपुर स्थित पेट्रोल पंप पर हुयी चोरी एवं उसके सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयी :--

श्री दिलीप कुमार वर्मा, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री कौशल किशोर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्रीमती राजरानी रावत, श्री सुन्दर लाल, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री बीजू पटनायक, श्री पूर्णमासी, श्री बैजनाथ दुबे, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा, श्री नवाब सिंह नागर, श्री मुंशी लाल गौतम, डा0 सुशील चौधरी, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री शजिल इस्लाम, श्री मिथिलेश कुमार, श्रीमती सुखदेवी वर्मा, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री राम मगन रावत की है।

परिवहन विभाग में हाई टेक्नालॉजी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

बाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री

(श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, माननीय

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह विन्दु उठाया गया है कि परिवहन विभाग में वाहनों पर हाई टेक्नोलॉजी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगाये जाने का मामला विचाराधीन है, जिसकी स्वीकृति अभी शासन द्वारा नहीं दी गयी है, परन्तु परिवहन विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी दिल्ली की एक फर्म "सोनक टेक्नोलॉजीज इण्टर नेशनल लि0" से गुप-चुप तरीके से समझौता करके यह काम उन्हें देना चाहते हैं और उक्त फर्म ने अखबारों में इस आशय का विज्ञापन भी पहले से ही दे दिया है और उसके द्वारा स्टाकिस्ट पद के लिये आवेदन-पत्र आंमत्रित कर सम्बन्धित व्यक्तियों से लाखों रुपये की अवैध वसूली भी कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की नीति के अनुसार सम्पूर्ण देश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट योजना लागू की जानी है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही प्रदेश में योजना लागू किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। प्रकरण में बिना निर्णय हुये शंख टेक्नोलॉजी संस्था द्वारा समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था का स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि मामला अभी विचाराधीन है तथा मामले में अभी शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: ऐसी स्थिति में सम्बन्धित व्यक्तियों से लाखों रुपये की अवैध वसूली किये जाने एवं रुपये 200 करोड़ का घोटाला किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।]

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

श्रीमन् मैंने यह विषय उठाया है कि परिवहन विभाग में वाहनों पर हाई टेक्नालॉजी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगाने के मामले पर विचार हो रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारी 200 करोड़ का घपला करके मिल करके एक दिल्ली की फर्म है, सोनक टेक्नालॉजीज इंटरनेशनल लिमिटेड, उसको गुप-चुप तरीके से समझौता करके यह काम उन्हें देना चाहते हैं और उत्तर में शंख टेक्नालॉजी की बात आई है और कहा गया है कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहाता हूं कि आपका मंतव्य क्या है, क्या यह दो घपले हैं ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य को पूरी सूचना दे दी गयी है। यह भारत सरकार की नीति के अनुसार सम्पूर्ण देश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट योजना लागू की जानी है और भारत सरकार को दिशा-निर्देश के अनुसार ही प्रदेश में योजना लागू किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न सोनक टेक्नालॉजीज और शंख टेक्नालॉजी के सम्बन्ध में है, इसे स्पष्ट कर दें ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

आप डिटेल दे दीजियेगा, तो दिखवा लेंगे।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिजली चोरी पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

उपर्युक्त सूचना पर यह अवगत कराना है कि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक वेतन से ही कारपोरेशन.....

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

[नियमानुसार विद्युत् के मद में प्रतिमाह कटौती की जाती है। जो अधिकारी/कर्मचारी एयर कंडीशनर लगाये हैं वे रु0 240 प्रति ए0 सी0 प्रति माह (अप्रैल से सितम्बर) चार्ज का अतिरिक्त भुगतान करते हैं। भविष्य में यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार वसूली की जायेगी। 15-02-2005 को राजधानी में लेसा के अन्तर्गत अलीगंज में रहने वाले विभाग के एक अभियंता के यहां पावर कारपोरेशन की सतर्कता इकाई ने निरीक्षण आख्या में सहायक अभियंता के पड़ोस में आवास सं0 सी-50, सी0-56 एवं सी-54 हेतु विद्युत संयोजन दिया जाना बताया गया था। अधिशासी अभियंता (वितरण) एवं तीन सहायक अभियन्ताओं के जांच दल द्वारा सूचित विवरण के अनुसार श्री एस0 के0 अवस्थी, निवासी सी-51, से0-बी, अलीगंज के द्वारा उनके बगल के आवास सं0-सी 50 जो कि बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है पर एक बल्ब से रोशनी करने हेतु संयोजन दिया गया था। आवास सं0 सी-54 पर संयोजन नहीं पाया गया एवं आवास सं0-सी-56 में श्री गोपी मोहन के नाम विद्युत संयोजन खाता सं0 12429240 विद्यमान है। अतः चोरी का कोई प्रकरण नहीं बनता है इसलिये किसी कार्यवाही का कोई औचित्य नही है।]

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद्, शिकारपुर स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर सैकड़ों वर्षों से काबिज भवन अध्यासियों को कानूनी हक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुंशी लाल गौतम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 24 स्थगित की जाती है।

जनपद बाराबंकी के ग्राम सफीपुर के पास कल्याणी नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती राजरानी रावत द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

मा0 सदस्या, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र, फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत.....

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

[ग्राम सफीपुर के पास कल्याणी नदी पर पुल बनाने की मांग की गयी है, ताकि आम जनता को आवागमन में होने वाली कठिनाई का निराकरण हो सके।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड से प्राप्त आख्या के अनुसार विशुनपुर-सफीपुर मार्ग पर स्थित मवईया से एक सड़क नई बस्ती व भुण्ड के लिये निर्माणाधीन है। इस पर हैदरगंज गांव के निकट कल्याणी नदी बहती है। हैदरगंज घाट के दोनों ओर कच्ची सड़क उपलब्ध है। वर्तमान में नदी की गहराई 1.50 मीटर से अधिक है तथा वर्षा के दिनों में नाव द्वारा आवागमन होता है।

सेतु के लिये प्रस्तावित स्थान के नीचे की ओर 6 किमी0 की दूरी पर देवा-फतेहपुर मार्ग पर इसी नदी पर एक सेतु पहले से निर्मित है। ऊपर की ओर निकट में कोई पुल उपलब्ध नहीं है।

प्रश्नगत स्थान पर जल प्रवाह की स्थिति को देखते हुये 3 x 12.00 मीटर का सेतु बनाने की आवश्यकता होगी जिसकी अनुमानित लागत, सेतु के पहुंच मार्ग/सुरक्षात्मक कार्य एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग आदि को सम्मिलित करते हुये, लगभग रु0 130.00 लाख होगी। सेतु के निर्माण की परियोजना पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव होगी।]

जनपद बस्ती स्थित गोविन्दपुर गांव को मनोरमा नदी के कटान से बचाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

श्री राम करन आर्य, माननीय विधायक द्वारा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है.....

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

[कि बहादुरपुर ब्लाक में मनोरमा नदी के बांये तट पर गोविन्दपुर ग्राम का यादव पुरवा बसा है, जिसमें 50 घर हैं। यदि गांव के किनारे पत्थर लगाकर नदी के बहाव की दिशा को मोड़ा नहीं गया तो पूरा गांव मनोरमा नदी में विलीन हो जायेगा। अतः गोविन्दपुर को नदी के कटान से बचाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि प्रश्नगत यादव पुरवा टोला में कच्चे व पक्के कुल मिलाकर लगभग 50 घर हैं तथा आबादी लगभग 250 है। मनोरमा नदी से इस टोले की दूरी लगभग 400 मीटर है। मनोरमा नदी की तली छिछला होने तथा इसकी तली में झाड़-झंकार व जलकुम्भी अत्यधिक मात्रा में विकसित होने के कारण जल का बहाव सही प्रकार नहीं हो पाता है, जिससे बाढ़ का पानी नदी के तट से ऊपर होकर फैल जाता है। गांव में किसी भी प्रकार का कटान इस वर्ष दृष्टिगोचर नहीं हुआ है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह गांव बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में स्थित है। नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बसी आबादियों को नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने की शासन की नीति नहीं है, अपितु इन आबादियों को जिलाधिकारी द्वारा अन्य सुरक्षित स्थानों पर बसाये जाने की व्यवस्था है। अत: इस गांव की सुरक्षा हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है।]

मेरठ महानगर में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में भोले की झाल से वाटर की आपूर्ति की योजना को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 27 स्थगित की जाती है।

जनपद आगरा स्थित जिला सहकारी बैंक के अन्तिम निर्वाचन क्षेत्रों के नाम, निर्वाचित होने वाले संचालकों की संख्या तथा नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था न अपनाये जाने के सम्बन्ध में राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

गत निर्वाचन 1999 में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम-440 (8) के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का.....

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

[अन्तिम अवधारण में आरक्षण निम्न प्रकार किया गया था :--

अंतिम निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचित होने वाले संचालकों की संख्या	आरक्षण की श्रेणी वर्ग	निर्वाचन क्षेत्र
1	2	3	4
1--अकोला संघ विचपुरी	एक	अनु0 जाति/अनु0 जनजाति	वि0 ख0, अकोला एवं बिचपुरी की समस्त पैक्स।
2--अछनेरा	एक	पिछड़ी जाति	वि0 ख0, अछनेरा की समस्त पैक्स।
3--एत्मादपुर	एक	महिला	वि0 ख0, एम्मादपुर की समस्त पैक्स।
4--खन्दौली	एक	सामान्य	वि0 ख0, खन्दौली, की समस्त पैक्स।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2	3	4
5--खेरागढ़ एवं जगनेर	एक	सामान्य	वि0 ख0, खेरागढ़ एवं जगनेर की समस्त पैक्स।
6--जैतपुरकलां	एक	सामान्य	वि0 ख0, जैतपुरकलां की समस्त पैक्स।
7--पिनाहट एवं बाह	एक	सामान्य	पिनाहट एवं बाह की समस्त पैक्स।
8--फतेहपुर सीकरी	एक	सामान्य	वि0 ख0, फतेहपुर सीकरी की समस्त पैक्स।
9--फतेहाबाद एवं शमशाबाद	एक	सामान्य	वि0 ख0, फतेहाबाद एवं शमशाबाद की समस्त पैक्स।
10--बरौली अहीर	एक	सामान्य	वि0 ख0, बरौली अहीर की समस्त पैक्स।
11--समस्त अकृषक सह0 समितियां जो बैंक की सदस्य हैं	एक	सामान्य	समस्त अकृषक सह0 समि0 जो बैंक की सदस्य हैं।
12--सहानुभूतिकर सदस्य	एक	सामान्य	सहानुभूतिकर सदस्य
13--सैया	एक	सामान्य	वि0 ख0, सैया की समस्त पैक्स।

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 444 (क) (3) में प्राविधान है कि निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी नियम 440 के उपनियम 6 के उपबन्धों के अधीन निर्बल वर्ग के लिये निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उन निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के जहां से प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम द्वारा उस सीमा तक किया जायेगा जहां तक स्थान आरक्षित हो।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नियम 393 के उपनियम (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों और महिलाओं को हिन्दी वर्णानुक्रम में आवंटित किया जायेगा।

उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2005 के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 440 (4) अधीन प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रों का निम्न प्रकार अनन्तिम अवधारण करते हुये दिनांक 5-3-2005 के दैनिक जागरण समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया गया है।

क्र0 सं0	अनन्तिम निर्वाचन क्षेत्रों का नाम तथा उनसे निर्वाचित होने वाले संचालकों की संख्या		आरक्षण की श्रेणी/वर्ग	निर्वाचन क्षेत्र
1	अकोला एवं बिचपुरी	एक	सामान्य	वि0 ख0, आकोला एवं बिचपुरी की समस्त पैक्स।
2	अछनेरा	एक	सामान्य	वि0 ख0, अछनेरा की समस्त पैक्स।
3	एत्मादपुर	एक	सामान्य	वि0 ख0, एत्मादपुर की समस्त पैक्स।
4	खन्दौली	एक	अनु0 जाति/जनजाति	वि0 ख0, खन्दौली की समस्त पैक्स।
5	खैरागढ़ एवं जगनेर	एक	पिछड़ी जाति	वि0 ख0, खैरागढ़ एवं जगनेर की समस्त पैक्स।
6	जैतपुरकलां	एक	महिला	वि0 ख0, जैतपुरकलां की समस्त पैक्स।
7	पिनाहट एवं बाह	एक	सामान्य	वि0 ख0, पिनाहट एवं बाह की समस्त पैक्स।
8	फतेहपुर सीकरी	एक	सामान्य	वि0 ख0, फतेहपुर सीकरी की समस्त पैक्स।
9	फतेहाबाद एवं शमशाबाद	एक	सामान्य	फतेहाबाद एवं शमशाबाद की समस्त पैक्स।
10	बरौली अहीर	एक	सामान्य	वि0 ख0, बरौली अहीर की समस्त पैक्स।
11	समस्त अन्य सह0 समि0 जो बैंक की सदस्य है	एक	सामान्य	समस्त अन्य सभी सह0 समि0 जो बैंक की सदस्य हैं (जनपद की पैक्स को छोड़कर)।
12	सहानुभूतिकर सदस्य	एक	सामान्य	सहानुभूतिकर सदस्य।
13	सैया	एक	सामान्य	वि0 ख0, सैया की समस्त पैक्स।

उपर्युक्त प्रकाशन पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सात दिन के अन्दर कार्यालय में आपत्ति आमंत्रित की गयी है, प्राप्त आपत्तियों पर प्रकाशन के 13वें दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रात: 11.00 बजे से विचार किया जायेगा और तदुपरान्त निर्वाचन क्षेत्रों का उक्त नियमावली के नियम 440 (7) के अधीन अन्तिम अवधारण किया जायेगा।

आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को अपनी आपत्ति प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते थे जिस पर नियमानुसार विचार प्रकाशन के 13वें दिन प्रस्तावित है।]

लखनऊ स्थित डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, माननीय विधायक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद लखनऊ स्थित .....

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

[डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है। सरकार द्वारा रोगी को ब्लड चढ़ाने की जो फीस निर्धारित की गयी है, उस फीस को भी सरकारी खजाने में जमा न करके सम्बन्धित कर्मचारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बंदरबाट कर रहे हैं। रोगियों से फीस तो ली जाती है किन्तु उन्हें प्राप्ति रसीद नहीं दी जाती है। यह भी बताया गया है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कमाऊ सिस्टरों को वार्डों का चार्ज दिया गया है, जिससे मरीजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होती। सरकारी दवाई खुलेआम बाजारों में बेची जा रही है और मरीजों से ही दवाई मंगाई जाती है। अस्पताल में सम्बन्धित अधिकारी की तानाशाही से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। अस्पताल में इमरजेन्सी गेट को भी बन्द करवा दिया गया है।

2--प्रश्नगत प्रकरण की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-1962/सेक-2-पांच-05-विस0-6/05, दिनांक 14 मार्च, 2005 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। जांच अधिकारी से जांच आख्या प्राप्त होते ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 17 मार्च, 2005 को 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 16 मार्च, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 38 का उत्तर पीछे पृ0 40 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित श्री बाबूलाल कुशवाहा, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-38 से सम्बन्धित सूची :--

क्रमांक	विद्यालय का नाम
1	श्री मद्यानन्द प्रा0 पा0, सदर
2	अम्बेडकर शिक्षा निकेतन, बड़ी लालकुर्ती
3	श्री सतगुरू स्वामी आदर्श विद्यालय, मुंशी खेड़ा, लखनऊ
4	उपमन्यु विद्यालय, वाजपेई खेड़ा
5	हरिजन प्रा0 पा0, भिलावा
6	जनता विद्यालय प्रा0 स्कूल, प्यारेपुर मौदा
7	श्रीमती गंगादेवी विद्यालय, बल्दी खेड़ा
8	बी0 आर0 अम्बेडकर विद्यालय, अटेर
9	प्रगतिशील बाल शिक्षा केन्द्र, तारा का पुरवा
10	ग्रामीण बाल विद्या मंदिर, इन्दारा
11	सुन्दर आदर्श विद्यालय, बरकोला
12	क्रान्ति विद्या मंदिर, बंगला बाजार
13	बाबा प्रा0 स्कूल बरहा, आलमबाग
14	आदर्श गांधी विद्यालय, गांधी नगर, माती
15	डा0 भीमराव अम्बेडकर बाल विकास विद्या मंदिर, विजयनगर-अम्बेडकर नगर, कानपुर रोड, लखनऊ।
16	हरिजन प्रा0 पा0, बरफखाना
17	हरिजन प्रा0 पा0, टिकरासानी
18	आक्स फोर्ड डे स्कूल, चित्रगुप्त नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 51 का उत्तर पीछे पृ0 45 पर)

किराये पर लिये गये वाहनों पर किये गये व्यय का मासिक विवरण :

क्र0 सं0	माह	अपर निदेशक (वित्त)	अपर निदेशक (नियोजन)	संयुक्त निदेशक (निर्माण)
1	अक्तूबर, 2000	13660	12230	--
2	नवम्बर, 2000	12980	16280	--
3	दिसम्बर, 2000	13460	12310	--
4	जनवरी, 2001	13570	12940	--
5	फरवरी, 2001	15686	13020	8042
6	मार्च, 2001	14050	13410	13080
7	अप्रैल, 2001	13810	13400	13050
8	मई, 2001	13180	12600	14971
9	जून, 2001	14190	13828	12950
10	जुलाई, 2001	13890	12500	13010
11	अगस्त, 2001	13760	13600	12800
12	सितम्बर, 2001	14135	16772	12860
13	अक्तूबर, 2001	12300	13770	13000
14	नवम्बर, 2001	13216	14360	12496
15	दिसम्बर, 2001	13570	12890	12550
16	जनवरी, 2002	12380	14088	13713
17	फरवरी, 2002	12760	12400	12590
18	मार्च, 2002	12520	13220	12070
19	अप्रैल, 2002	12670	12210	12980
20	मई, 2002	14346	12100	12900
21	जून, 2002	13729	13729	12870
22	जुलाई, 2002	12700	12300	12560
23	अगस्त, 2002	14426	13148	13600
24	सितम्बर, 2002	13227	12200	12750
25	अक्तूबर, 2002	12780	12900	12777
26	नवम्बर, 2002	13500	12220	13861
27	दिसम्बर, 2002	12200	12880	12440
28	जनवरी, 2003	11800	--	12540
29	फरवरी, 2003	12750	--	12800
30	मार्च, 2003	4010	--	12780
31	अप्रैल, 2003	--	--	13220
32	मई, 2003	--	--	13140
33	जून, 2003	--	--	12620
34	जुलाई, 2003	--	--	12620
35	अगस्त, 2003	--	--	12620
36	सितम्बर, 2003	--	--	11900
37	अक्तूबर, 2003	--	--	13280
38	नवम्बर, 2003	--	--	13150

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49-50 पर)

अतरांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर का संलग्नक :

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	चिकित्सकों की संख्या	फार्मासिस्टों की संख्या	स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या
1	लालगंज	1	1	37
2	हलिया	2	1	43
3	पटेहरा कलां	2	1	35
4	विजयपुर सरोई	2	1	56
5	चील्ह	2	1	42
6	कछवाँ	2	1	54
7	मड़िहान	4	1	25
8	चुनार	2	1	56
9	राजगढ़	2	1	55

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0--63 वि0स0--13-7-05--813 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/आफसेट)